राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 12] अष्टम् विधान सभा के बारहवें सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

गुरुवार,

28 दिसम्बर, 1989

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

परिचय

मन्त्री परिषद् के सदस्यों का परिचय

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, आपको भी प्रणाम और + + + को भी प्रणाम ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री नवरंग सिंह ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर दें उसके पहले मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि वे अपनी टीम का परिचय करायें । यह बहुत आवश्यक है ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : इस मन्त्रि-मण्डल को अधिकार ही नहीं है, मोरल अधिकार ही नहीं है यहां रहने का । क्या परिचय कराना ? हर मंत्री के क्षेत्र में 10 हजार से हारे हैं और वही मंत्री होने की क्वालीफिकेशन रखता है । स्वयं मुख्य मंत्रीजी की कान्स्टीट्यूएंसी में हारे हुए हैं । यह सब हारे हुए मंत्री हैं । राजस्थान में एक सीट आयी नहीं, उसके बावजूद कौन सी सरकार का इण्ट्रोडक्शन करा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, आप ?

श्री अध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंहजी, परिचय तो सबसे आपका है । कोई नये फेसेज तो हैं नहीं ।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : विभागों का परिचय नहीं है इनका अलग-अलग । अब विभाग अलग हो गये इसलिए परिचय जरूरी है ।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : इनका तो यही परिचय है, यह कहना कि हम हार गये हैं ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : परिचय यह कि कितने-कितने हजार से हारे हैं अपने विधान सभा क्षेत्र में ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप खुद ही एम. एल. ए. नहीं हो ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मंत्रियों का परिचय चाहते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : मेरा परिचय आपसे नहीं है, मैं अपना परिचय कराता हूं ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अपने मन्त्रिमण्डल का पूरा परिचय दें। यह सदन की परम्परा है कि नया मन्त्रिमण्डल गठित होता है तो मन्त्रिमण्डल के सारे सदस्यों का परिचय होना आवश्यक होता है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : गैरकानूनी है यह मन्त्रिमण्डल। इसको मोरल अधिकार ही नहीं है। एक दिन के लिए इनका इण्ट्रोडक्शन कराने का कोई मतलब ही नहीं है। मुख्य मंत्रीजी स्वयं सदस्य नहीं हैं इस सदन के। राज्यपाल रहते हुए भी आप लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग के नेता चुने गये हैं, यह इल्लीगल है कि नहीं है?

श्री हरिदेव जोशी : मैं परिचय करवाऊं कि नहीं करवाऊं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जब आपने संविधान को ताक में रखा, राज्यपाल पद की गरिमा गिरायी, उसी समय आपका परिचय हो गया था सारी दुनिया में। अब क्या परिचय देंगे आप?

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी कोई गलती करें तो समझ में आ सकती है बात, लेकिन इतने बुजुर्ग नेता अगर गलती करेंगे तो आब्जेक्शन होगा ही।

श्री हरिदेव जोशी : श्री हीरालालजी देवपुरा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): इनके विभागों का भी बताते जायं कि कौनसे विभाग हैं।

श्री सम्पत सिंह : प्रजातान्त्रिक मूल्यों का इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। जनता ने इनको फतवा भी दे दिया।

श्री हरिदेव जोशी : मैं हरिदेव जोशी हूं, मुख्य मंत्री।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : या राज्यपाल ?

श्री हरिदेव जोशी : भूतपूर्व।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहां के ?

श्री हरिदेव जोशी : श्री हीरालाल देवपुरा, सिंचाई मंत्री।

श्री यदुनाथ सिंह : 15 हजार से हारे हैं कांस्टीट्यूएंसी में।

श्री हरिदेव जोशी : आप भी हारे हैं कभी न कभी।

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मंत्री) : इसकी चिन्ता मत करो, मैं नहीं हारा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है, हर पार्टी में ऐसे नेता हैं जो हारे हैं।

श्री खंगार सिंह (खारची) : वोटों का भी परिचय दे दो साथ साथ।

श्री हरिदेव जोशी : वोटों का भी परिचय दे दूंगा जब जरूरत पड़ेगी।

श्रीमती कमला, कृषि मन्त्री; श्री रामदेव सिंह, ग्रामीण विकास मन्त्री; श्री गुलाब सिंह शक्तावत; श्री रामसिंह।

एक माननीय सदस्य : अगली बार कोई नहीं आयेगा।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो अगली बार

(श्री हरिदेव जोशी)

देखेंगे। यह तो टाइम बतायेगा। ऐसी क्या स्थिति है, आपकी पार्टी कभी नहीं हारी थी क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हम हारते हैं तो इधर बैठते हैं। हम में नैतिकता है।

श्री हरिदेव जोशी : पिछली लोक सभा में आपकी क्या स्थिति थी ?

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : आपका तो हारने का रिकार्ड रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमने उदारता बरती, आपने तो ढाई साल में ही भंग कर दी थी विधान सभा।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो राजनीति है, अध्यक्ष महोदय। इसी का नाम डेमोक्रेसी है।

श्री अध्यक्ष : परिचय होने दें, कृपया।

श्री हरिदेव जोशी : श्री रामसिंह विश्नोई; श्री छोगाराम बांकोलिया; श्री माधव सिंह दीवान; श्री दामोदर दास आचार्य; शिक्षा मन्त्री; श्री शीशराम ओला जन स्वास्थ्य मन्त्री; श्री रघुनाथ परिहार, श्रीमती जकिया इनाम, श्री महेन्द्र परमार; श्री मूलचन्द मीणा; सुश्री गिरिजा व्यास; श्री हीरालाल इन्दौरा; श्री रतनलाल ताम्बी; श्री मांगीलाल आर्य; श्री भैरूलाल मीणा; श्री इकबाल अहमद; श्री हरिमोहन शर्मा; श्री राजेन्द्र चौधरी; श्री दीनबन्धु वर्मा; श्री सोहन सिंह; श्रीमती नीलिमा; श्रीमती हमीदा बेगम।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह, प्रश्न।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दू मर गये, जवाब देना चाहिए सरकार को कि दंगे क्यों हुए, क्यों मरे। जानबूझकर किये गये दंगे। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। सरकार बैठी है हारकर यहां। राजस्थान में खून की नदियां बह गयीं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें, प्रश्न काल शुरू हो रहा है।

श्री हरीश शर्मा : सरकार बैठी है हार कर यहां। हिन्दू मरे हैं। जवाब देना पड़ेगा। हमारी आत्मा रोती है इसमें। हिन्दू मर रहे हैं यहां। हिन्दुओं को मार डाला गया है। उनकी झोंपड़ियां उजाड़ दीं। हिन्दुओं का नाश हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से विनम्रतापूर्वक पूछना चाहूंगा, आप वृद्ध हो, आपके दिल है, आपमें मानवता है, आप इतना बता दीजिए, दंगे चालू किसने किये ? चालू करने वालों को दण्डित किया क्या आपने ?

श्री अध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह, प्रश्न संख्या 1।

श्री हरीश शर्मा : गरीबों के खून से होली खेली गई है। उन लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं, दंगे चालू किये गये हैं। केवल मात्र इन लोगों के खिलाफ बदले की भावना से कार्यवाही की गई है। जानबूझकर चुन-चुन कर मरवा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : हरीशजी, कृपया बिराजें।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप

(श्री हरीश शर्मा)

लाइन देखिये। कितने दंगे हुए हैं इस साल में ? कितने लोग मारे गये हैं ? कितने अपाहिज हो गये ? कितने अंधे हो गये ?

श्री अध्यक्ष : इस समय नहीं, अलग से आप देना। आप जो सवाल उठाना चाहते हैं, अलग से देना।

श्री हरीश शर्मा : वे बर्बाद हो गये। उनकी जिम्मेदारी इस सरकार की है, खून की नदियां बहा दीं, आपने कितने लोगों को मरवा दिया, हमको भी मरवा दीजिये, फांसी पर चढ़वा दीजिये। उन गरीबों के खून से क्या लाभ है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय हरीश जी।

श्री हरीश शर्मा : आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात को गैर कानूनी बता दें, हम यहां पर वहां के प्रतिनिधि हैं, जिनकी लाशें पड़ी थीं, जिनको दफना दिया गया, जिनकी चिताएं भी नहीं बन पायीं, जिनको दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हो पायीं, किसी प्रकार की सहायता भी नहीं मिल पायी और आज भी उनके घरों में कोई साधन नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय हरीश जी, आप किस नियम में बोल रहे हैं ?

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह खून से रंगने का मामला है, गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : हां, गम्भीर मामला है तो लिखकर देना उस पर विचार करवायेंगे। अभी इससे कोई फायदा नहीं होगा।

श्री हरीश शर्मा : पहले आप इस पर कार्यवाही करवायें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप लिखकर देना उस पर आगे....

श्री सम्पतसिंह : "अंधे के आगे रोवें और अपने नैना खोवें" अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं दिया, कब तक लेंगे ? आखिर इनके भी बच्चे-बच्चियां हैं। इसका जवाब दे दें पहले। हमारी आत्मा रो रही है....

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। जवाब देंगे। प्रश्न संख्या 1. श्री नवरंगसिंह।

तारांकित प्रश्नोत्तर

मुकन्दगढ़ लोहार्गल चिराना में पुलिस थाना चौकी

1. **श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : क्या मुख्य (गृह) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार का मुकन्दगढ़ लोहार्गल चिराना जिला झुन्झुनू में क्रमशः थाना व पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान आवश्यकताओं के सन्दर्भ में थाना नवलगढ़ में स्टाफ व पुलिस बल की निर्धारित संख्या कम है ? यदि हां, तो कब तक उक्त थाने में आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ा दी जावेगी ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का जवाब आये उससे पहले....

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी । भैरोंसिंहजी, प्रश्नकाल में आप तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्नकाल में ही पूछ रहा हूं, प्रश्नकाल में ही पूछना आवश्यक है।

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से....

श्री अध्यक्ष : जी, हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं भी आपकी आज्ञा से ही पूछ रहा हूं और आपकी आज्ञा से आप भी बैठिये।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक विषय माननीय श्री यदुनाथसिंहजी ने उठाया कि यह सरकार अन-कांस्टीट्यूशनल है, यह सरकार इस हाउस में फंक्शन नहीं कर सकती है, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरह का शोकाभिव्यक्ति का वातावरण है, हम आज इस प्रश्न पर मौन रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि इस विषय पर कल चर्चा निश्चित रूप से रखी जाय। मेरा केवल इतना ही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल, लिखकर देना। माननीय कमला जी।

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) पुलिस चौकी मुकन्दगढ़ को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव नवें वित्त आयोग को दिये प्रस्तावों में सम्मिलित है।

1. ग्राम चिराना में पुलिस चौकी कायम करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

2. लोहार्गल में पुलिस चौकी कायम करनेका कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) पुलिस थाना नवलगढ़ की नफरी में वृद्धि करने के प्रस्ताव अभी नवें वित्त आयोग को दिये गये प्रस्तावों में सम्मिलित है।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा। मुकन्दगढ़ थाने को क्रमोन्नत करने की बात नवें वित्त आयोग में बताई गई है पर मैं कहना चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर पहले मुकन्दगढ़ थाना खुलना था लेकिन पक्ष-पात से, क्योंकि रूलिंग पार्टी का एम. एल. ए. है इसलिए मुकन्दगढ़ को बाई-पास करके बिसाऊ खोला गया जबकि मुकन्दगढ़ बड़ी जगह है और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, कि आजादी से पहले इस नवलगढ़ सब-डिवीजन में 3 थाने थे, माननीय कमलाजी भी परिचित हैं, गुढ़ा, उदयपुरवाटी और नवलगढ़। आजादी के इतने सालों बाद जितनी आबादी बढ़ी है उसी अनुपात में अपराध और दूसरी चीजें भी बढ़ी हैं इसलिए नफरी बढ़ाना इस सब-डिवीजन में बहुत जरूरी था आबादी के हिसाब से भी और अपराधों के हिसाब से भी। इसलिये मैं चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर इसको जल्दी खोला जाय।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि नवलगढ़ में चूंकि नफरी बहुत थोड़ी है... (व्यवधान)

(श्री नवरंगसिंह)

वह खोल लेंगे, चिन्ता मत करिये, जोशीजी। छुट्टी तो हम इस सरकार की करना चाह रहे हैं, सरकार खुद त्याग-पत्र दे कर चली जाय, इस सरकार को नैतिकता के नाते यहां पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है....

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है।

श्री नवरंग सिंह : आप बीच में मत बोलिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछने जा रहा था, नवलगढ़ में चूंकि नफरी बहुत कम है, आजादी के पहले की नफरी तय है। आये दिन वहां पर दंगे-फसाद और दूसरी चीजें होती हैं, जैसे 1988 में वहां पर दंगे-फसाद हुए हैं, झगड़े भी हुए हैं, काफी प्रापर्टी का भी नुकसान हुआ है और आज भी चाहे जहां पर दंगे हो जाते हैं लेकिन नफरी नहीं होने की वजह से अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी से चाहूंगा कि तत्काल वहां पर एडहांक बेसिस पर नफरी बढ़ायी जाय....(व्यवधान)

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, कल आप इस सरकार को बर्खास्त कर देंगे, इस अवैधानिक सरकार को बर्खास्त कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नो।

श्री सम्पतसिंह : मान लीजिये कल आपने विचार के बाद बर्खास्त कर दिया तो इस प्रश्न का कल क्या होगा, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नोट अलाउड।

श्री सम्पतसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह अच्छा तरीका नहीं है। प्रश्नकर्ता—श्री नवरंगसिंहजी।

श्री नवरंग सिंह : माननीय मन्त्री महोदया ने कहा कि चिराना में चौकी कायम करने का विचार राज्य सरकार के विचाराधीन है। पर मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कब तक विचाराधीन रहेगा। क्या आपकी सरकार के इस्तीफा देने या जाने से पहले-पहले वहां पर चौकी बना दी जायेगी?

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि परसरामपुरा पर एक चौकी थी वहां से उस चौकी को हटा दिया गया है। इससे अपराध बढ़े हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि परसरामपुरा में फिर चौकी कायम की जाये। क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष : माननीय कमला जी। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय मोदीजी, इस प्रश्न से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है, एक विशेष प्रस्ताव है, जनरल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मोदीजी, इसी के सम्बन्ध में हैं क्या?

श्रीमती कमला : नवलगढ़ की बाबत, चिराना की बाबत या मुकन्दगढ़ की बाबत पूछ रहे हैं?

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : ऐसा है कि सवाल तो नवलगढ़ का है परन्तु

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

थाने या चौकी बनायेंगे तो पापूलेशन के आधार पर ही तो बनायेंगे तो मैं कैसे प्रश्न नहीं पूछ सकता हूं ? क्या आप वैसे ही थाने या चौकी बना देंगे, जहां चाहेंगे वहां बना देंगे, धांधलेबाजी मचा कर ? यह धांधलेबाजी नहीं चलेगी । इसलिए वहां का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि....

श्रीमती कमला : आप अपना सवाल देंगे तो उसका भी जवाब देंगे ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं यह चाहता हूं कि एक साथ ही आप जवाब दे दीजिये, ज्यादा टाइम क्यों खराब करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मोदीजी, आप प्रश्न कीजिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरा सवाल यह है कि सरकार ने पहले थाने या चौकी बनाई थी वह पापूलेशन के आधार पर बनाई थी ? अब पापूलेशन दिन-प्रतिदिन ज्यादा बढ़ रही है तहसील और हर जिले में, तो पापूलेशन के आधार पर यह थाने और चौकियां बनाई जानी चाहिये । चाहे जहां थाने और चौकियां बना दी जाती हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा कोटपूतली हरियाणा प्रान्त से मिला हुआ है, वहां पर रोजाना चोरियां होती हैं....(व्यवधान)

श्री सम्पतसिंह (नगर) : हरियाणा में तो राजा और प्रजा चैन में है, कोई चोरी नहीं होती है, यहां पर भी हम बन्द कर देंगे-चोरी-डकैती....(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : किसी मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर या चाहे किसी का जरा सा दबाव आया और वहां पर चौकी और थाना बना दिया । कम से कम पापूलेशन के आधार पर कोई काम करें तो कोई एतराज नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । माननीय कमला जी ।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो-तीन मुद्दों पर चिन्ता व्यक्त की है । उसी दृष्टि से यह दो प्रस्ताव नवें वित्त आयोग को भेजे हुए हैं और जैसे ही नवें वित्त आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति होगी हमको यह काम करने के लिये सुविधा प्राप्त हो सकेगी । जहां तक सरकार के विचाराधीन जो चौकियों के मामले हैं, सिर्फ एक ही नहीं है कई जगहों पर जरूरत है जहां पर क्राइम्स ज्यादा बढ़े हैं, वहां पर चौकियां कायम करने के सारे मुद्दे स्टेट भर के सम्मिलित हैं, कोशिश यह करेंगे कि जल्दी से जल्दी विचार कर पूर्ण कर लें ।

जहां तक मोदीजी ने कहा बहुत जगह जनसंख्या बढ़ गयी है इसलिये वहां पर बननी चाहिये । दरअसल में चौकियां और पुलिस थानों की वृद्धि या नयी कायम करने का काम जो अपराध बढ़ते हैं, उनकी संख्या की वृद्धि के हिसाब से किया जाता है और यही सही है कि राज्य में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर नयी चौकियां या पुलिस थाने सैंक्शन करने की जरूरत है । पहले के ऐसे बहुत से प्रस्ताव विचाराधीन हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है । जैसे हम और आप दोनों बराबर यह कोशिश कर रहे हैं कि अमरसर में थाना बनाया जाय क्योंकि सारा इलाका शाहपुरा में डील

(श्रीमती कमला)

नहीं हो पाता है, लेकिन इस तरह के काफी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं पर अभी उनको करना सम्भव नहीं है। आपने परसरामपुरा के बारे में तुरन्त कहा है इसलिये मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। माननीय सदस्य ने बीच में खड़े होकर कहा कि आपकी सरकार वैधानिक नहीं है और इसको पूरा भी कर पायेगी या नहीं। सरकार वैधानिक है और आगे भी सरकार बनेगी और इस कार्य को पूर्ण करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय उजला अरोड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदया ने कहा....

श्री सी. पी. जोशी : आप इस आदत को छोड़ो, साहब, कब तक पाले रहेंगे इस आदत को ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी यह आदत छोड़ों अब।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि चौकियों और थानों के प्रस्ताव नवें वित्त आयोग को भेजे गये हैं। मैं जानकारी यह करना चाहता हूं कि क्या थाने और चौकी खोलने से पहले नवें वित्त आयोग से अनुमति लेना आवश्यक है ?

श्रीमती कमला : अनुमति की आवश्यकता नहीं है लेकिन फण्ड्स उपलब्ध कराने के लिए हमने मांग की हुई है।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर उजला अरोड़ा।

सवाई मानसिंह हास्पिटल, जयपुर में कोबाल्ट थेरेपी मशीन

2. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कोबाल्ट थेरेपी मशीन कब स्थापित की गई ?

(2) मशीन स्थापित किये जाने के पश्चात् कब-कब, कितनी-कितनी अवधि के लिए खराब हुई और इसे कितने-कितने समय पश्चात् ठीक करवाया गया ?

(3) इस संयंत्र के खराब होने के कारण विगत 3 वर्षों में यहां के कितने-कितने मरीजों को बीकानेर, उदयपुर व अन्य स्थानों पर उपचार के लिए भेजा गया ?

(4) मशीनो को समय पर ठीक नहीं करवाने और इसके निरन्तर उपयोग न होने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? क्या इस संयत्र की खरीद में गड़बड़ी व रख-रखाव आदि के सम्बन्ध में जांच बैठायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या निष्कर्ष रहे और किन-किन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस मशीन के अभाव में जयपुर स्थित सवाई-मानसिंह अस्पताल में कई मरीजों की मृत्यु हो गई है ? विगत 3 वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या बीकानेर, उदयपुर व अन्य स्थानों पर इस मशीन को निरन्तर ठीक बनाये रखने अथवा बहुत कम समय खराब

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रहने के लिए सावधानी व सतर्कता बरती जाती है ? यदि हां, तो जयपुर के उक्त अस्पताल में उचित रख-रखाव क्यों नहीं किया जाता ?

(7) क्या राज्य सरकार जनता के लाभ हेतु निकट भविष्य में इस मशीन को ठीक करवाने अथवा नई मशीन क्रय कर स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती जकिया इनाम) : (1) मई, 1965 में स्थापना की गई थी।

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) मशीन के मार्च, 1989 में अनुपयोगी हो जाने के उपरान्त जयपुर के बाहर उपचार के लिए जाने वाले मामलों की सूचना नहीं रखी गई है। बीकानेर के चिकित्सालय में मार्च, 1989 के पश्चात् जयपुर के लगभग 350 मरीजों का उपचार किया गया।

(4) उक्त मशीन का निरन्तर उपयोग हुआ है एवं खराब होते ही ठीक कराई है अत: जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इस संयंत्र के खरीद या रख-रखाव के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं बिठाई गई।

(5) मशीन के अभाव में किसी मरीज की मृत्यु हुई हो, इसकी पुष्टि अस्पताल के रिकार्ड से नहीं होती है।

(6) जी हां। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में भी सावधानी व सतर्कता बरती गई है। मशीन के 23 साल उपयोग में आने के पश्चात् अब यह अनुपयोगी हो गई है एवं इसकी मरम्मत सम्भव नहीं है।

(7) सप्लायर्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मशीन को ठीक करवाया जाना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के प्रश्न पर तत्परता से विचार कर रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगी, देखा जाय तो 1980 के बाद यह स्थिति बनी चली आ रही है और इन्होंने इस उपयोगी मशीन को भी बराबर खराब रखा है और मन्त्री महोदय उत्तर दें कि कितना कमीशन इन डाक्टर्स ने जो उस समय ड्यूटी पर थे, बाहर रेफर करने के लिए मरीजों से लिया है ? (व्यवधान) आपको पता नहीं है किस तरह से पहले से ही कमीशन तय हो जाता है रेफर करने के लिए।

दूसरी बात, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि सप्लायर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार इसको ठीक किया जाना ठीक नहीं है या एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के अनुसार इसको ठीक किया जाना ठीक नहीं है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने परिशिष्ट "ख" मुझको जो उपलब्ध कराया है, इनका यह कहना है कि 73 दिन, 91 दिन, 47 दिन और 87 दिन इस तरह से

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

यह मशीन खराब रही है। अगर यह मशीन इस तरह से खराब रही है तो इतनी आवश्यक मशीन को ठीक कराने के लिए या दूसरी खरीदी जाने के लिए अब तक आपने उपाय क्यों नहीं किया ?

तीसरी बात, मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपने कहा कि जांच नहीं बिठायी गई है। आपके विभाग ने आपको गलत ब्रीफ किया है, इसकी जांच बिठाई गई है। एक मामला सब-जुडिस है, एक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी

श्रीमती जकिया इनाम : मशीन आगे काम कर सकेगी या नहीं इसकी रिपोर्ट हमको इन्जीनियर्स ने दी है 14.3.89 को और जिन्होंने रिपोर्ट दी है वे टेक्निकल हैण्ड थे और 23 साल तक इस मशीन ने काम किया है तो मैडम, आप मानकर चल सकती हैं कि 23 साल बाद मशीन क्या वर्किंग आर्डर में रह सकती है ? बीच के हिस्सों में जब खराबी हुई तो यह बहुत कम अवधि का टाइम है जिसमें वह ठीक करा दी गई है। सात-आठ बार यह खराब हुई है इसमें वह कुछ महीने ही खराब रही है जिसके बाद में उसको ठीक कराया गया है। अब आपने कहा है कि जांच जो हुई है वह नई मशीन के इन्स्टालमेंट पर हुई है और क्योंकि यह नई मशीन का मामल हाई-कोर्ट के अण्डर में है और मैं उस पर कुछ टिप्पणी करूं, मैं सोचती हूं कि आप लोग इसको सही नहीं समझेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कितना गोलमाल जवाब दिया है। सब-जुडिस मामले में यह न कह कर यह कहा है कि कोई जांच बिठाई ही नहीं गई है। कोर्ट में कैसे मामला चला गया। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह उत्तर दें कि बीकानेर में एक मशीन है, उदयपुर में भी एक मशीन है उनका रख-रखाव कैसे ठीक चल रहा है ? इस मशीन का रख-रखाव क्यों नहीं किया है ? मैं यह भी पूछना चाहती हूं आपसे कि 14.3.89 को जब आपको रिपोर्ट प्राप्त हुई कि यह मशीन खराब है अब ठीक नहीं होगी तब से लेकर अब तक आपने क्या किया है और क्यों नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय विद्या जी।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि इन्होंने दो मामलों को कन्फ्यूज करने की कोशिश की है जो सब-जुडिस मामला है वह दूसरा मैटर है मगर जिसके बारे में प्रश्न है यह दूसरा मैटर है। माननीय मन्त्री महोदय क्या यह सही है कि जनवरी, 1989 से इसका सोर्स खराब है। 13 मार्च, 1989 से मशीन खराब है और आप कहती हैं कि दूसरी जगह पर इलाज करने के लिए भेजा है तो 'नहीं', मरे हैं तो कहती हैं नहीं। तो क्या यह सही नहीं है कि उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर तीनों की मशीनें निरन्तर खराब हैं और यहां की मशीनें भी खराब हैं। दूसरा प्रश्न मैं यह यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि इसका सोर्स खराब होने पर और इन्जीनियर्स के द्वारा यह बताये जाने पर कि यह ठीक नहीं हो सकती उसके बावजूद भी ढाई लाख रुपये का सोर्स बम्बई

(श्रीमती विद्या पाठक)

के भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर से खरीदा गया जो मिस-फिट पाया गया। एक मेरा डाइरेक्ट प्रश्न यह है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि 13 और 14 मार्च, 1989 से यह मशीन बंद है और इसको ताले में बंद कर दिया गया। ताले से कहीं विकीरण बंद होता है क्या? उसके बावजूद इसका गामारेडियेशन निरन्तर हो रहा है। फिर मैं यह भी पूछना चाहती हूं वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? आप तो जो ढाई लाख रुपये खर्च किये गया अनावश्यक रूप से उसका जवाब दें। इसके अलावा, मशीन से जो रेडियेशन हो रहा है उसका जवाब दें, वर्तमान में क्या स्थिति है यह बतायें। लास्ट में यह कि, क्या यह सही है कि बोम्बे के अटोमिक एक्सपर्ट्स ने यह कहा है कि इसको हम वापस नहीं ले सकते क्योंकि आपकी सरकार के अफसरों ने उनसे कहा कि आप इस को वापस ले लीजिये। क्या यह सही है कि इन्होंने कहा है कि हम वापस नहीं ले सकते। इसको आक्शन या डिमोलिस करने के लिए 36 हजार रुपये खर्च करना पड़ेगा। यह स्थिति मार्च, 1989 की है। वर्तमान में क्या स्थिति है आप यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : भाभड़ा जी आप भी दें।

श्रीमती विद्या पाठक : जवाब आने दें साहब। डाइरेक्ट प्रश्न पूछें।

श्री अध्यक्ष : विद्या जी बैठें। माननीय मन्त्री जी। जवाब बार-बार देना पड़ेगा। एक ही बात है।

श्रीमती जकिया इनाम : अध्यक्ष महोदय, सोर्स खरीदा या नहीं इस समय मैं कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकती। मेरे पास अभी इन्फोर्मेशन नहीं है। अगर माननीय सदस्य इसके लिए चाहते हैं तो मैं 24 घण्टे का टाइम चाहती हूं और आपको मैं इसकी पूरी इन्फोर्मेशन दिलवा दूंगी।

श्रीमती विद्या पाठक : सप्लीमेंटरी का तो आपको खुद ही ध्यान रखना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया इनाम : मुझे कतई नहीं मालूम। आई एम सारी। मैं इसके लिए शर्मिन्दा हूं कि मुझे यह जवाब नहीं मालूम। मगर मैं आपको यह 24 घन्टे के अन्दर उपलब्ध करा दूंगी।

श्री अध्यक्ष : भाभड़ा जी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री महोदय को पूरी जानकारी नहीं है तो मैं पूछने वाला हूं उसकी जानकारी तो मिलनी ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं यह पूछ रहा हूं कि सवाई मानसिंह अस्पताल में और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण मशीनें हैं जो बेकार पड़ी हैं, लाखों रुपये उन पर इन्वेस्ट किये हुए हैं और उनका उपयोग बिलकुल नहीं हो रहा है जो हो रहा है वह भी गलत तरीके से हो रहा है।

श्रीमती जकिया इनाम : आपका क्वेश्चन अलग है, यह दुबारा लगेगा।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं यही कह रहा था कि आपके यहां आटो-एनलाइजर है उसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है। आपके यहां ट्रेड-मिल की मशीन लगी हुई है उसका दुरूपयोग हो रहा है। जो वहां इन्चार्ज है उनको यह अधिकार नहीं है कि वह किसी रोगी को रेफर कर सकें, उसमें भी भारी पक्षपात वहां पर हो रहा है केट-स्केन की मशीनें हैं वह भी गड़बड़ पड़ी हैं उसको भी ठीक नहीं किया जा रहा है। इस तरह से सारी मशीनें बल्कि कई मशीनें तो पैक पड़ी हुई हैं जिनको अभी तक खोला ही नहीं गया है, काम में लेने की बात ही दूसरी है। इसका जवाब तो मन्त्री महोदय क्या देंगे आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्रीमती जकिया इनाम : मैं यह कह चुकी हूं कि यह प्रश्न बिलकुल अलग है। यह दुबारा लगेगा उसके बाद मैं जवाब दूंगी इसका।

श्री अध्यक्ष : नहीं एक प्रश्न दुबारा नहीं लगेगा। नैक्स्ट। श्री चम्पालाल बांठिया। (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : पूरे राजस्थान में कैंसर के मरीजों की रेडियोथेरेपी की आज के दिन कोई व्यवस्था नहीं है, कैंसर के मरीज वहां जायं? आप कितनों को पैसा देंगे बाम्बे भेजने का?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी इसका इन्तजाम करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, लोग इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। मन्त्री महोदय बतायें क्या व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 3.

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अधीक्षक के कमरे की सजावट के लिए एक लाख रुपया खर्च कर दिया है। यहां उपयोगी है, मशीन ठीक कराने की जरूरत है या नई खरीद करना है उसके लिए आपका कतई प्रयास नहीं है। यह दो महीने के लिए तो कम से कम दया करो। उसके बाद तो हम व्यवस्था सम्भाल लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उन्होंने कह दिया।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष जी, इनको सजावट मन्त्री क्यों नहीं बना दिया गया? चिकित्सा विभाग की जगह।

पचपदरा क्षेत्र में सड़क निर्माण

3. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले के विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में गत 3 वर्षों में कौन-कौन सी पक्की सड़कों का निर्माण कराया गया व कुल कितनी दूरी की सड़कें बनाई गई? किन-किन सड़कों का और कितना-कितना डामरीकरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों की समयावधि में कुल कितनी लम्बाई की कौन-कौन सी सड़कों की मरम्मत की गई!

(3) अब कहां-कहां निर्माण एवं मरम्मत

(श्री चम्पालाल बांठिया)

का कार्य चल रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

अकाल राहत मन्त्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रश्न है उनको ट्रांसफर कर दिया गया है और वह जवाब दे रहे हैं।

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री महेन्द्र परमार) : (1) बाड़मेर जिले के विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में गत 3 वर्षों में 11 पक्की सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया जिसकी कुल लम्बाई 51 कि. मी. है उनमें से 4 सड़कों पर डामरीकरण का कार्य किया गया जिसकी लम्बाई 6 कि. मी. है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट सूची "अ" में संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) सूची परिशिष्ट "स" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री चम्पालाल बांठिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस विस्तृत जिले बाड़मेर के अन्दर आपने तीन वर्षों में केवल 6 कि. मी डामर सड़क बनाई है क्या यह उचित है? राजस्थान के दूसरे इलाके को देखते हुए यह बहुत ही कम है और इसके ऊपर जो पैसा खर्च किया गया है वह भी आपने व्यर्थ वगांया है। आपने मैटल रोड को छोड़ कर जो दूसरी सड़कें बनाई है उन सड़कों की हालत भी क्या है? उन सड़कों के ऊपर से कोई गुजर नहीं सकता, बसें नीचे कच्चे रास्ते पर चल रही है। आप यह पैसा क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? दूसरा में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बालोतरा से पचपदरा होकर, खेद होकर आगोड़ा की जो सड़क थी आज से 50 साल पहले 96 के अकाल के अन्दर बनी थी। उस सड़क का डामरीकरण क्यों नहीं किया गया। इतनी बड़ी इम्पार्टेंट पंचायत है वहां पी. एस. सी. और पुलिस स्टेशन तक है लोगों को आने जाने में इतनी कठिनाई हो रही है। बार-बार मांग होने के बाद भी इसकी उपेक्षा क्यों हो रही है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो इस प्रकार से पैसों का दुरूपयोग कर रहे हैं इसको रोक कर आप पक्का काम क्यों नहीं करना चाहते, मैटल रोड्स क्यों नहीं बनाना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है। अकाल राहत की जो सड़क थी उसकी बात कही है। दूसरी सड़कें नहीं बन रही है ऐसी बात नहीं है। स्थिति यह थी कि अकाल राहत के अन्दर पानी चाहिये, सड़कें बनाने के लिए दूसरी चीजें चाहिये तो उससे ज्यादा परेशानी खड़ी होती। पीने को पानी नहीं मिलता था उस समय सड़कें बनाने के लिए डामरीकरण करें वह एक लग्जरी हो जाती। इसलिये ऐसी बात नहीं है। बाड़मेर जिले के अन्दर जो सड़कें दूसरे मदों के अन्दर बनी हैं उसमें बाड़मेर जिला दूसरे जिलों के मुकाबले काफी अच्छा है....

श्री हीरालाल आर्य : वह तो केन्द्र सरकार ने बनाई है आपने क्या किया है? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह प्रश्न

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

अकाल राहत से सम्बन्धित नहीं है। मुख्य मन्त्री कृपया प्रश्न को पढ़ें। बाड़मेर जिले में विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में गत तीन वर्षों में कौन कौन सी पक्की सड़कों का निर्माण कराया गया व कुल कितनी दूर की सड़कें बनाई गई ? किन-किन सड़कों का और कितना-कितना डामरीकरण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें। कहीं अकाल का नाम नहीं है। यह गलत-फ़हमी मुख्य मन्त्री को है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अकाल राहत ने पी. डब्ल्यू. डी. को ट्रांसफर कर दिया, मन्त्री जी ने यहां पर कहा है। आप एबसेंट माइंड के रूप में जवाब दे रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप सुनना नहीं चाहते।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुख्य मन्त्री जी आप स्थिति को स्पष्ट करिये कि सवाल अकाल राहत कार्यों का नहीं है। प्रश्न केवल अकाल राहत मन्त्री के नाम पर है लेकिन सवाल है बाड़मेर जिले में जितनी भी सड़कें बनाई गई हैं या डामरीकरण किया गया है। अकाल राहत में कहीं डामरीकरण किया है आपने ?

श्री हरिदेव जोशी : फिर आपने अकाल राहत मन्त्री को क्यों पूछा है ? आपने अकाल राहत मन्त्री से पूछा था सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने जवाब दिया है।

श्री चम्पालाल बांठिया : मैंने सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से पूछा है और जवाब भी सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने दिया है। मैटल रोड की कुटाई में पानी की जरूरत नहीं होती है क्या ? उसमें ज्यादा जरूरत होती है। तीन-तीन, चार-चार बार कुटाई कर दी है लेकिन आपने डामरीकरण न कर इस पैसे का दुरुपयोग किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय बांठिया जी, आपने अकाल राहत मन्त्री से पूछा है तीन साल में 151 कि. मी. सड़कें मेरे ख्याल में दूसरी जगह नहीं बनी है (व्यवधान)

श्री चम्पालाल बांठिया : सिर्फ 6 कि. मी. है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : जवाब दे दिया है।

श्रीमती विद्या पाठक : जवाब दे दिया है सड़कें नहीं बनी; जवाब, जवाब में राजस्थान डूब गया :

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हीरालाल आर्य।

इन्द्रगढ़ (बून्दी) की तहसील का दर्जा

4. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बूंदी जिले में अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ को शामिल करते समय वहां तहसील कायम करने की बात कही थी ?

(2) क्या इस हेतु वहां की जनता बार-बार मांग करती रही है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इन्द्रगढ़ में शीघ्र तहसील खोलने की व्यवस्था करेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री नरपतराम बरबड़): (1) ऐसा कोई आश्वासन रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां।

(3) इन्द्रगढ़ उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने का औचित्य नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : क्या यह सही है कि जब नायब तहसील इन्द्रगढ़ को कोटा जिले से हटा कर बूंदी जिले में लगाया गया तब वहां की जनता ने बूंदी जिले में आवागमन के साधनों का अभाव, जिले से स्थान की दूरी और कोटा जिले में शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार आदि के सम्बन्ध होने के नाते इस निर्णय का विरोध किया था। दूसरा, क्या यह भी सही है कि वहां की जनता ने विरोध किया, आन्दोलन किया तो सरकार ने इस निर्णय को एक साल के लिए रोके रखा था। तीसरा, क्या यह भी सही है कि जब वहां के डेप्युटेशन समय-समय पर मन्त्री महोदय से मिलते रहे तब मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि आप बूंदी जिले में मिल जाओ, आपके यहां पूरी तहसील खोलेंगे, पंचायत समिति केन्द्र और मुन्सिफ कोर्ट खोलेंगे। आप कह रहे हैं कि रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। क्या यह सही है कि तत्कालीन वित्त मन्त्री ने वहां की जनता के बीच जाकर बूंदी की ग्राम सभाओं में और यहां पर जो डेप्युटेशन मिले उनको आश्वासन दिया था कि आठवें वित्त आयोग के आधार पर निर्णय करेंगे और वहां के स्थानीय जिला प्रशासन ने भी इसकी आवश्यकता महसूस की थी कि नायब तहसील को पूरी तहसील में क्रमोन्नत किया जाना चाहिए जिसके लिए नैनवां तहसील के कुछ गांवों को इन्क्लूड किया है। आपके पास रिपोर्ट आई हुई है। आपने स्वयं ने स्वीकार किया था कि रिपोर्ट आने पर क्रमोन्नत करेंगे और अब आप कह रहे हैं कि आपके पास रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। आपके आश्वासन देने के बाद भी औचित्य क्यों नहीं है। आपने यह जो निर्णय लिया कि तहसील में क्रमोन्नत करने का औचित्य नहीं है यह निर्णय किस आधार पर लिया है?

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)। क्या यह सही है कि इस नायब तहसील को बूंदी जिले में देने के समम यह आश्वासन दिया गया था कि आपको पूरी तहसील दी जायेगी और क्या यह भी सही है कि इसको क्रमोन्नत करने की पूरी रूप रेखा तैयार है केवल मात्र घोषणा करना बाकी है जबकि आप कह रहे हैं कि कोई औचित्य नहीं है?

श्री हरिकुमार औदिच्य: अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि इन्द्रगढ़ की तहसील में बदलने का औचित्य नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से और मुख्य मंत्री महोदय से एक बात यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने अभी नई तहसीलें बनाने की घोषणायें नहीं की है? अगर की है तो उसका क्या माप दण्ड रखा है, क्या क्राइटेरिया रखा है।

एक माननीय सदस्य : नहीं की है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : बराबर आपने की है। अखबारों में है। अखबारों में गलत छपा है। आपने नहीं की। नहीं खोलने जा रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह स्पष्ट कर दूंगा....(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : क्या यह सही है कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री माननीय शिवचरण माथुर ने यह घोषणा की थी कि रामगंज मण्डी में जा करके कि चेचट को तहसील बना दिया जाय—जेल मन्त्री महोदय की उपस्थिति में। क्या यह भी सही नहीं हैं....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कई जिले और विशेष करके जहां सिचाई बढ़ी है इन पिछले वर्षों में वहां तहसीलों के अनदर बढ़ोतरी की जरूरत है। इसी प्रकार से जिलों में भी बढ़ोतरी की जरूरत है। हम गम्भीरतापूर्वक इसको सोच रहे हैं। हमने फाइनेन्स कमीशन के सामने इन सारे मसलों को रखा है। हमारे पास में डेटा तैयार हैं और हम यह करना चाहते हैं—इन प्रिन्सिपल, सरकार इसको स्वीकार कर चुकी है परन्तु इलेक्शन शुरू हो जाने के कारण से, एक प्रकार से इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि इलेक्शन के समय में हम आज चेन्जेज करें। इलेक्शन के दरमियान के अन्दर, प्रोसेस के दरमियान में चेन्जेज करना एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक नहीं होगा, वोटर लिस्टें तैयार हो गई हैं, 15 तारीख को पब्लिश हो जायगी। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है वरना आज तक जो नये जिलों की जरूरत है और नई तहसीलों की जरूरत है उसकी घोषणा हो चुकी होती....

श्री हरिकुमार औदिच्य : चुनाव तक आप कोई नई तहसील नहीं खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आ गया जवाब, बहुत स्पष्ट आ गया। क्या करें। श्री जगमाल सिंह।

एक माननीय सदस्य : घोषणा नहीं की है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री हीरालाल आर्य : क्या कालेड़ा तहसील की घोषणा नहीं की है सरकार ने। जब एक जिले में कालेड़ा तहसील की घोषणा हो सकती है तो.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दे दिया है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : यह संशोधन किया या नहीं किया... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। सुनिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपकी भावना को समझ गया। मैं यह प्रयत्न करूंगा कि नायब तहसीलों को तहसीलदार के अधिकार किस हद तक दिये जा सकते हैं, उसको हम दे देंगे। नम्बर दो, सरकार किन किन को कहां पर तहसीलें बनाना चाहती है बिलकुल डेटा हमारे पास में तैयार है, इसकी हम घोषणा कर देंगे। इसी प्रकार जिलों के बाबत में जो हमने रेकार्ड तैयार किये हैं और जो हमारे पास में तैयार हैं, इसको भी हम घोषित कर देंगे और... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी): आपके पास सामान क्या है जो घोषणा कर देंगे। सामान तो कुछ है नहीं। घोषणायें करते जा रहे हो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : यह सारी तैयारी है, केवल वोट का सौदा किये जाने की योजना है आपकी....। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन घोषणाओं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

से अब जनता विश्वास नहीं करेगी । (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : आज शाम को मैं इसकी घोषणा कर दूंगा विधिवत । (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : मुख्य मन्त्रीजी को घोषणाओं की बीमारी लग चुकी है। उसका इलाज होना चाहिए ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर ने जेल मंत्री की उपस्थिति में घोषणा की थी कि.... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : आपके पास सामान ही नहीं है। दुकान खाली है। दिवालिया हो चुकी है आपकी दुकान । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस तरह से तालियां बजा बजा करके.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जब ये घोषणाएं करने जा रहे हैं। तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर ने जो घोषणाएं की थीं उनकी पालना करेंगे या नहीं करेंगे ? मैं तो यह चाहता हूं। स्टेटमेंट देंगे सहाब आप। (व्यवधान)....मैं तो यह चाहता हूं,आप घोषणाएं कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर ने चेचट को तहसील करने की घोषणा की थी, उसको आप करेंगे या नहीं करेंगे ? यह जानकारी चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : घोषणाएं करके जनता को गुमराह करते रहते हो ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : स्पष्ट उत्तर चाहिए मुझे। आप वहां जा करके जनता के बीच में घोषणा करके आ जाते हैं और यहां....(व्यवधान)....

श्री हीरालाल आर्य : नायब तहसील इन्द्रगढ़ का सीधा उत्तर चाहिए मुझे भी ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मांग की है और मैंने उत्तर दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब स्टेटमेंट देंगे, उस समय प्रश्न कर सकते हैं....(व्यवधान)....

श्री माणक डांगी : आपकी मांगें पूरी कर रहे हैं फिर भी....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : जब कोई चीज बाकी रह जाय तो दिक्कत है....तो सब प्रश्न करेंगे ।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट उस समय पछतायेगा जब कुर्सी जायेगी छूट ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

एक माननीय सदस्य : आप चिन्ता न करें अंगूर खट्टे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज । (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : मैं मान-

(श्री मोहन छंगाणी)

कर चलता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी को काफी राजनीतिक अनुभव है। उतार-चढ़ाव से गुजर चुके हैं....(व्यवधान) मेरा पूरा ख्याल है यह भी मुख्य मन्त्रीजी जानते हैं कि अभी थोड़े महीनों के बाद राज्य चला जायेगा।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : नहीं जायगा। नहीं जायगा, राज्य कायम रहेगा।

श्री मोहन छंगाणी : इसलिये मैं चाहूंगा अनुभव के आधार पर ये जो घोषणाएं की हैं कम से कम (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : राज्य कायम रहेगा। आप जैसे लोग पार्टी में नहीं हैं।

श्री मोहन छंगाणी : बन्द कर दें। वह पूरी होगी नहीं इनसे। एक भी इनसे पूरी होने वाली नहीं है और वापिस ये राज्य में आने वाले नहीं हैं।

श्री माणक डाणी : छंगाणी जी, आप जैसे लोग पार्टी में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी : यह अनुभव एक तरफा नहीं होता है। अनुभव दुतरफा होता है। आपने भी अनुभव जीवन में लिया है और मैंने भी अनुभव जीवन में लिया है, आप देख लीजिये।

श्री मोहन प्रकाश : इसलिए आप बनाना नहीं चाहते हैं, केवल घोषणाएं करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अभी दो बातें कही हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बहस का मुद्दा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहस का मुद्दा तो हो गया। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने दो बातें कही हैं। एक तो कहा हम जिले बनाना चाहते हैं और कुछ नई तहसीलें भी बनाना चाहते हैं। नई तहसीलों के गठन की भी बात कही है लेकिन उन्होंने एक बात साफ कही कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए हम घोषणाएं नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास टिप्पणियां तैयार हैं, आंकड़े तैयार हैं, हमारी इच्छा भी है। अब मैं एक जानकारी करना चाहूंगा कि जब चुनाव नजदीक आ गये और आप स्वयं समझते हैं कि चुनाव नजदीक आने के कारण मुझे इस प्रकार की घोषणाएं नहीं करनी चाहिए फिर आप ये घोषणाएं किस आधार पर कर रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जो मैंने कहा उसको आपने सुना नहीं ठीक से और इन्टरप्रेट नहीं किया। मैंने यह कहा फाइनेन्स कमीशन को यह सारा डेटा दे चुके हैं। फीगर्स हमारे पास में तैयार हैं मगर आज हम उसको इम्पलीमेंट नहीं कर सके क्योंकि इलेक्शन के कारण से आप जानते हैं बाउन्डिग स्टेप नहीं ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी तहसील का क्या होगा, आपके जिले का क्या होगा तो जो डेटा हमने तैयार किये हैं उनको हम पब्लिक के सामने रख देंगे और जो हम पहले तैयार कर चुके हैं, फाइनेन्स कमीशन को दे चुके हैं वह सारे

(श्री हरिदेव जोशी)

डेटा आपके सामने रख देंगे और वही हमारी नीति है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका अर्थ यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, कि केवल डेटा ही राज्य सरकार हम सब लोगों के सामने रखेगी बाकी सरकार ने अभी तक कोई तहसील खोलने या जिला बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री हरिदेव जोशी : हम निर्णय ले चुके हैं। हमने अपना फैसला फाइनेन्स कमीशन को दे दिया है कि हम यह करना चाहते हैं मगर आज स्टेज यह है कि जैसे किसी तहसील को तोड़ें तो इधर-उधर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन खराब होगी। आज वोटर लिस्ट छप चुकी है उसमें डिस्टर्बेन्सेज होंगे, उतना समय है नहीं कि उनको वापस ठीक से कम्बाइन्ड करके रख सकें इसलिए हमने जो....(व्यवधान) देखिये आपने पूछा इसलिए मैंने कहा है। मेरी इच्छा नहीं थी इस प्रश्न को इस रूप में देखने की। मैंने तो आपको बतला दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात बता दें... (व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, बड़ा इम्पार्टेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह अभी कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं है। अभी वैसे ही बातें कर रहे हैं—हवा में। माननीय मुख्य मन्त्रीजी का स्टेटमेंट आयेगा....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : मुख्य मंत्रीजी हवा में बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट जब दें उससे जो संशय पैदा हो, उस समय आप उठा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समस्या पैदा नहीं होगी, समस्या तो पैदा हो गई। यह बता दें... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : नहीं तो अभी स्टेटमेंट ही कहां है। अभी तो बातें हो रही हैं। स्टेटमेंट आयेगा, वह किस लाइट में आता है, किस रूप में आता है। उसको देख करके कहें। जो शंकायें हैं उस समय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मुख्य मन्त्रीजी बता सकते हैं कि अब तक किन-किन नये जिले बनाने का और कौन-कौनसी नई तहसील खोलने का उन्होंने निर्णय लिया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं सदन के अन्दर अगर आप यह चाहते हैं कि कैटेगेरिकल स्टेटमेंट दूं तो केबिनेट की मीटिंग कर लूंगा आज क्योंकि I am an individual. मैं केबिनेट की मीटिंग कर लूंगा, आप चाहते हैं तो मैं आपको कांक्रीट स्टेटमेंट दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, केबिनेट मीटिंग का सवाल नहीं है। इसका मतलब आज तक आपने कोई निर्णय नहीं लिया।

श्री हरिदेव जोशी : हम नीतिगत निर्णय लेकर फाइनेन्स कमीशन को भेज चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह सकते थे कि केबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, निर्णय कैसे लेंगे। केबिनेट की मीटिंग नहीं हुई तो निर्णय कैसे लिया होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : नया जिला बनाने के लिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिला बनाने के लिए आप कह रहे हैं कि मैं आज केबिनेट की मीटिंग बुला लेऊंगा। इसका मतलब आज दिन तक कोई निर्णय तहसील बनाने का और जिला बनाने का नहीं हुआ है, यह है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : आप जो गलती कर चुके हैं इसको इस प्रकार से सुधारना चाहते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री हरिदेव जोशी : मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है, मैं मंत्रिमंडल का फैसला करके आपके सामने रख दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्रीजी शिलाजीत खाओ।

श्री माणक डाणी : आप लोगों ने फालतू घोषणाएं की थीं। आप लोगों ने की थीं घोषणाएं जिला बनाने की पहले, उस समय क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह, नैक्स्ट प्रश्न। स्टेटमेंट जब होगा तब आपको शंकाएं हों उस समय आप प्रश्न कर सकेंगे।

श्री सम्पत सिंह : मुख्य मंत्री जी, इतना बतायें, आपने अब तक जो घोषणाएं की हैं आते-जाते, उनकी क्रियान्विति हो गई क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह अभी प्रश्न नहीं है। अभी घोषणाएं नहीं हैं। अब तो जब स्टेटमेंट आयेगा तब प्रश्न कर सकेंगे। बिना स्टेटमेंट के काहे पर सवाल कर रहे हैं आप ? (व्यवधान) श्री यदुनाथसिंह।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्षजी, मेरा यह कहना है कि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, हम मीटिंग करके करेंगे। आज के रेडियो में यह आया है इलेक्शन कमीशन ने 8 बजे के रेडियो समाचार में यह कहा है कि हिन्दुस्तान की कोई भी सरकार न तो ट्रांसफर कर सकती है आफिसर्स का, न कोई तहसील बदल सकती है, न जिला बदल सकती है। नहीं तो आंदोलन होगा इस राजस्थान के अन्दर। अगर जिला बदलेंगे, तहसील बदलेंगे तो आंदोलन होगा। उसकी क्या रूपरेखा होगी, माननीय अध्यक्षजी, इस बात को देखें।

श्री अध्यक्ष : मोदीजी, स्टेटमेंट के आधार पर है। पहले क्या मान कर चल रहे हैं आप ? स्टेटमेंट जब हो तब आप प्रश्न प्रश्न करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सेण्टर तो यह कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए अगला प्लान बनायेंगे तो कैसे ऐलान करेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट किस लाइट में आता है यह, देखने की चीज है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह + + + सरकार को चलने देंगे। यह बिना मतलब

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की घोषणाएं करते हैं असत्य मुख्य मंत्री बन कर असत्य, असत्य घोषणाएं करते हैं। असत्य घोषणाएं करते हैं। जनता को गुमराह करते हैं + + + मुख्य मन्त्री।

श्री माणक डाणी : घनश्यामजी, 1977 वाली घोषणाएं नहीं हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्षजी, जिला बनायेंगे तो आंदोलन होगा। तहसील बनायेंगे तो आंदोलन होगा। सेण्टर ने यह कह दिया है, हम बिलकुल नया प्लान बनायेंगे, कोई मंजूर नहीं करेंगे। इससे क्या फायदा?

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, अभी यह जो चर्चा हो रही है, यह बिल्कुल निरर्थक है। यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मोदीजी से निवेदन करना चाहता हूं, यह सरकार अपने आपको डिजाल्व कराने की रूपरेखा बना रही है।

श्री अब्दुल अजीज : यह सरकार तो दिल्ली के सही आदेशों की पालना करेगी।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न और ले लेता हूं। माननीय यदुनाथ सिंह।

श्री सम्पतसिंह : माननीय मुख्य मन्त्रीजी, इतना बता दें, अब तक जो घोषणाएं करी हैं उनका क्या हुआ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप क्या इस सदन को असत्य घोषणाओं का + + + की घोषणाओं का जरिया बनने देंगे? जिस मुख्य मन्त्री को यह पता ही नहीं है कि केबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई, असत्य घोषणाएं कर रहे हैं, असत्य घोषणाएं कर रहे हैं, जो यहां पर मणिपुरी नृत्य कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : अब किस तरह की घोषणाएं आयेंगी, कैसी आयेंगी, अभी हैं कहाँ सामने? मेरे सामने कुछ नहीं है। वह स्टेटमेंट आयेगा जब मैं अलाउ करूंगा। अभी क्या हो रहा है? (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : इन्होंने घोषणाएं करी हैं, कर्जा मुक्त करेंगे, मिनिमम चार्ज खतम करेंगे, उन घोषणाओं का क्या हुआ, मुख्य मन्त्रीजी, यह बतायें आप?

श्री शिवराम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। घनश्यामजी ने बारबार एक शब्द का प्रयोग किया है जो कि गाली में होता है।

श्री अध्यक्ष : क्या है?

श्री शिवराम शर्मा : + + + शब्द का प्रयोग किया जो अंग्रेजी का अपभ्रंश है, डैमफुल का अपभ्रंश है। इनको पता है कि नहीं है? इसलिए इनको कहिये कि यह माफी मांगें।

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर देना। ऐसा शब्द आया है तो एक्सपंज कर देंगे।

एक माननीय सदस्य : जैसा जो होता है वैसा बोलता है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(22)

श्री शिवराम शर्मा : + + + का मतलब गाली होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान की सारी जनता मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी को + + + कहती है।

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर देना।

श्री शिवराम शर्मा : यह शब्द प्रयोग किया है, यह शब्द कार्यवाही से निकाल दीजिये।

श्री अध्यक्ष : + + + वगैरह ऐसा कोई शब्द आया हो तो एक्सपंज कर देना।

एक माननीय सदस्य : जो जैसा होता है वह वैसा ही कहता है। जो जैसा है वैसा ही कहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान की सारी जनता मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी को को + + + बोलती है।

एक माननीय सदस्य : + + + की संज्ञा घनश्यामजी तिवाड़ी को दे दी जाय। राजस्थान के + + + घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री अध्यक्ष : यह भी एक्सपंज करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं + + + की व्याख्या बताती हूं। वदामि न ददामि। बोलूंगा, दूंगा नहीं। + + + की व्याख्या यह है, वदामि न ददामि।

सुश्री पुष्पा जैन : यह + + + हैं।

एक माननीय सदस्य : अब तो बयालीस हो गये।

श्री अध्यक्ष : यह एक्सपंज करेंगे। + + + एक्सपंज करेंगे। इस शब्द को एक्सपंज करेंगे।

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज करेंगे।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : एक्सपंज क्यों कर रहे हैं, पिक्चर का नाम है यह।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोयय, जब प्रोवर्ब है तो एक्सपंज क्यों करवाते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह कोई पिक्चर हाउस नहीं है। It is not a Picture house.

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह सीन तो उधर से क्रियेट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न आ रहा है।

(12.00 मध्याह्न)

राज्य खनिज विकास निगम का लेखा-जोखा

5. **श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :** क्या मुख्य (खनिज) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि. में वर्ष 1987-88 में कुल कितने रुपये का लाभ हुआ ?

(2) निगम की दो सहायक कम्पनियों यथा, आर. एस. टी. डी. सी. एवं आर. एस. जी. एम. एल. को वर्ष 1987-88 तक कितना-कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथ सिंह)

(3) निगम ने कितना व कितने मूल्य का रॉक फास्फेट अपने वार्षिक लेखों में स्टाक के रूप में दर्शाया ? उक्त दर्शाये गये रॉक फास्फेट के स्टाक में से अब तक कितना व कितने मूल्य का रॉक फास्फेट विक्रय किया ?

(4) क्या यह सही है कि स्टाक में दिखाया गया बहुत सारा राक फास्फेट विक्रय योग्य नहीं था किन्तु लाभ दिखाने के लिये उसके मूल्य को वार्षिक लेखों में दर्शाया गया ?

(5) क्या यह भी सही है कि निगम द्वारा दर्शाये गये लाभ के कारण निगम ने 35 लाख रुपये का आयकर दिया ? यदि हां, तो इस आयकर की अदायगी का क्या औचित्य था जबकि निगम की दो सहायक कम्पनियां घाटे में थीं ?

(6) वर्ष 1987-88 में निगम में हुए लाभ के उपरान्त निगम की दोनों सहायक कम्पनियों के भारी घाटे को उसमें समायोजित नहीं करने के क्या कारण थे ?

खनिज मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि. में वर्ष 1987-88 में आयकर के प्रावधान के पूर्व 133.64 लाख रुपये का लाभ हुआ । जो पूर्व वर्ष से सम्बन्धित 27.54 (शुद्ध) व्ययों का समायोजन करने के पश्चात् 106.10 लाख रुपये बना ।

(2) निगम की सहायक कम्पनियां राजस्थान स्टेट टंगस्टन डवलपमेंट कार्पोरेशन और राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट एण्ड मार्बल्स लि. में वर्ष 1987–88 तक क्रमशः रुपये 40.04 लाख और रुपये 108.47 लाख का घाटा था ।

(3) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) जी नहीं । वार्षिक लेखों में वही रॉक फास्फेट का स्टाक लिया गया था जो सीधे या उन्नत करके पूर्णतः बेचने योग्य था और 26,860 टन का वह स्टाक जिसे 1985-86 में तुरन्त बेचने योग्य नहीं माना था और जिसे 1986-87 के लेखों में ले लिया गया था, अब तक करीब करीब सारा बेच दिया गया है ।

(5) अगले वर्ष 1987–88 में निगम द्वारा अर्जित लाभ पर टैक्स कन्सल्टेन्ट की राय व निदेशक मण्डल की अनुमति से 34.94 लाख रुपये का आयकर दिया गया । निगम की सहायक कम्पनियों के घाटे को निगम के लाभ में आयकर अधिनियम के तहत समायोजित नहीं किया जा सकता है ।

(6) निगम और उसकी सहायक कम्पनियां अलग-अलग ज्यूरिस्टक व्यक्ति हैं और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उनके द्वारा देय कर अलग-अलग निर्धारित होता है । एक दूसरे के लाभ हानि को समायोजित करना आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मान्य नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो इन कम्पनियों की हालत बना दी गई है---

श्री अध्यक्ष : जवाब कम्पलीट आ गया है । कमलाजी ऐसा जवाब नहीं देती हैं । बहुत स्पष्ट जवाब आ गया ।

श्री यदुनाथ सिंह : यह कम्पनियां जब

(श्री यदुनाथ सिंह)

बनाई गई थीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय शेखावत सहाब जब मुख्य मन्त्री थे उस समय यह तय किया गया था जब-जब आपने लाभ कमाया है, तब आपने लाभ कमाया है, जब टैक्नोक्रेट आपके यहां पर व्यवस्थापक रहे हैं और जब टैक्नोक्रेट व्यवस्थापक नहीं रहे हैं, ब्यूरोक्रेट व्यवस्थापक रहे हैं तभी इन कम्पनियों का भट्टा बैटता चला गया, घाटा होता चला गया। चार नम्बर के प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि 85-86 में तुरन्त बेचने योग्य नहीं पाया गया था फिर बाद में आपने उसको परिष्कृत किया या क्या किया बाद में आप कह रहे हैं कि उसको 86-87 के लेखों में जोड़ लिया गया है। अब सारा का सारा माल करीब करीब बेच दिया गया है। जब वह स्टोर में था तो तुरन्त बेचने योग्य नहीं था और बाद में बेचने योग्य कैसे हो गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने सहायक कम्पनियों को अलग बनाया उस समय उन कम्पनियों की क्या उपयोगिता थी ? जब अभी आपने यह बताया कि आयकर के के हिसाब से उन कम्पनियों का घाटा और इस कम्पनी का नफा दोनों को आप मिला नहीं सकते तो क्या राज्य सरकार अब यह सोचेगी कि उन सहायक कम्पनियों को इस कम्पनी में मिला दिया जाय ?

श्री भुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष-जी, जब अलग-अलग कम्पनियां बनाई और उन कम्पनियों में यह नहीं देखा जैसे ग्रेनाइट में घाटा है। उस वक्त जब रिपोर्ट दी थी नीचे के अफसरों ने तो ग्रेनाइट के अन्दर घाटा दिखाया था वहां एम. डी. बैठे थे और दूसरे लोगों ने कहा कि इसके अन्दर मशीनें खरीदी जाय और जालौर में काम चालू किया जाय और सरासर दिखता था कि इसमें घाटा होगा फिर भी मशीनें खरीदीं और वह एक दिन भी, दो महीने भी नहीं चलीं और उन मशीनों को आधी से भी नीची कीमत में सरकार ने बेचा और इसी तरह से जालौर में आज के पेपर में था कि इतने लाख मजदूरों को दिये। तो आपको अलग-अलग कम्पनियां बनाने की क्या जरूरत थी ? टंगस्टन की अलग कम्पनी बनाई उसमें अलग आफिसर बैठाये। तो इनको अलग-अलग कम्पनी बनाने की जरूरत क्या थी? अगर यह सरकार बिजनेस से करती है तो किसी में लाभ होता है, यह बनिया इस तरह की बात करता है, बिजनेसमैन इस तरह की बात करता है। अगर सरकार को करना था तो एक कम्पनी के अन्दर टंगस्टन को रखते। पहले एक कम्पनी थी और इन्होंने अलग-अलग अपने अफसरों को बैठा कर उनके अन्दर नुकसान किया यह सरकार की गलती है। एक कम्पनी थी पहले। अलग अलग कम्पनियां बनाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय कमला जी।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह अलग कम्पनियां बनाई गई उनकी क्या पृष्ठभूमि थी इनको क्यों अलग बनाने की उपयोगिता सोची गई इसके बारे में तो पूरा विवरण मैं अभी देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन कम्पनियां अलग बनाई गई इसलिए

(श्रीमती कमला)

कि इनको चला कर हम अच्छा उपयोग ले सकेंगे लेकिन किन-किन कारणों से उपयोग नहीं किया जा सका और क्या-क्या फैक्टर्स ऐसे थे जिससे कम्पनी में घाटा पड़ने लगा और उसमें से एक कम्पनी को तो बन्द करने जैसी भी स्थिति आई, दूसरी कम्पनियों में कितना सुधार लाया जा सकता है इसके बारे में विचार-विमर्श चल रहा है। कुछ कार्यवाही करना प्रस्तावित है।

दूसरा जो माननीय सदस्य ने पूछा कि पहले तो आपने तत्काल इसको बेचा जाना सम्भव नहीं पाया और फिर कैसे कर दिया। इसमें से जितना परिष्कृत या उन्नत करके बेचा जा सकता था उसको हमने उसी दर से बेचा और जो नहीं बेच पाये थे उसे थोड़ी कम रेट पर बेच कर जो वर्षों से इतना बड़ा स्टॉक बिना बेचे पड़ा हुआ था उस सारे को बेच कर लाखों रुपयों का मुनाफा कंपनी ने लिया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र श्री हरिदेव जोशी।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं, क्या अगला प्रश्न स्थगित किया गया है....

श्रीमती कमला : हां, अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को आप पढ़िये बहुत लम्बा और विस्तृत जानकारी का है।

श्रीमती विद्या पाठक : यह सिर्फ रिकार्ड का प्रश्न है जो कहीं बाहर से नहीं मंगाना है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नं. 6 क्या स्थगित किया गया है?

श्री अध्यक्ष : हां।

श्रीमती विद्या पाठक : यह कब लिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : अब देखेंगे।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इसका पोस्टपोनमेंट मांगा है। इसको पढ़ें तो सही कितनी लम्बी सूचना डिटेल में मांगी है....

श्रीमती विद्या पाठक : जब अखबार इसकी सूचना दे सकते हैं तो सदन में सरकार क्यों नहीं दे सकती?

श्री अध्यक्ष : आप इसको शॉर्ट कर दीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : शॉर्ट का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर अखबार में पूरी जानकारी आपके रिकार्ड से ली जा सकती है तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे सकती। आपने कहा कि पोस्टपोन किया जायेगा तो इसको कब लिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : छठा और नौवां यह दो प्रश्न स्थगित किये हैं। इनका मैं देखकर करूंगा। मैं सरकार से बात करके....

श्रीमती विद्या पाठक : क्या कर लेंगे, कल से सदन समाप्त होने जा रहा है? क्या आप इसको कल लेने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : मैं कोशिश करूंगा। I will try.

श्रीमती विद्या पाठक : क्या पता करेंगे अध्यक्ष महोदय? आपका तो वर्ड ही चलेगा। यह प्रश्न ऐसा है जो इनके रिकार्ड में तैयार है।

श्री अध्यक्ष : मैं सम्बन्धित विभाग से बात करके ट्राई करूंगा ताकि जल्दी आये ।

श्रीमती विद्या पाठक : विभाग की जरूरत ही नहीं है । इस प्रश्न का उत्तर सरकार में तैयार है । यह मेरी जानकारी है । सरकार जवाब देना नहीं चाहती । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सदस्या, आप यह आशंका नहीं करें कि जवाब नहीं देना चाहते । आप खुद अपना सवाल पढ़ें पिछले पांच वर्षों में जिलेवार अपराध की संख्या नाम-वार, वर्षवार, घटनावार इतने ब्यौरे मांग रखे हैं । इसमें नही देने की कोई आशंका नहीं है । इतना लम्बा है....

श्रीमती विद्या पाठक : यह सरकार के रिकार्ड में है । कहें तो मैं निकलवा कर दे दूं आपको ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कोशिश करूंगा ।

श्री गणेशलाल बैरागी : अध्यक्ष महोदय, स्थगित किया है तो कब आयेगा यह तो बता दें ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यहां कोई जवाब नहीं दे सकूंगा । (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पुलिसकर्मियों के द्वारा चोरी, डकैती, बलात्कार किये जा रहे हैं । सारी तो लिस्टें थानों में लगी हुई है । हर थाने में, हर आई. जी., डी. आई.जी., के चैम्बर में लगी हुई है इनको कौनसी देर लगती है इसे प्राप्त करने में । अगर प्राप्त नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप उनको बढ़ावा देना चाह रही है कि पुलिसकर्मी अपराध करें, आप बढ़ावा देना चाहती हैं ।

श्रीमती कमला : यह आशंका और किसी के लिए करिये... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर तो नहीं, वैसे ही बोलिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह निवेदन करूंगा कि मैंने आज आपको एक स्थगन प्रस्ताव भेजा उसमें....मेरी आप सुन लीजिए, उसके बाद व्यवस्था करिये । बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष : आपको कौन से नियम में सुनूं, बता दीजिये ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नियम यह है, अध्यक्ष महोदय, कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिये थे कि जो चुनाव अधिकारी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने में लगे हुए हैं उनका किसी प्रकार से ट्रांसफर नहीं किया जायेगा । और राज्य सरकार ने चुन-चुन कर उन अधिकारियों के स्थानांतरण किये हैं....

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन कल आयेगा, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार जिस ढंग से ट्रांसफर कर रही है और उन्होंने कारखाना खोल रखा है....

श्री अध्यक्ष : यह इस वक्त नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप इसकी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : इस समय सवाल नहीं होंगे।

सदन की अवमानना
विशिष्ट दर्शक दीर्घा से नारे

(विशिष्ट दर्शक दीर्घा से शिक्षा विधेयक के सम्बन्ध में नारे)

(समय 12.08 म. प.)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों के रिक्त पद

(1) श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 के पश्चात् राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं ली गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या कार्मिक विभाग को यह जानकारी है कि विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में काफी संख्या में हिन्दी आशुलिपिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने व कब तक की सूचना के अनुसार?

(3) अब जबकि राज्य सरकार ने नियुक्तियों पर से प्रतिबन्ध उठा लिया है, क्या सरकार विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त आशुलिपिकों के पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग को परीक्षा लेने हेतु अनुरोध करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1983–84 के पश्चात् मार्च, 1988 तक विभिन्न अधीनस्थ विभागों से प्रशासनिक सुधार विभाग के पास रिक्त पदों की "शून्य" सूचना थी। रिक्त पदों की शून्य सूचना होने के कारण परीक्षा आयोजित कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां, अप्रेल 88 से अब तक की सूचना के अनुसार राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों के 68 पद रिक्त होना सूचित किया गया है।

(3) प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को हिन्दी आशुलिपिकों की परीक्षा आयोजित करने हेतु अर्थना भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जायल पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे

(2) श्री प्रभुलाल (नैनवां) : क्या मुख्य (गृह) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस थाना जायल जिला नागौर में 1 जनवरी, 1989 से 15 दिसम्बर, 1989 तक कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए?

(श्री प्रभुलाल)

(2) उक्त मुकदमे किस-किस माह में किस-किस व्यक्ति द्वारा किस-किस के खिलाफ दर्ज हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मुकदमों में से कितनों का चालान हुआ, कितनों में एफ. आर. लगी तथा कितने सी. आई. डी. में ट्रांसफर हुए ? मय तारीख विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1, 2 व 3) वांछित सूचना का विवरण संलग्न परिशिष्ट में अंकित है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नावां पुलिस थाना में दर्ज रिपोर्ट

(3) **श्री हरीश चन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या मुख्य (गृह) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि, नावां तहसील के ग्राम कूणी से सादुला पुत्र घीसा मीणा की संदिग्ध मृत्यु पर उसकी पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट के बावजूद भी पुलिस ने झूठी एफ. आर. दे दी थी, जिस मामले को गत जुलाई के सत्र के दौरान रखने पर सरकार ने दोबारा जांच कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या जांच की गई ? इस सी. आर. नं. 54/89 धारा 302 में अब कब तक चालान कर दिया जावेगा ?

(2) क्या इस मामले में हत्या के चश्मदीद गवाह सुरजा पुत्र भूंथा बनबागरिया निवासी कूणी को मुल्जिम पार्टी के जान से मार देने की कोशिश करने पर थाना नावां में दिनांक 29-8-89 को एफ. आई. आर. पेश होने पर दर्ज की गई ? यदि हां, तो अब तक उस रिपोर्ट पर थाना नावां ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की तो क्यों और सम्बन्धित पुलिस थाने के अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) पुलिस द्वारा पूर्व में एफ. आर. अदम वकु दी गई थी। अभियोग सं. 54/89 धारा 302 भा. द. सं. थाना नावां जिला नागौर का पुनः अनुसंधान राज्य अपराध शाखा द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान पूर्ण होने पर यथोचित अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(2) दिनांक 29-8-89 को सुरजाराम पुत्र भूंथाराम, बनबागरिया साकिन कूणी द्वारा नुकशे अमन की रिपोर्ट पुलिस थाना नावां में पेश करने पर एक इस्तगासा मुल्जिम पार्टी के विरुद्ध 107/116 (3) जा. फो. के तहत ए. सी. एम. कोर्ट नावां में दिनांक 31-8-89 को पेश किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा विचाराधीन न्यायालय है।

(इस्तगासा की प्रति विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

भोपालगढ़ पुलिस थाना प्रभारी के विरुद्ध शिकायतें

(5) **श्री नारायणराम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या मुख्य (गृह) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में एस. एच. ओ. भोपालगढ़ के खिलाफ गत एक वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायणराम बेड़ा)

(2) क्या यह सही है कि 26 नवम्बर, 1989 को श्री जोधाराम व मदनलाल द्वारा एक अन्य शिकायत उप महानिरीक्षक, जोधपुर को की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से करवाई गई थी ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायत पर एस एच. ओ. भोपालगढ़ को निलम्बित भी किया गया था ? यदि हां, तो वे कितने समय तक निलम्बित रहे ? क्या उक्त एस. एच. ओ. को तीन दिन तक ही निलम्बित रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) उन्हें वापिस बहाल किन पुलिस अधिकारियों के आदेश से किस आधार पर किया गया ?

(6) उक्त एस. एच. ओ. के विरुद्ध अन्य शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) एस. एच. ओ. भोपालगढ़ के विरुद्ध गत एक वर्ष में चार शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों की छाया प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है।

(2) जी हां,। इन शिकायत प्रकरणों पर अपर पुलिस अधीक्षक देहात से जांच करवाई गई।

(3) जी हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर दी गई है।

(4) जी हां। एस. एच. ओ. भोपालगढ़ को दिनांक 1-12-89 को निलम्बित किया गया और दिनांक 5.12.89 को पुनः बहाल किया गया। एस.एच. ओ. के विरुद्ध जांच में काफी समय लगने की सम्भावना को देखते हुए प्रशासनिक आधार पर एस. एच. ओ. को बहाल किया गया।

(5) पुलिस उप महानिरीक्षक, जोधपुर रेन्ज जोधपुर के आदेश से पुनः बहाल किया गया।

(6) एस. एच. ओ. के विरुद्ध अन्य शिकायत पर जांच कराई जा रही है।

कल्याण सुन्दरम् सीमेन्ट फैक्ट्री बारी, बांसवाड़ा

(8) **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल): क्या मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कल्याण सुन्दरम् सीमेन्ट फैक्ट्री बारी-बांसवाड़ा बन्द है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) इस उद्योग पर कितना ऋण बकाय है एवं इसे कब-कब कितना-कितना अनुदान दिया गया है ?

(3) इस फैक्ट्री के चालू कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

उत्तर

(1) जी हां। यह फैक्ट्री अगस्त, 1989 से निरंतर बन्द है। इसके पूर्व यह फैक्ट्री 15-5-87 से 12-8-88 एवं 24-2-89 से 27-4-89 तक उत्पादनरत नहीं रही। उपलब्ध जानकारी के अनुसार

(मुख्य मन्त्री)

उक्त उद्योग के बन्द होने के प्रमुख कारण निम्न रहें हैं :—

सीमेंट उद्योग में वर्ष 1985 से अनपेक्षित आम गिरावट, कोयले के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि, भारत सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में 60 प्रतिशत की छूट वापिस लेना, समय-समय पर बिजली कटौती, श्रमिक समस्याओं, परियोजना लागत में अप्रत्याक्षित वृद्धि, कुप्रबंध व्यवस्था एवं स्वीकृति क्षमता की तुलना में कम क्षमता का उपयोग आदि के कारण कम्पनी में घाटा होता रहा जिसके फलस्वरूप कम्पनी का चालन बन्द हो गया।

(2) कम्पनी की बेलैंस सीट वर्ष 1988-89 के अनुसार 31-3-89 तक कम्पनी के विरूद्ध 680.47 लाख रु. बकाया थे। कंम्पनी को केंद्रीय विनियोजन अनुदान के रूप में 15 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई जिसका वितरण वर्ष 1984-85 में किया गया।

(3) कम्पनी द्वारा सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 1985 के अन्तर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण मण्डल (बी. आई. एफ. आर.) जो रुग्ण इकाइयों के लिये भारत सरकार द्वारा गठित एक शीर्ष न्यायाधिकरण है को प्रसंग किया गया। बी. आई. एफ. आर. द्वारा सभी संबंधितों की सुनवाई के पश्चात् उक्त इकाई को रुग्ण घोषित कर भारतीय औधोगिक पुर्ननिर्माण बैंक (आई. आर. बी. आई.)/ बैंकों व राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों को पुनर्चालन हेतु योजना बनाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर बी. आई. एफ. आर. द्वारा लिये जाने वाले निर्णय पर कम्पनी का पुर्नचालन निर्भर करेगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार इस रूग्ण इकाई को सुविधा एवं सहायता उपलब्ध करायी जावेगी।

करौली तहसील के लीज होल्डर्स पर सरफेस रेंट की बकाया

(9) श्री शिवचरण सिंह (करौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली तहसील क्षेत्रान्तर्गत कितनी-कितनी राशि किस-किस खनन लीज होल्डर पर सरफेस रेन्ट की बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस बकाया की वसूली की क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील करौली क्षेत्र में 56 व्यक्तियों पर सरफेस रेंट की कुल राशि रुपये 6747.00 बकाया चल रही है। चाही गई सूची संलग्न है।

(2) सरफेस रेन्ट की बकाया की वसूली के लिये माँग पत्र एवं कुर्की वारन्ट जारी करने के साथ-साथ पटवारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

करौली खनिज अभियन्ता के क्षेत्रान्तर्गत वसूली योग्य राशि

11. श्री शिवचरण सिंह (करौली) : क्या मुख्य (खनिज) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवचरण सिंह)

(1) खनिज अभियन्ता करौली क्षेत्रान्तर्गत कितनी रकम वसूली योग्य बकाया है ?

(2) कितनी रकम भूमि-कर की बकाया है व कितनी रकम खनिज रायल्टी पेटे बाकी है ?

(3) किस-किस लीज होल्डर पर कितनी-कितनी रकम बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) दिनांक 21-7-1989 को लगभग 91 लाख रु. रकम वसूली योग्य बकाया है ।

(2) दिनांक 21-7-1989 को भूमिकर लगभग 74 लाख रु. एवं रायल्टी लगभग 16 लाख रु. बकाया थी ।

(3) दिनांक 21-7-1989 को खनन पट्टाधारी की तरफ बकाया रकम के विवरण की सूची अ, ब संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री दिनेश चन्द्र दलेला, (सचिव, राजस्थान विधानसभा) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है —

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

(1) राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1989

(2) रजिस्ट्रेशन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1989

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त प्राप्त विधेयक :

(1) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1988

(2) राजस्थाव विनियोग (संख्या-3) विधेयक 1989

(3) नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1988

(4) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1988

(5) राजस्थान अभिघृति (संशोधन) विधेयक, 1989

(6) राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक 1989

(7) जयपुर विकास प्राधिकारण (संशोधन) विधेयक, 1988

(8) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1989

(9) राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1989

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश । माननीय श्री हरिदेव जोशी ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश सं. 8) सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला ।

श्रीमती कमला (पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मन्त्री): अध्यक्ष महोदय,मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं ।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

राजस्थान सरकार की घोषणाएं

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी अधिसूचनाएं जो सदन की मेज पर रख दी जायेंगी उसके बाद में शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव लिया जायेगा । इस प्रकार से एक शोकाभिव्यक्ति के वातावरण में मैं कोई विशेष विवाद नहीं खड़ा करना चाहता लेकिन मैं इतना मुख्य मन्त्रीजी से जानना चाहूंगाकि इस चुनाव से लेकर अब तक राजस्थान की सरकार ने क्या-क्या घोषणाएं की हैं ? उन सारी घोषणाओं के सम्बन्ध में सूचनाएं व जानकारी इस सदन की पटल पर रखी जायं और उसके साथ ही यह बताया जाय कि 1989-90 के बजट में कितना प्रावधान था ? क्या बजट के समय घोषणाएं की गई थीं ? इन घोषणाओं के फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स क्या हैं ? राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय कब-कब लिये हैं ?

मैं इसी के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन स्थानांतरणों के सम्बन्ध में यहां पर बात कही है, मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह भी जानकारी करना चाहूंगा कि इस चुनाव के बाद अब तक किस-किस प्रकार के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के उन्होंने स्थानांतरण किये हैं, उन स्थानांतरणों के आदेश भी इस सदन की मेज पर रखे जायं । यह आवश्यक इसलिए हो गया, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में कहा कि वह बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन चुनाव आने के कारण से वह नहीं कर पा रहे हैं । यह बात मुख्य मन्त्रीजी को जब उनके मुख्य मन्त्री पद पर नियुक्ति हुई उस समय से ही यह आरम्भ हो गई थी । मुख्य मन्त्रीजी ने उसके बाद लगातार जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं यह बात सही है कि विपक्ष के घोषणा-पत्र के अनुसार उन्होंने आचरण करने का संकल्प लिया है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । यही सरकार है, अध्यक्ष महोदय, जो इन घोषणाओं के सम्बन्ध में इसी सदन में जब हमने मांग की तो एक बार नहीं कई बार तत्कालीन मुख्य मन्त्रीजी ने और स्वयं मुख्य मन्त्री इन्होंने इसी सदन में उन घोषणाओं को जो हमने मांग की उन मांगों के औचित्य को स्वीकार नहीं किया । यह हम जानते हैं कि यह जनता का दबाव है और यह जनता को भ्रमित करने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं । इसका तो जनता जवाब देगी लेकिन मैं यहां मुख्य मन्त्रीजी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से यह जानकारी करना चाहूंगा कि इन अधिसूचनाओं के साथ अच्छा होता कि राज्य सरकार अपनी ओर से सारे आदेश, आज्ञाएं, अधिसूचनाएं, नियम, उप नियम और अधिनियम उन सब के प्रारूप यहां सदन की मेज के ऊपर रखती लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्य मन्त्रीजी ने इस बात को नहीं रखा। मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा और आपसे संरक्षण चाहूंगा कि सरकार कल सारी विज्ञप्तियां और सारे ट्रांसफर के आदेश इस सदन की मेज पर रखे। यह सरकार से भी आग्रह है और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को इस प्रकार की सद्बुद्धि दें कि वे आगे जो कार्यवाही करें वह नहीं करें सारे आदेशों को इस सदन की मेज पर कल तक रखे जायं ताकि उनके ऊपर विस्तार से चर्चा की जा सके। क्योंकि अभी तक सब अंधेरे में हैं। मुख्य मन्त्रीजी को मैं इतना ही कह सकता हूं, एक भी निर्णय और एक भी घोषणा ऐसी नहीं हुई है जिसमें मन्त्रिमण्डल के सामने कोई ज्ञापन पेश नहीं किया गया हो या मन्त्रिमण्डल की मोहर नहीं लगी हो। मुख्य मन्त्रीजी के पास आई और शाम को घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद अध्यक्ष महोदय, एक प्रोसीजर है, मुख्यमन्त्री संविधान के अन्तर्गत और नियमों के अन्तर्गत कितने अधिकृत हैं उसके बारे में मैं कोई चुनौती नहीं देता लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सचिवालय की भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार ये सारे निर्णय हो सकते हैं, उस प्रक्रिया के अनुसार ही विचार-विमर्श हो सकता है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई जवाब दें उस समय अपना जवाब दे दें लेकिन जो घोषणाएं हैं वे सारी की सारी इस सदन की मेज पर रखी जायं और जो ट्रांसफर के आदेश हुए हैं जैसा कि अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह तो व्यवसाय हो गया। मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान में आज सारी सर्विसेज बेचैन बैठी हैं। रात को किसी को पता नहीं कि सुबह उठते ही मेरे स्थानांतरण के आदेश जारी नहीं हो जायं, सब में अनिश्चित्ता पैदा कर दी, प्रशासन ठप्प हो गया और गरीब जनता की और आम जनता की कहीं सुनवाई नहीं होती। सचिवालय में जाओ तो कोई मन्त्री का कमरा ऐसा नहीं होगा जिसमें 100-100 आदमी ट्रांसफर की लिस्ट लेकर के नहीं बैठा हो। ऐसी स्थिति में प्रशासन को तो मुख्य मंत्रीजी आपने ठप्प कर दिया और आपको ठप्प करेगी जनता। वह मौका आयेगा फिर इस बात का पता लग जायेगा लेकिन आपसे यह उम्मीद कम से कम नहीं थी कि आप इस प्रकार की घोषणाएं चुनाव के अवसर पर करेंगे। इन घोषणाओं के लिए मैं आपसे निवदन करना चाहता हूं कि सारी की सारी इस सदन की मेज पर रखी जायं।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्षजी, यह जो इम्पार्टेण्ट सवालात सरकार के सामने रखे हैं उससे भी ज्यादा इम्पार्टेण्ट जयपुर के दंगें और लाडनूं के दंगों के बारे में भी सरकार को अपना उत्तर देना चाहिये, यह मेरा सवाल है।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कल आपसे निवेदन कर चुका हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल नहीं आज ही।

श्री हरिदेव जोशी : आज सवेरे मैंने निवेदन किया था कि मैं ये अध्यादेशों और इसके सिवाय यह चाहता हूं कि सदन के अन्दर एक स्टेटमेण्ट दूं... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : रुपये लेकर जो ट्रान्सफर करते हो यह कब बन्द करेंगे यह बताओ आप तो।

श्री अध्यक्ष : सुनिये पहले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रोज ट्रान्सफर कर रहे हैं, रोज पैसे खा रहे हो.... (व्यवधान) रोज पैसा खाते हो, रोजाना ट्रान्सफर करते हो।

श्री अध्यक्ष : पहले सुनिये, माननीय सदस्य।

श्री पंकज पंचोली (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय खड़े हैं बोलने के लिए, आप उनको बैठाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले सुनिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंजमण्डी): ट्रान्सफर से उधर तो कर्मचारी परेशान हैं, अधिकारी परेशान हैं और ये पैसा बना रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ट्रांसफर कर रहे हैं जिस का चाहे ट्रांसफर कर दिया। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह टालने वाली बात नहीं है, ट्रांसफर से सरकारी खजाने पर भी असर पड़ता है और उधर कर्मचारी परेशान होता है।

एक माननीय सदस्य : ट्रांसफर तो ये खुद ही करवाते हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप इनको आदेश दीजिये कि ट्रांसफर बन्द करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि मैं कल दो स्टेटमेण्ट दूंगा....

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, यह तो चिन्ता इधर अधिकारियों के ट्रांसफर की है और उधर मुख्य मन्त्रियों के ट्रांसफर की हो रही है। चुनाव के बाद तो दबादब....

श्री हरिदेव जोशी : एक तो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिये हैं उसके बारे में मैं....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चुनाव आयोग की बात भी नहीं मानते, मुख्य मन्त्री ऐसे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : दूसरे राजस्थान में साम्प्रदायिक जो घटनाएं हुई हैं उनके ऊपर मैंने आपसे यह निवेदन किया था....

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल (निवाई) : यह क्या करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, जितने भी साम्प्रदायिक दंगे लाडनूं और जयपुर में हुए हैं। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मेरा पत्र आपको आज मिल रहा है....

श्री अध्यक्ष : सुनिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हरिदेव जोशी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के पास जाओ और ट्रांसफर कराओ। (व्यवधान) आप जवाब क्या देंगे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, आप तो ट्रांसफर के बारे में कहलवाइये कि ट्रांसफर नहीं करेंगे। ट्रांसफर का धन्धा बन्द करायें। राजस्थान की जनता पर 42 आदमियों की फौज खड़ी कर दी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह+++ (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : ट्रांसफर करके अधिकारियों का खून चूस रहे हैं, अधिकारियों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। आप ट्रांसफर को रोकने के लिए....

श्री पंकज पंचोली : पहले सदन के नेता महोदय की सुन लें आप। (व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : टौंक जिले के अन्दर एक एक मास्टर की पोस्टिंग करने का 15-15 हजार रुपया ले रहा है टौंक जिला प्रमुख....। (व्यवधान) उन्होंने दुकान लगा रखी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, चुनाव आयोग का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री शिवराम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह ट्रांसफर का धन्धा कब बन्द करेंगे। रोज 30-40 ट्रांसफर करते हैं। यह धंधा कब बन्द करेंगे।....आपने मखौल बना रखा है प्रशासन को....(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी :....इस तरह से लोगों की आवाज बन्द करना चाहते हैं और अपने को डेमोक्रेट कहते हैं....

श्री हरिकुमार औदिच्य : आज इसका असर जनता पर पड़ रहा है और आपने मखौल बना रखा है। प्रशासन की केवल मात्र फौज इसलिए खड़ी की है, केवल ट्रांसफर करने के लिए....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब मखौल बना रखा है, लूट कर खा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : मेरे टोंक जिले में एक-एक मास्टर का पदस्थापन करने के लिए 15-15 हजार रुपये लिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब जरा मुख्य मन्त्रीजी क्या कह रहे हैं, पहले सुनिये। (व्यवधान) सदन के नेता बोल रहे हैं, बीच में इन्ट्रप्शन अच्छा नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी सदन के नेता नहीं यह तो ट्रांसफरों के नेता बोल रहे हैं। चुनाव आयोग के कानूनों को तोड़ने वाले नेता बोल रहे है, यह चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाने वाला नेता बोल रहे हैं यह, यह सदन के नेता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता बोलते सब शांत रहते हैं। अब माननीय सदन के नेता बोल रहे हैं तो बीच में इन्ट्र-

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

प्शन हो रहा है। मैं चाहूंगा इस प्रकार से नहीं हो, यह अच्छी बात नहीं है, गलत परम्परा है।....(व्यवधान) बैठिये आप। नोट नहीं किया जाय।

श्री हरिकुमार औदिच्य : × × ×

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल: × × ×

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे। ····यह गलत परम्परा है। माननीय विपक्ष के नेता बोलते हैं....(व्यवधान) आप बैठिये। नोट नहीं हों।

श्री हरिकुमार औदिच्य : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह गलत परम्परा है। नोट नहीं करेंगे।

श्री पंकज पंचोली : सदन के नेता बोल रहे हैं, कह रहे हैं और ये सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल: × × ×

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये आप। नोट नहीं हो रहा है। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय विपक्ष के नेता जब बोलना चाहते हैं तो बीच में, इन्ट्रप्शन में, उसको स्टाप करके मैं मौका देता हूं सबको बड़ी तसल्ली से, जब सदन के नेता बोलना चाहें और नहीं सुनें तो यह अच्छी परिपाटी नहीं है। बहुत गलत परिपाटी है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : × × ×

श्री हीरासिंह चौहान : × × ×

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे। इस तरह से कार्यवाही नहीं चलेगी। बहुत गलत परम्परा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, पहले माननीय मुख्य मन्त्रीजी बोलेंगे। पहले उनका स्टेटमेंट। इन्ट्रप्शन करेंगे तो मैं निवेदन करता हूं कि आप चाहते हैं कि माननीय नेता खड़े हों और विपक्ष ऐसा करे? इसको पसन्द करेंगे क्या? बहुत गलत बात है। मैं बीच में मुद्दे को छोड़ कर मौका देता हूं। दोनों पक्ष-विपक्ष के जो बात कहेंगे, उसको सुनना पड़ेगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं सुनूंगा। नोट नहीं हो रहा है। माननीय विपक्ष के नेता ने सवाल रख दिया, माननीय सदन के नेता जवाब देना चाह रहे हैं,बीच में आप बोलेंगे? नॉट अलाउड। बिलकुल नोट नहीं करेंगे, किसी का भी नोट नहीं करेंगे।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : × × ×

श्री महेन्द्र शास्त्री : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : × × ×

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। शांति... अब कितनी देर टाइम और लेना चाहते हैं, मैं टाइम देता हूं बिना नोटिंग के, या सुनना चाहेंगे ? माननीय मुख्य मन्त्री जी। माननीय सदन के नेता।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने कुछ प्रश्न यहां उठाये। मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने पिछले दिनों निर्णय लिये, उनके बारे में मैं सदन को एक्वेन्ट करना चाहता ही था और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था, कल शाम को मुझे थोड़ा समय दिया गया था। मैं राज्य में जो साम्प्रदायिक स्थिति पैदा हुई, उसके ऊपर राज्य सरकार क्या सोचती है, क्या मदद चाहती है, उस बारे में भी आपसे निवेदन करके कहना चाहता था। इसी प्रकार से जो कुछ भी पिछले महीने में निर्णय लिये हैं, उन निर्णयों को यहां पर, क्यों निर्णय लिये, कैसे निर्णय लिये, इनकी किस तरह से क्या परिणति होगी, उसके बारे में भी साफ-साफ बात कहना चाहता हूं। क्योंकि मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता था और सदन को विश्वास में लेकर के उसका सहयोग चाहता था, मगर दुर्भाग्यवश.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस समय प्रश्न नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपके निर्णयों का औचित्य क्या है, यह बता दीजिये। आप की सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है काम करने का और आप जो निर्णय ले रहे हैं, उनका औचित्य बता दीजिये। आप केवल निर्णयों के औचित्य पर ही आ जाइये तो मालूम पड़ जायेगी सारी बात।

श्री हरिदेव जोशी : आपसे मैं सहमत नहीं हूं। आप एक राय रखते हैं, मैं एक राय रखता हूं। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। मगर, अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष में कुछ लोग जो हैं,वह इस बात से कुड़मुड़ा गये हैं। परेशान हो गये हैं। पहले वह यह सोचते थे, लोगों को धमकाते थे कि हम कल आ रहे हैं, आज वे यह महसूस कर रहे हैं कि मामला गड़बड़ है। मैं विरोधी दल के माननीय नेता से यह कहता हूं कि आप अगर कोई उचित काम करते हैं तो हमको सोचने का अधिकार नहीं है ?

श्री यदुनाथ सिंह : चलो सद्‌बुद्धि तो आयी।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूं, अगर कहीं कोई सही बात हुई है, तो उसको स्वीकार करता हूं, मगर मैं किसी की आवाज बन्द नहीं करता....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ट्रांसफर करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मगर आज सारे राजस्थान और हिन्दुस्तान को यह महसूस हो गया है कि जहां पर बी. जे. पी. बैठी हुई है वहां पर आदमी की आवाज का गला

× × × माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिदेव जोशी)

घोटा जाता है। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और, गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि....

श्री देवीसिंह भाटी : कान्ता खतूरिया से क्या ऐसा विशेष लगाव था जो उसको राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया ? यह बिलकुल नैतिकता के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें भाटी जी। बीच में इन्ट्रप्ट नहीं करें।

श्री हरिदेव जोशी : जो लोग विश्वास करते हैं, वे सज्जनता का व्यवहार करते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं जवाब दे रहा हूं। आपका व्यवहार असज्जनता का था, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जो प्रश्न पूछे उनका जवाब दीजिये। जो सवाल विरोधी पक्ष के नेता ने स्पेसिफिक पूछे हैं, उनके जवाब दे दीजिये आप। आप स्पेसिफिक सवालों के जवाब दीजिये। आपको स्पेसिफिक सवाल पूछे गये हैं जो आपने घोषणाएं की, क्या आपकी केबिनेट में उसका मेमो तैयार हुआ, क्या उनका बजट में प्रावधान है, क्या यह बात सही नहीं है कि आपने ऋण वसूली करने में ज्यादती को रोकने से भी सदन में मना किया। माफी की तो बात ही छोड़िये आप।

श्री हरिदेव जोशी : वह तो मैं कल स्टेटमेंट दूंगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्या यह बात सत्य नहीं है कि माथुर साहब को, जो "घोषणा–मुख्य मन्त्री" थे, उनको भी सर-पास करके आप "सुपर घोषणा-मुख्य मन्त्री" बन गये हैं, तो इनको आप स्पेसिफिक जवाब दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं सरपास करूं, आपको बिलकुल शिकायत नहीं है, आपको क्यों शिकायत है, उनको शिकायत नहीं है, आपको शिकायत क्यों है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में डेमोक्रेसी कहां है, 21 साल से जिस संस्था में चुनाव हुए, जिस संस्था ने डेमोक्रेसी का गला घोट दिया....तो आप जवाब दिलवाइये। पालिटिकल बातचीत नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय भाभड़ा जी। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक ही निवेदन करता हूं....

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं। पिछले पांच अक्टूबर को उस वक्त के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी मेरी कान्स्टीट्यूएंसी भादरा-भिरानी के अन्दर आये थे, सिद्धमुख नहर का शिलान्यास किया। जोशीजी, उस सिद्धमुख नहर का नामोनिशान कहीं कागजों में है क्या और उसके बाद आपने कोई काम करवाया है क्या ? काहे को ऐसी घोषणाएं करवा रहे हो आप, असत्य घोषणाएं....

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री।

श्री डूंगरराम पंवार : यह शिलान्यास नहीं करते, यह तो सत्यानाश करने वाले हैं।

श्री हंसराज मिढा : 9.7.87 को जो आपने खालों की कीमतें रोकी थीं, क्या उसको माफ करने के लिए आप बाध्य हैं ? अगर आप वास्तव में उनको माफ करना चाहते हैं तो आप घोषणा नहीं, आदेश दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्यों ने जो व्यवहार किया है मुझे बोलने नहीं देने का, वह अनडेमोक्रेटिक है, असज्जनतापूर्ण है, अव्यावहारिक है और इसलिए मुझे तकलीफ हुई है। आप डेमोक्रेसी में उचित व्यवहार कीजिए, अपने एतराज उठाइये....

श्री देवीसिंह भाटी : कान्ता खतूरिया को सदस्य बनाना क्या व्यावहारिक है ? +++कान्ता खतूरिया को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया, उसके साथ आप जबरदस्ती करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप चुनाव आयोग के निर्देशों का मखौल उड़ाते हैं।.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : घोषणाएं ही करते हो, बजट प्रावधान तो बताइये। बजट प्रावधान है नहीं, रेत पर महल बनाने चले हैं मुख्य मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी : सारा सदन और सारा राजस्थान देख रहा है कि क्यों बौखलाये हुए हैं आप। यह बौखलाहट क्यों है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी... (व्यवधान) श्रीमती कमला, कृपया अध्यादेश सदन की मेज पर रखें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी मांग का क्या हुआ ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले जो विधेयक पेश किया था, उसको मैं....

श्री हरिदेव जोशी : कल शाम को स्टेटमेंट दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्टेटमेंट नहीं। स्टेटमेंट देने के पहले जितने भी आपने आदेश निकाले हैं और जिनकी इम्प्लीकेशन्स हैं वह कल सुबह सब हाऊस में रखें।

श्री हरिदेव जोशी : जो लीगली मुझे जरूरत है, उसको मैं जरूर करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं, विपक्ष आपसे मांग कर रहा है....

श्रीमती कमला : लोकतन्त्र की परम्परा के मुताबिक जो आवश्यक है, वह दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, कमलाजी, माफ करें....

श्री हरिदेव जोशी : लोकतन्त्र में दूसरों को बोलने नहीं देना लोकतन्त्र है क्या ?

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, मेरी सुन लीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : हमारी भी सुन लीजिये अब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, आप बोलिये....

श्री हरिदेव जोशी : आपकी पार्टी ने जो बिहेव किया, यह लोकतन्त्र है क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी, माननीय भैरोंसिंह साहब, मैं निवेदन करूं कि आप जब बोलते हैं, यह शांत रहते हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी शांत रहें। लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री बोलने लगते तो आधे घण्टे तक बोलने नहीं दिया, यह अच्छी परिपाटी नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जवाब कहां दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं। जवाब सुनना कौन चाहता है ? जवाब सुनना नहीं चाहते।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : प्रजातन्त्र का गला घोट रहे हैं और बी. जे. पी. जहां है वहां प्रजातन्त्र नहीं है, यह जवाब दे रहे हैं। यह जवाब है क्या इसका ?

श्री अध्यक्ष : सुनना नहीं चाह रहे हैं।

श्रीमती कमला : जवाब के लिए कल समय तय करा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जवाब आये तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : सुनने नहीं देते, बीच-बीच में टोकते हैं, हल्ला करना यह अच्छी परिपाटी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन पर आप बिराजमान है, जब भी कोई इर्रे-रेलेवेन्ट बात बोलता है तो आप उसको टोक देते हैं। आपके सामने मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया, आप आज ही स्पेसिफिकली सारे पाइन्ट्स का जवाब दें। इसमें दिक्कत क्या है ?

श्रीमती कमला : कल दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप समाचार-पत्रों को जानकारी देते हैं, वह आदेश सदन की मेज पर रख दीजिए। इसका मतलब यह है कि सारे मैम्बर्स को सर्कुलेट हो जाय, मैम्बर्स को जानकारी मिल जाये कि किस प्रकार के निर्णय आपने कब लिये हैं ? हम तो उनकी कापी चाहते हैं। कापी देने में आपको क्या आपत्ति है ? आप लोकतन्त्र में विश्वास करते है, क्या सदन के सदस्य के नाते मेरा यह अधिकार नहीं है कि सरकार ने सार्वजनिक रूप में जिन आदेशों की घोषणा की है, उन आदेशों की मैं सरकारी अधिकृत प्रति प्राप्त नहीं कर सकूं ?

श्री सी. पी. जोशी : आपके पास उनकी फोटोस्टेट है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने इस बारे में कुछ "ना" कहा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां तो आप वह ही कह दीजिये कि मैं कल रख दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कह रहा हूं कि जो नियमानुकूल है, वह करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह चाहूंगा कि आप आदेश रख लें, आप जितना समय चाहें उतना बोलें। आप बोलिये और हम भी बोलेंगे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जितनी भी घोषणाएं व आदेश हुए हैं, वह सब सदन की मेज पर रख कर आप एक घण्टे, डेढ़ घण्टे तक बोलिये, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हम बहुत ध्यानपूर्वक, गम्भीरतापूर्वक सुनेंगे और गम्भीरता से ही आपको जवाब देंगे कि आपके आदेश किस प्रकार से किस नीयत से जारी किये गये हैं। सवाल इतना सा है कि उनको रखवा दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा है कि मैं तो सदन को विश्वास में लेना चाहता था इसीलिए मैंने अध्यक्ष महोदय को रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि इस प्रकार की कोई मन्शा नहीं थी। मेरे सामने जो प्रश्न थे उनको मैंने अध्यक्ष महोदय को कह दिया और जो नियमानुसार जरूरी है, उन चीजों को मैं पूरा करूंगा, आप विश्वास रखिए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमलाजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमलाजी, आप बहुत जल्दी में हैं, मैं जानता हूं।

श्रीमती कमला : मेरा तो अध्यक्ष महोदय नाम पुकारते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह साहब, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने खुद ने आफर किया है कि मैं करूंगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आफर किया है ?

श्री अध्यक्ष : आफर किया है कि रख रहा हूं, स्टेटमेंट दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा कि नियमानुसार....

श्री हरिदेव जोशी : आप मुझे कोई गैर कानूनी काम कराने को कहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अब तक सिवाय गैर कानूनी काम करने के कुछ किया ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं ? विधान सभा में क्या कह रहे हैं ? आप मुझे नियम बता रहे हैं। नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है कि सरकार का कोई आदेश माननीय सदस्यों को वितरित किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि हमारे अधिकारों की रक्षा आप करें। हमारा अधिकार है कि सरकार ने जो आदेश निकाले, उनकी प्रतियां हमें मिलनी चाहिए। अगर यह आदेश सदन की मेज पर नहीं रखें, मैं समझता हूं, आप अनुमति नहीं देते—समझ में आ सकती है लेकिन मुझे वह चाहिए। मैं यहां विधायक हूं और यह सारे विधायक बैठे हुए हैं। इन विधायकों को उन आदेशों की प्रतियां चाहिए। जो सरकार ने घोषणाऐं की हैं उनकी जानकारी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने "ना" नहीं कहा है। जो चीजें अखबारों में आ चुकीं, जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकीं, वह कोई कान्फिडेंशियल रिकार्ड नहीं है, आपको जो भी कानून के अनुसार जरूरी है उसको मैं पूरा करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कानून के अनुसार सब जरूरी है, घोषणाएं करने के बाद....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मन्त्रीजी ने अभी बताया उस प्रक्रिया की कापी मुझे भी दे दें ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह कानून की आड़ ले रहे हैं । मैं कानून की आड़ नहीं ले रहा, मैं नियमों की आड़ नहीं ले रहा, मैं तो एक विधायक के नाते जो मेरा प्रिविलेज है, उस प्रिविलेज के नाते आपसे निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : ट्रांसफरों की तो पेपर में आ भी गई है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, विधान सभा का सत्र आहूत करने की आज से सोलह दिन पहले घोषणा हुई । सोलह दिन पहले विधान सभा सत्र आहूत करने के लिए आपने हम सबको पत्र लिखे । सामान्य व्यवस्था है कि सरकार इस प्रकार की यदि कोई भी घोषणा करना चाहेगी तो सदन के अन्दर ऐसी घोषणा करनी चाहिए । सोलह दिन तक सरकार ने ब्रीच किया इस हाउस के सारे डेकोरम का, इस हाउस का अपमान किया । अध्यक्ष महोदय, आप स्टडी कर लें । इस सदन में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं कि जब सदन की कार्यवाही होने वाली हो, उस समय इस प्रकार की घोषणाएं नहीं की जायं, वह सारी घोषणाएं सदन में की जायं । मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं मैं कानून का पालन कर रहा हूं । आपने तो विधान सभा की व्यवस्था का उल्लंघन किया है और इस दृष्टि से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए । सारे पत्र-आदेश, जो निकाले हैं वह सदन की मेज पर रखिये और मेज पर नहीं रखते हैं तो स्पष्ट है कि जनता को धोखा देने के लिए इस प्रकार के आदेश निकाले गये हैं और इनमें कोई सेन्स नहीं है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी, आपको एक घण्टे हम सुनेंगे, विदाउट इन्ट्रप्शन हम सुनेंगे, विपक्ष की तरफ से कोई बोलेगा नहीं, लेकिन आप सारी असलियत सामने तो रखिये ताकि आपको अपना मुंह शीशे के अन्दर अच्छी तरह देखने का मौका मिल जाय कि इन दिनों आपने किस प्रकार के आदेश निकाले हैं और इन आदेशों की भूमिका क्या है और आदेशों का पालन किस प्रकार से होगा । यह कहते हैं, नियमों में है । कौन से नियम में है भैरोंसिह को उसकी प्रति देने की ? कोई नियम नहीं है । कोई व्यवस्था है ? व्यवस्था केवल इतनी है कि मैं विधायक हूं, विधायक के नाते मेरा अधिकार है और इस अधिकार के नाते मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहूंगा कि आप आदेश देकर सरकार को कल सारे आदेशों की, विज्ञप्तियों की, जो कुछ भी सरकार ने पिछले एक महीने में निर्णय लिये हैं, उनकी प्रतियां मैम्बर्स को उपलब्ध करा दें ताकि मैम्बर्स माननीय मुख्य मन्त्रीजी का भाषण सुनने के पहले उसके सम्बन्ध में तैयार होकर इस सदन में आयें ।

श्री हंसराज मिढा : मुख्य मन्त्री ने जो अखबारों में घोषणा की है, या तो मुख्य मन्त्री की हैसियत से की है या चुनावी मैदान बनाने के लिए । अगर मुख्य मन्त्री की हैसियत से की है तो यहां मेज पर रखें और अगर दूसरी तरह से की हैं तो सरकार बन्द कर दीजिए । सरकार बन्द करके अखबारों में मनचाहे स्टेटमेंट दे दीजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चुनाव आयोग

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के निर्देशों के बाद जो ट्रांसफर्स किये उनकी लिस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा....

श्री अध्यक्ष : सब अखबारों में आ गयी है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कह दिया है कि....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चुनाव आयोग के निर्देश भी हमको चाहिए, और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना हुई है। अध्यक्ष महोदय, आपके दामाद का भी कर दिया, उसको ही नहीं बक्शा । उसको तो बचा लो । (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : मेरा एक निवेदन है । मैं सम्मानीय विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान) ....माननीय अध्यक्ष महोदय, में विरोधी दल के नेता महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं, मेरा निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार यदि अच्छा काम करे तो भी आलोचना और हमारी सरकार यदि कोई और काम करे तो... (व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया ।

श्री छोगाराम बकोलिया (उपनिवेशन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) अध्यादेश 1989, (1989 का अध्यादेश संख्या 10) सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई । अधिसूचनाएं ।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय जो अधिसूचना रख रहे हैं वह 4 अप्रेल, 1989 को जारी हुई। नियमानुसार यह है कि जब नेक्स्ट विधान सभा मिले उसको तुरन्त रख देना चाहिए जुलाई के अन्दर हमारा सत्र गया था;....

श्री अध्यक्ष : यह एतराज आज नहीं उस समय का है। This is not the proper time.

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, एतराज इसलिए है कि बार-बार में आप आदेश देते हैं उसकी अवहेलना करते हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन में रखने का कोई ओब्जेक्शन नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : है--है । अध्यक्ष महोदय, जो आदेश और अधिसूचनाएं निकलेंगी वह नेक्स्ट सैशन में रखी जायेंगी । अध्यक्ष महोदय, यह लैप्स हुआ है और इस लैप्स के लिए आप इनसे पूछें आप इसको लाइटली नहीं लें ।

श्री अध्यक्ष : लीगलिटी देखेंगे ।

अधिसूचनाएँ

श्री रामसिंह विश्नोई (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं जिनके द्वारा विद्यार्थी एवं शिक्षकों के शैक्षणिक भवनों के लिए अनुमोदित बसें कर मुक्त की गई हैं, सदन की मेज पर रखता हूं। (1) अधिसूचना संख्या 5/4 परिवहन/89/4 अप्रेल 89 एक से बारह तक, अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या एफ. 5 (4) परि/89 दिनांक 4 अप्रेल, 1989

(श्री रामसिंह विश्नोई)

2. अधिसूचना संख्या एफ. 5 (8) परि/89 दिनांक 4 अगस्त, 1989
3. अधिसूचना संख्या एफ. 5 (14) परि/89 दिनांक 11 अक्टूबर, 1989
4. अधिसूचना संख्या एफ. 5 (12) परि/89 दिनांक 21 अक्टूबर, 1989
5. अधिसूचना संख्या एफ. 5 (21) परि/89 दिनांक 24 अक्टूबर, 1989
6. अधिसूचना संख्या एफ. 5 (20) परि/89 दिनांक 24 अक्टूबर, 1989
7. अधिसूचना संख्या एफ. 5 (31) परि/89 दिनांक 26 अक्टूबर, 1989
8. अधिसूचना संख्या एफ. 5 (26) परि/89 दिनांक 27 अक्टूबर, 1989
9. अधिसूचना संख्या एफ. 5 (28) परि/89 दिनांक 27 अक्टूबर 1989
10. अधिसूचना संख्या एफ 5 (29) परि/89 दिनांक 27 अक्टूबर, 1989
11. अधिसूचना संख्या एफ. 5 (32) परि/89 दिनांक 9 नवम्बर, 1989
12. अधिसूचना संख्या एफ. 5 (33) परि/89 दिनांक 9 जनवरी, 1989

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन व लेखे । श्री छोगाराम बाकोलिया ।

प्रतिवेदन व लेखे

राजस्थान भूमि विकास निगम का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष जून, 1988

श्री छोगाराम बकोलिया (सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं भूमि विकास निगम अधिनियम, 1975 की धारा 38 की उप धारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि विकास निगम का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 30 जून, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के लेखे वर्ष 1986-87 व प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द मीणा ।

सुश्री गिरजा व्यास (पर्यटन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 34 की उप धारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे एवं अंकेक्षक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री चम्पालाल जैन एवं श्री अमर चन्द के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रश्न

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार समिति के समय की वृद्धि । श्री सी. पी. जोशी ।

श्री सी. पी. जोशी : आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सर्वश्री भैरोंसिह शेखावत, नाथूसिह एवं घनश्याम तिवाड़ी सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा श्री

(श्री सी. पी. जोशी)

चम्पालाल जैन एवं श्री अमर चन्द जैन के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के सम्बन्ध में प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत तिथि को आगामी सदन के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कारण तो बतायें, कारण क्या हैं ?

श्री सी. पी. जोशी : we could not dispose of this, I tell you frankly.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सदन के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन के पुरःस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । माननीय जोशीजी विधायी कार्य । पुरःस्थापन किये जाने वाले विधेयक ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1989

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक 1989 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक 1989 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन)विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989) का अध्यादेश संख्य (8) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला ।

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1989

श्रीमती कमला (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1989 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1989 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन)अध्यादेश, 1989,(1989 का अध्यादेश संख्या 9) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज़ पर रखती हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री छोगाराम बकोलिया।

राजस्थान भूमिविकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989

श्री छोगाराम बकोलिया (उपनिवेशन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक 1989 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 10) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति

श्री रघुकुल तिलक, भूतपूर्व राज्यपाल के निधन पर शोकाभिव्यक्ति

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री रघुकुल तिलक हमसे काफी जुड़े हुये थे। वे विद्वान स्वतन्त्रता सैनानी, विचारक और स्वाधीनवेत्ता व्यक्ति थे। उन्होंने अपने अध्ययन के बाद अनेक पदों पर कार्य किया मगर देश की आजादी के लिए अपनी नौकरी को छोड़कर व्यवसाय को छोड़कर वे आजादी से पहले दो-तीन बार जेल भी गये। 1942 में जब देश आखरी तौर पर जूझ रहा था वे आगे आये और उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। अध्यक्ष महोदय, वे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे। वे राजस्थान के राज्यपाल रहे, और उस जमाने में उनसे सम्पर्क में आने का काफी मौका मिला। वे उस पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति थे जिसको आज देश याद करता है। परेशानी की बात थी कि वे अन्तिम तौर पर राजस्थान में आये अपने स्वजन के जन्म दिन पर समारोह का समारोहतित्व करने के लिए और वापस लौटते हुए दुर्घटना में उनका देहान्त हो गया। उनके परिवार ने बहुत खोया, मगर राजस्थान ने भी अपना एक बहुत बड़ा शुभचिन्तक खोया। जो लोग उनको जानते थे वे उनकी सज्जनता से हमेशा प्रभावित होते थे कि मार्गदर्शक, अनुभवी नेता और विचारक हमारे बीच में से उठ गया। जो लोग इस चीज को अपनेपन से सोचते हैं उनको इस बारे में अधिक तकलीफ होती है। उनके साथ-साथ उनके पुत्र का भी देहान्त हो गया, उनके पौत्र भी घायल हो गये। उस परिवार को कितनी बड़ी चोट पहुंची होगी इसका अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है। मगर जातस्य घोर मृत्यु जो जन्मता है, मरता है। यह विधि का विधान है। यह किसी के लिए टल नहीं सकता यह सोच कर सन्तोष करना होता है। उनके बारे में जितना भी कहा

(श्री हरिदेव जोशी)

जाये कम है। मैं उस महापुरुष, विद्वान, स्ववन्त्रता सैनानी और हमारे अपने सूरज के रूप में उनके प्रति हार्दिक श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के लोगों को इस कष्ट को सहने का साहस दे जिससे वे इस शोक को बरदाश्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष : रघुनाथ विश्नोई को भी..

श्री हरिदेव जोशी : इम्पार्टेण्ट है, मेरा ख्याल है अलग-अलग कर लेना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक के देहावसान पर राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में दु:ख प्रकट किया गया गया है। वह एक इस प्रकार का व्यक्तित्व था, जिस व्यक्तित्व से समाज को और विशेष रूप से राजनीतिज्ञों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिल सकती थी। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि सायकाल वह भाषण देकर गये सुबह उनका भाषण समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ लेकिन उस प्रकाशन के पूर्व ही उनका स्वर्गवास हो गया। मैं ऐसा समझता हूं कि राज्यपाल के पद पर रहकर उन्होंने जिस प्रकार की सादगी का परिचय दिया वह राज्यपाल के लिए अनुकरणीय है। कई विषयों में राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं होते हुए भी वह मंत्रीमण्डल के साथियों से और विशेष तौर से मुझ से विचार-विमर्श करना उचित समझते थे। उन्होंने काम में कभी अपना हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन वैचारिक दृष्टि से वह हमेशा इस बात के इच्छुक रहते थे कि राज्य सरकार कोई भी निर्णय ले तो गवर्नर के रूप में नहीं लेकिन तिलक के रूप में यदि विचार-विमर्श किया जाये तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उन्होंने समय-समय पर हमें जिस प्रकार से सलाह दी वह वास्तव में सलाह मानने योग्य थी। उनका जिस तरह से विचार परिपक्व था आज मैं कह सकता हूं देश में किसी प्रकार की भी घटना हो, देश में किसी प्रकार की परिस्थिति हो, राजनैतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रकार का विचार मन्थन हो, श्री तिलक उसके ऊपर निश्चित रूप से अपने विचार प्रकट करते और उनके विचारों को देश के समाचार पत्रों में जिस प्रकार का स्थान मिला वह भी उनके सम्मान का एक प्रतीक है। दुर्भाग्य है कि घटना में जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने कहा, उनके इकलौते पुत्र का भी स्वर्गवास हो गया। तीनों पीढ़ी एक ही गाड़ी में यात्रा कर रही थीं। दो का वहीं घटनास्थल पर ही स्वर्गवास हो गया और तीसरा बच्चा उनका जो पोता था वह बड़ी मुश्किल से उन दोनों डेड-बाडीज को गाड़ी में से निकाल कर किसी प्रकार से पहले हास्पिटल में और बाद में घर पहुंचाता है, आप अन्दाज लगा लें, अध्यक्ष महोदय, उस परिवार की क्या स्थिति होगी जिस परिवार में परिवार का मुखिया गया, आगे आने वाला मुखिया गया, परिवार को सूना छोड़कर चले गये। मैं उनके सम्बन्ध में इतना ही कह सकता हूं कि जब जब भी जिस काम पर भी वह लगे हैं उन्होंने बड़ी निष्पक्षता और बड़ी ईमानदारी से उस काम का निर्वहन किया। कभी राज्यपाल के पद का उनको मोह या मद किसी प्रकार का नहीं था। उनके सामने यदि संवैधानिक प्रश्न

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोई आता, उस पर चिन्तन करना भी आवश्यक था और साथ ही उस चिन्तन के आधार पर लोगों को वह सलाह भी देते थे कि अमुक प्रकार से संविधान के सम्बन्ध में उनका पालन करने के लिए कार्यवाही की जाये।

मैं उनके सम्बन्ध में अधिक कुछ कहना नहीं चाहता, इतना ही कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, वह राज्यपाल रहे लेकिन एक पारिवारिक सम्बन्ध हमारे बन गये और ऐसे सम्बन्ध थे कि जयपुर में आयें या दिल्ली में आयें कभी भी उनको अगर कोई जानकारी हो निश्चित रूप से जानकारी भी देते थे, आपस में मिलना-जुलना भी खूब होता था उस प्रकार का व्यक्ति हमारे बीच से चला गया इसका हमें दुःख है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक सन्तप्त परिवार को इस दारुण दुखःको सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करे ईश्वर से इस सम्बन्ध में प्रार्थना करता हूं।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य ही नहीं थे बल्कि देश की उस अग्रणी पीढ़ी के एक ऐसे उदाहरणीय व्यक्तित्व थे कि जिनकी जीवन शैली, विचार शैली और जिनकी जीने की पद्धति देश की आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रकाश स्तम्भ के रूप में प्रेरणा देती रहेगी।

श्री तिलक काशी विद्यापीठ के उप कुलपति भी रहे। श्री तिलक जयप्रकाश आंदोलन में बहुत सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे। इसके साथ साथ ही उन्होंने देश के स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लिया और भाग लेने के साथ साथ वह एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने देश को अपने विचारों से उपकृत किया। मैं इस दुखद घटना पर, इस संवेदना पर जो दुर्घटना उनके साथ घटी जिसमें उनके परिवार की बहुत बड़ी हानि ही नहीं बल्कि एक परिवार की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को वह शक्ति प्रदान करे कि वह इस न पूरित होने वाली क्षति को सहन करने का साहस जुटा सके। मैं फिर एक बार उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक का जन्म 7जनवरी, 1900 को उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर के संभ्रान्त अग्रवाल परिवार में हुआ था। आपने इतिहास में एम. ए. किया और 1924 से 1926 तक खुर्जा कालेज में व्याख्याता रहे, 1928 से 1932 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में पुस्तकालयाध्यक्ष रहे। 1932 में आपने सरकारी नीतियों के विरोध स्वरूप त्यागपत्र दे दिया और गोलमेज सम्मेलन के बाद गिरफ्तार हो गये। असहयोग आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया और 1932 से 1935 तक कारावास में रहे। वहां से छूटने पर 1935 से 1938 तक काशी विद्यापीठ में व्याख्याता रहे और 1939 से 1946 तक उत्तर प्रदेश विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा के निर्वाचित सदस्य रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के करण 1942 से 1944 तक पुनः जेल गये, 1944 में ही आप उत्तरप्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किये गये। बाद में आपने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और समाजवादी दल में शामिल हो गये। 1952 से 1958 तक रेल्वे सेवा चयन आयोग के उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अध्यक्ष रहे तथा 1958 से 1960 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। 1961 तक आप सर्वोदय आंदोलन में सक्रिय रहे और दिसम्बर, 1971 से अगस्त सन् 1974 तक काशी विद्यापीठ के उपकुलपति पद पर कार्य किया। अगस्त सन् 1974 से सितम्बर 1976 तक गांधी अध्ययन संस्थान काशी में अवैतनिक कोषाध्यक्ष तथा प्रोफेसर रहे। आपने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखीं जिनमें इंगलैण्ड का इतिहास, ओपियम ईटर एण्ड अदर स्टोरीज, भारत में लोकतन्त्र आदि प्रमुख हैं। लोकतन्त्र पर आपको सरस्वती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप 12 मई 1977 से अगस्त 1981 के प्रथम सप्ताह तक राजस्थान के राज्यपाल रहे, दिनांक 26 दिसम्बर 1989 को आपका आकस्मिक निधन कार दुर्घटना में हुआ। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और आपके परिवार जनों को इस असह्य वेदना और दुःख को सहन करने की शक्ति दे।

(1.00 अपराह्न)

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

ओम् शांतिः शांतिः।

श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री चतुर्भुज चौधरी, श्री अल्दाराम एवं श्री मंगल सिंह के निधन पर शोकाभिव्यक्ति

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य एवं एक ऊंचे दर्जे के जन-सेवक श्री रघुनाथजी विश्नोई अब हमारे बीच में नहीं हैं। यह बहुत ही दुख का मौका है कि हमें इस साथी का बिछोह बर्दाश्त करना पड़ रहा है। श्री रघुनाथजी विश्नोई विधान सभा के एकाधिक बार सदस्य रहे। वे अच्छे वकील थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और इस सदन के जब सदस्य बने तो उसकी कार्यवाही में भी बहुत रुचिपूर्वक भाग लेते थे। वे कई कमेटियों के सभापति रहे। पिछली बार मन्त्री भी थे। इससे भी अधिक उनका सबसे अलग व्यक्तित्व था। एक घटना मुझे याद आती है इसी सदन की, जब कोई बहुत गम्भीर बहस चल रही थी। कोई आलोचना कर रहा था। उस समय हमारे लाउडस्पीकर दूसरी तरह के थे। एक माननीय सदस्य ने यों जोर से हाथ फटकारा और उसका कवर उठ करके श्री रघुनाथजी विश्नोई के कान के ऊपर जाकर लगा, जिससे उनका कुछ हिस्सा कट गया। यह उनके व्यक्तित्व को उजागर करता है कि सारे सदन ने उनका काग्निजेंस लिया और कहा कि जिसने ऐसा किया है उसको सेंसर किया जाय, परन्तु रघुनाथजी खड़े हुए, अपने कान के खून को पोंछा और उन्होंने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, इस कार्यवाही को

(श्री हरिदेव जोशी)

छोड़ दीजिए। यह बात उनके जीवन के अन्दर सभी जगह परिलक्षित होती थी। हमारे लिए तो वे एक मित्र की तरह से थे, साथी की तरह से थे। हमारी पार्टी के उप नेता भी थे। जीवन के अन्तिम दिनों में वे कैंसर रोग से पीड़ित थे। जब उनके बचने की कोई आशा नहीं रही, सब लोग मन से दुखी थे। दैव गति होकर रही और आज वे दिवंगत हो गये।

मैं अपने उस मित्र, साथी, इस सदन के माननीय सदस्य और मानवतापूर्ण व्यक्तित्व के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को भगवान शक्ति दे कि वह इस क्षति को बर्दाश्त कर सके, यह प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इनके सिवाय इस सदन के एक दूसरे माननीय सदस्य श्री चतुर्भुजजी चौधरी का भी देहावसान हो गया। वे पंचम् और सप्तम् राजस्थान विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे किसान परिवार में पैदा हुए थे। ठेठ ग्रामीण कार्यकर्ता के रूप में उनका विकास हुआ था। वे धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और ग्रामीण समस्याओं को, ग्रामीण जनता की कठिनानाइयों को इस सदन में दृढ़तापूर्वक रखते थे। उनमें यह क्षमता थी कि वे अपनी बात को ठीक से कहते और सदन को प्रभावित कर सकते थे।

ऐसे कार्यकर्ता को खो कर हमने एक बहुत समझदार आदमी को खो दिया है। उस इलाके को तो काफी बड़ा नुकसान हुआ ही है, समाज को भी नुकसान हुआ है।

मैं श्री चतुर्भुजजी की दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान उनके परिवार को यह कष्ट बर्दाश्त करने की क्षमता दे, यह प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक और सदस्य श्री अल्दाराम मीणा सिरोही जिले के निवासी थे। वे चौथी और छठी विधान सभा के सदस्य थे। वे पिण्डवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वे सामाजिक सुधार कार्यों में विशेष दिलचस्पी रखते थे और इस कारण उनका समाज में काफी असर था। उनके देहावसान को हम सब समाज की क्षति के रूप में देखते हैं।

मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के कई माननीय सदस्यों को डा. मंगल सिंहजी की याद होगी। आपको और अधिक होगी। डा. मंगल सिंह धौलपुर जिले से आये थे। वे बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित थे। एक जीवन्त व्यक्तित्व थे। समाज में उनका अपना एक स्थान था वह स्वतन्त्रता सैनानी थे, वह प्रभावशाली वक्ता थे। अपने विचारों से और अपने वक्ताओं से समाज को प्रभावित करते थे। मूल रूप में वे, अगर मैं भूलता नहीं हूं तो, मालवीयजी के नजदीक के लोगों में से थे। मालवीयजी ने उनको और अगर मैं यह कहूं कि उन्होंने मालवीयजी को प्रभावित किया तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, वह काफी बुजुर्ग हो गये थे। शरीर उनका कृश हो गया था मगर वे एक क्षमतावान पुरुष थे, वे समाज को इस तरह से मोड़ लेते थे। जब यह कम्यु-

(श्री हरिदेव जोशी)

निटी डवलपमेण्ट के प्रोग्राम्स और ये चीजें बहुत देर से आयीं मगर उन्होंने अपनी कांस्टीट्यूएंसी में—धौलपुर से राजाखेड़ा सड़क बनाने की बात हाथ में ली थी जब हम लोग उनको ले गये थे, हम वहां गये थे जब उसको देखा तो न कोई इंजीनियर्स है और न कोई ओवरसियर है और न कोई दूसरा कुछ है, डा. साहब और उनके साथी और उनकी कांस्टीट्यूएंसी के लोग सिर के ऊपर तगारियां लेकर मिट्टियां डालते थे और उस सड़क को बनाते थे, ऐसा लगता था कि एक अद्भुत व्यक्तित्व समाज के निर्माण में लगा हुआ है।

उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। मुझे याद है, हमारा कुछ विवाद चला था। डा. मंगलसिंह कई लोगों से विचार मतभेद रखते थे। एक मीटिंग में एक व्यक्ति ने कुछ बात कह दी। बड़ा विवाद हुआ। डा. मंगलसिंह वह व्यक्तित्व थे वहां पर जिसने इस विवाद को शांत किया और क्रोध में आये हुए लोगों को शांत किया। वह जहां भी बैठते थे, अध्यक्ष महोदय, गुस्से में कई लोग आ जाया करते हैं और गुस्से में आकर न जाने वह क्या-क्या कर दिया करते हैं, कह देते हैं पर डा. मंगलसिंह कहने वाले को और गुस्से में आने वाले लोगों को शांत करते थे और प्रभावित करते थे। दुर्भाग्यवश वह आज हमारे बीच में यहां नहीं हैं।

उनके परिवार में से भाई मोहन प्रकाश जी हैं मैं उनका यह रेफ़रेन्स इसलिये दे रहा हूं कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के परिवार को उन्होंने समाज को दिया है। कहा यह जाता था कि वह एक आग का गोला है, उनको आग का गोला कहते थे परन्तु वह शीतलता का प्रवाह करते थे। अनेक गुणों के धनी, नेता, समाज सुधारक, मर्मज्ञ डा. मंगलसिंह जब तक हिरते-फिरते रहे बीमार को देखे बगैर, बगैर उसका कुछ किये हुए खाना नहीं खाया।

मैं उनका स्मरण होते ही अभिभूत हो जाता हूं। उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस क्षति को उनका परिवार बर्दाश्त कर सके यह शक्ति उन्हें दे। यह कहते हुए अपनी ओर से और इस सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री रघुनाथ विश्नोई श्री चतुर्भुजजी चौधरी, श्री अल्दारामजी और डा. मंगलसिंहजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह किसी को विश्वास ही नहीं हो सकता था कि पिछले सत्र में मंत्री के रूप में उत्तर देने वाले श्री रघुनाथ विश्नोई आगे के सत्र में उपस्थित नहीं होंगे इतना ही नहीं उनका स्वर्गवास हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, रघुनाथजी के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि वह व्यक्ति मूलतः किसान ही नहीं था किसानों के प्रति उनके हृदय में बहुत कुछ कर सकने की निरन्तर एक तमन्ना रही। किसान के घर में पैदा होकर बकालात में अपनी प्रतिष्ठा जमायी और उसके साथ ही विधायक रह कर उन्होंने अपने क्षेत्र का भली प्रकार से प्रतिनिधित्व किया। सादा जीवन उनकी एक प्रमुख पूंजी रही। अध्यक्ष महोदय, उस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

व्यक्ति के साथ हम कई वर्षों तक रहे हैं लेकिन मैंने कभी भी उनको क्रोध में आते हुए नहीं देखा। विधान सभा में भी यदि पूरक प्रश्नों के माध्यम से या वाद-विवाद में माननीय सदस्य उत्तेजित भी हो जाते तो सारी उत्तेजना को वह स्वयं पी कर माननीय सदस्यों को संतोष में कराने का उनका प्रयत्न रहता ही लेकिन साथ ही बहुत ही विनोदी स्वर में उस आवेश को ठण्डा करने करने का भी वह प्रयत्न करते थे।

अध्यक्ष महोदय, जिस रोग से वह पीड़ित थे वह यह जानते थे कि इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन उन्होंने कभी भी इस रोग के कारण अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। वह आज हमारे बीच से उठकर चले गये। हमें इसका बहुत दुःख है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, श्री चतुर्भुजजी और अल्दारामजी इस सदन के सदस्य रहे हैं। एक ने आदिवासियों का प्रतिनिधित्व किया और दूसरे ने किसानों का किया। उस प्रकार के व्यक्ति मूल समस्याओं को सरकार के सामने उजागर करने की क्षमता रखते थे। किसानों की समस्या क्या है, आदिवासियों की समस्या क्या है उसका वर्णन जिस व्यक्ति ने उस समस्या का भुगतान किया है वह भली प्रकार से कर सकता है। इन दोनों ने इस सदन की कार्यवाही में भाग लेकर किसानों और आदिवासियों की समस्या को उजागर किया और सरकार के ध्यान में लाकर उन समस्याओं का समाधान कराया।

वह दोनों व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं हैं मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, डा. मंगलसिंहजी इस सदन के सदस्य रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि उनका भाषण जिस समय इस सदन में होता था तो दुर्भाग्य से ही कोई सदस्य सदन से अनुपस्थित रहता था। भाषण की एक शैली, एक कला थी जिस आक्रमण करते, मारवाड़ी भाषा में जिसको कहा जाय "मीठी मार" होती थी। अगला उत्तर नहीं दे सके और घायल हो जाय। भाषा पर तो उनका अधिकार था ही लेकिन विचारों की दृष्टि से भी इतने परिपक्व थे, ऐसे सिद्धांतवादी थे कि उन्होंने राजनीति में अपना सिद्धांत से कहीं मार्ग से अलग रहने के लिए प्रेरित नहीं किया बल्कि राजनीति को सिद्धांतवादी बनाने की उन्होंने चेष्टा की।

कुछ वर्षों पहले मैं बनारस में उनसे मिला था। वृद्ध थे लेकिन चेहरा हंसमुख था और जब उनसे पूछा गया कि आपका स्वास्थ्य कैसे है? तो मुझे आज वह दृश्य भी याद आता है कि आंखें निकाल कर, हाथ करके ऐसे जैसे कुश्ती लड़ने को तैयार हो, मैं बिलकुल ठीक हूं। इतना परिपक्व आत्मविश्वास जिस व्यक्ति में हो, अध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति का स्वर्गवास ईश्वर के आधीन ही है। जिस क्षेत्र के वे प्रतिनिधि थे, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो उनसे परि- नहीं हो, उनके स्वभाव से परिचित नहीं हो। एक बार एक प्रतिनिधि मण्डल जो

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

धौलपुर से आया था उन्होने मेरे पास भेज दिया और कुछ प्रश्न पूछवाने थे। कहने लगे, मैं सत्ता पक्ष का हूं, प्रश्न नहीं पूछ पाऊंगा। मैंने प्रश्न कर लिए और प्रश्न करने के बाद सप्लीमेंटरी की जिस प्रकार की झड़ लगायी, मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने उन प्रश्नों के सम्बन्ध में इतना अध्ययन किया था कि सरकार को जो वे चाहते थे उसी प्रकार का उत्तर देना पड़ा और उसी दिन सदन की कार्यवाही में कहीं उल्लेख मिलेगा उन्होंने भाषण दिया कि प्रश्न पूछना यह औपचारिकता नहीं है। प्रश्न के साथ जो प्रश्नकर्ता है उसका कितना अध्ययन होना चाहिए इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं समझता हूं सदन में उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपनी विचारधारा से, अपने भाषण से सब लोगों को प्रभावित किया और सदन के बाहर भी, अध्यक्ष महोदय, जिन व्यक्तियों ने उनसे सम्पर्क किया है उनका किस प्रकार का सादा जीवन था, इतना योग्य व्यक्ति, इतना विचारक और इतनी सादगी में यह आजकल तो तीनों बातों का मेल नहीं खाता लेकिन इन तीनों का मेल डा. मंगलसिह जी में प्रत्यक्ष रूप में देखा गया। विनोदी स्वभाव के चाहे किसी भी अवस्था में वे रहते थे। मानसिक तनाव चाहे कितना ही ज्यादा हो, डा. मंगलसिहजी पहुंच गये या डा. मंगलसिहजी से सम्पर्क आ गया तो, मैं समझता हूं, उस मानसिक तनाव की स्थिति में निश्चित ही परिवर्तन आयेगा। वे हमारे बीच से चले गये राजस्थान को इससे अपार क्षति हुई है, उनके परिवार को तो क्षति हुई ही है लेकिन पूरे प्रदेश को उनके देहावसान से बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों के सम्बन्ध में ईश्वर से, प्रार्थना करूंगा कि उनको इस बिछोह को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन सब को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री रघुनाथ जी विश्नोई के देहावसान की सूचना जब मिली तो ऐसा भरोसा ही नहीं होता था कि यह बात सच भी हो सकती है। अचानक इस तरह की सूचना पाकर एक सदमा भी लगा और यह भी बात स्पष्ट हुई कि सदन में कल तक जिनके साथ हम बैठते थे उनका एक स्वभाव हमने बहुत ही अलौकिक देखा। बहुत तेजी से बोलते हुए, बहुत तेजी से तनाव की बात को कहते हुए एकदम मुस्कराना–यह उनमें ही देखा था। बात को बहुत कड़े तरीके से जोर से भी बोल रहे हैं और साथ ही साथ मुस्करा भी रहे हैं। वे हंसकर बात का तनाव समाप्त भी कर दिया करते थे। हमने उनको लड़ते झगड़ते तो देखा ही, सदन में यह भी देखा कि जब वे अपनी बात उप-नेता के रूप में भी कभी कहते थे तो वह बात एक बार कही और जिस झटके से वे बैठते थे तो सीधा सदन का तनाव ही समाप्त हो जाता था। ऐसे हमारे सहयोगी, ऐसे हमारे बुजुर्ग इस तरह के सदन के नेता का अभाव इस सदन को और इस समाज का खलता रहेगा। वे इसके साथ साथ ही समाजसेवा के लिए भी बहुत निष्ठावान थे। हमने उनको हर वक्त ही किसी न किसी समस्या में तल्लीन पाया और यह भी पाया कि वे किसानों की समस्या और प्रान्त की

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

समस्या के लिए बड़े व्यग्र और बेचैन थे। मैं उनके स्वभाव के प्रति मैंने उनकी स्थितियों को जो देखा उससे बहुत प्रभावित रहा। मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख को वहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री चतुर्भुज जी चौधरी जिस तरह के सीधे-साधे व्यक्ति थे, ठेठ उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती थी कि ये गांव के प्रतीक हैं। गांव की और अपने क्षेत्र की समस्याओं में तो संलग्न थे ही लेकिन कई बार उनसे मिलने का मौका मिला बाहर भी, अब जब वे सदस्य नहीं थे तब भी बोलते वे अपनी भाषा में ही थे, अपनी ही भाषा में अपनी बात कहते थे लेकिन गांव के प्रति जो दर्द उनके मन में था और गांव की जो बात वह कहते थे उससे लगता है उनके क्षेत्र में उनके दिवंगत होने से भारी अभाव है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं परमात्मा से कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

श्री अल्दारामजी मीणा विधान सभा के सदस्य थे, आदिवासी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को, गांव की समस्याओं को उन्होंने सक्रिय सहयोग देकर सदन में उजागर किया। मैं उनके प्रति सद्भावना तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डा. मंगलसिंहजी स्वतन्त्रता आंदोलन की प्रथम कड़ी थे। यदि मैं यों कहूं कि उनका देहावसान एक ऐसे स्तम्भ का गिरना है, एक ऐसी कड़ी का समाप्त होना है जो सन् 1920 के आंदोलन में प्रारम्भ हुई, जिसने सन् 1937 के आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया और सन् 1942 के आंदोलन के साथ उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई। जहां वे राजनैतिक पदों पर रहे उसके साथ-साथ जैसे ही वे अपनी शिक्षा समाप्त करके आये, महात्मा गांधीजी के सम्पर्क में आये और गांधी जी के सम्पर्क में ही नहीं, हमारे मत्स्य में वे मन्त्री रहे। मैंने उनके चर्चे सुने हैं, दर्शन भी किये थे, मत्स्य के लोग उनको गांधीजी जी प्रतिमूर्ति मानते थे। इससे बड़ा सौभाग्य किसी व्यक्ति का कोई नहीं हो सकता कि जो बहुत बड़े इतिहास पुरुष हैं उन इतिहास पुरुषों के नाम के साथ अगर यह भी जोड़ा जाय डा. मंगलसिंह जी में बहुत सारे गांधी जी के गुण थे और वे हमारे मत्स्य के गांधी थे। मैंने उनकी यह भी चर्चायें सुनी हैं और देखा भी है कि सादगी का जो स्वरूप डा. मंगलसिंहजी ने प्रस्तुत किया मत्स्य के मंत्रिमण्डल में रहते हुए, बहुत लोगों ने यह देखा है कि उनके कोट के पाती लगी रहती थी। बहुत कम ऐसा मिश्रण मिलता है कि जहां इतना महान् विद्वान जो इतिहास का पुरुष हो, जिसने इतिहास का निर्माण किया हो और उसके साथ-साथ जो गांधी जी के सम्पर्क में रहे हों उनमें कितनी निष्ठा से श्रम के प्रति श्रद्धा थी जैसा मैंने एक उदाहरण के द्वारा बताया। इसके साथ-साथ मैं यह भी बात करूंगा कि सिद्धांतों की राजनीति से जुड़े हुए जिन्होंने सारे परिवर्तनों में भी कभी अपने को हिलाने का, या कभी राजनीति की छोटी हरकत के साथ समझौता नहीं किया। डा. मंगलसिंह जी उदाहरणीय

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

थे। राजस्थान के शीर्ष पुरुष थे। उन्होंने इस देश की स्वतन्त्रता के इतिहास का निर्माण किया और इतिहास के निर्माण के साथ साथ वे हमारे लिए सदा याद करने के, प्रशंसा के और हम सदा उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे ऐसी मेरी मान्यता है। मैं उस महान् आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ साथ परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस सदमे को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं माननीय श्री रघुनाथजी विश्नोई के प्रति, श्री चतुर्भुज चौधरी के प्रति, श्री अल्दाराम-जी के प्रति और डा. मंगलसिंह जी के प्रति।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष जी, माननीय सदन के नेता और विपक्ष के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा श्री रघुनाथ-जी विश्नोई के लिए और श्री मंगलसिंहजी के लिए, श्री अल्दारामजी के लिए और चौधरी चतुर्भुजजी के लिए, आदरणीय रघुकुलजी तिलक साहब के लिए, मैं भी सदन के नेता महोदय और विपक्ष के नेता की ओर से जो श्रद्धांजलि अर्पित की गयी है, अपने आपको सम्मिलित करते हुए उनके लिए जन्नत की कामना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ जी विश्नोई का जन्म ग्राम मुजासर तहसील फलौदी जिला जोधपुर में 15 मई 1927 को हुआ। आप वर्ष 1962 से 1980 तक विधान सभा के सदस्य रहे। आखिरी विधान सभा में आप कांग्रेस (आई) के टिकट पर सांचोर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय 1951 से, सदस्य कांग्रेस कमेटी 1956 से, सदस्य प्रदेश कांग्रेस व अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, जालौर सित-म्बर, 1957 से 1962। आप अध्यक्ष सह-कारी बैंक भी रहे। आप विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य एवं सभापति भी रहे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राजेन्द्र नगर हैदराबाद की जनरल कौंसिल की 6 अगस्त, 1985 से सदस्य रहे। 3 अप्रेल, 1986 से जिलों के कारागृहों की सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आप कांग्रेस विधायक दल के उप नेता भी रहे। वर्ष 1987 से राज्यस्तरीय अकाल राहत कार्य सलाहकार समिति एवं राज्य-स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के सदस्य रहे। 6 फरवरी, 1988 से 8 दिसम्बर, 1989 तक आप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चुनाव तथा विधि एवं न्याय मंत्री रहे। ग्रामोत्थान व हरिजन सेवा, किसानों एवं मजदूरों से सम्बन्धि समस्याओं एवं ग्राम सुधार के कार्यों में रुचि, पिछड़ी जाति संग-ठन एवं मजदूरों के उत्थान के कार्यों में बचपन से ही रूचि रही। गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता देने में आपकी अभिरुचि थी। आपका निधन दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 को हुआ।

माननीय श्री विश्नोई जी से मेरा बहुत घनिष्ट सम्बन्ध था। मैंने उनको विधान सभा का सदस्य भी देखा और ऐसा भी देखा जिस समय वे विधान सभा के सदस्य नहीं रहे। उनके कार्यक्रमों में, उनके जीवन में, उनके बोलचाल में, उनके रहन-सहन में कोई किसी तरह का फर्क नहीं रहा। चिकित्सा मंत्री हो गये तब भी उनके रहन-सहन में उनकी कार्य प्रणाली में, उनके जीवन के क्रम में

(श्री अध्यक्ष)

कोई फर्क नहीं था। हमेशा मुस्कराते रहते थे। अगर किसी बात को हम उनसे कहते थे तो स्पष्ट जवाब देते थे और लागलपेट कर नहीं देते थे और न कभी असत्य बोलते थे। ऐसा मैंने उनमें देखा था। पद के लिए भी, वह इतने पुराने सदस्य थे लेकिन जब पद की बात आती थी तो मुस्करा जाते थे और कहते थे कोई खास बात नहीं ऐसा ही चलता है। कभी पद लोलुप्ता उनमें देखी नहीं, कभी पद से लोलुप्त नहीं रहे हैं। उप नेता के पद पर जब उनका चुनाव हुआ तो मुस्कराते हुए मेरे चैम्बर में आये और कहा तिवाड़ी जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है मैं उप नेता हो गया हूं यानि बड़े मजाक के रूप में उन्होंने यह बात कही। जब वह विधायक थे जैसा उनका वातावरण था, उनकी बोलचाल रही, काम करने का तरीका रहा वैसा का वैसा तरीका रहा उनका यह कभी नहीं रहा कि मैं मंत्री हो गया हूं, ऐसा कुछ नहीं रहा। उनका जीवन बहुत ही यथेष्ठ रहा। वह पूजा और किया करते थे। कभी वह खोपड़े का कुछ बांटा भी करते थे। उनका इतना सादा जीवन मैंने अपनी जिन्दगी में बहुत कम देखा होगा। बहुत घनिष्ठता थी, बहुत मित्रता थी। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने सुना कि उनके कैन्सर हो गया है। जो सादा जीवन जी रहा है, जो बहुत नियमित है इस तरह के व्यक्ति को इस तरह का रोग पैदा हो गया यह मेरी समझ में नहीं आया। उनका जो दुःख है वह हम भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते हैं। उनकी याद जीवनभर रहेगी, समय-समय पर याद आयेगी। मैं ईश्वर से आज यही प्रार्थना कर रहा हूं, चूंकि हम कल्पना भी नहीं करते थे कि इस सेशन में वह नहीं रहेंगे, यह स्वप्न सा लगता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को जो यह असह्य दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दें।

श्री चतुर्भुज चौधरी का जन्म श्रावण सुदी चतुदर्शी संवत् 1978 को हुआ था। आप सन् 1972 तथा 1980 में कांग्रेस (आई) पार्टी के टिकट पर टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र से पंचम् एवं सप्तम् राजस्थान विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए।

आप सरपंच ग्राम पंचायत मान्दोलाई रहे। दस वर्ष तक आप टोडारायसिंह पंचायत समिति के प्रधान भी रहे। वर्ष 1980-81 तथा 1982-83 में आप विधान सभा की याचिका समिति के सदस्य रहे। सहकारिता विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे। आप सामान्तशाही प्रथा एव जागीरदारी प्रथा के विरोध में रहे। आप सामाजिक कुरीतियों जैसे नुक्ता, बाल-विवाह आदि कुप्रथाओं के उन्मूलन में सदैव प्रयत्नशील रहे।

आपका निधन दिनांक 9 दिसम्बर, 1989 को हुआ।

परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस असह्य दुख को सहन करने की शक्ति दें।

श्री अल्दाराम मीणा का जन्म पिंडवाड़ा में 11 जनवरी, 1924 को हुआ था। आप चतुर्थ एवं छठी विधान सभा के सदस्य रहे। छठी विधान सभा में आप जनता पार्टी के टिकट पर पिन्डवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए।

(श्री अध्यक्ष)

समाज की कुप्रथाओं को दूर करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा । जाति सेवा संघ के कार्य में आप सक्रिय रहे ।

आपका निधन दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 को हुआ ।

परमपिता परमात्मा आपकी आत्मा को शांति प्रदान करें और आपके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें ।

डा. मंगलसिंह का जन्म धौलपुर में 21 जनवरी, 1896 को हुआ था । आप विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में कूद पड़े थे । अतः 1916 में इन्दौर कालेज में आप पर जुर्माना हुआ । प्रारम्भ में आपका झुकाव उग्रदल की ओर था परन्तु 1921 के असहयोग आन्दोलन से आप महात्मा जी के अनुयायी हो गये । आपको धोलपुर राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति स्वीकार की थी, परन्तु अमृतसर कांग्रेस में भाग लेने के कारण आपकी छात्रवृत्ति ही नहीं रोकी गई बल्कि धौलपुर आने पर गिरफ्तार भी कर लिया गया । मालवीय जी के आग्रह करने पर आप बनारस यूनिवर्सिटी में मैडिकल आफिसर हो गये और मृत्युपरयन्त वहीं पर रहे । आप मालवीय जी के अत्यन्त विश्वासपात्र व्यक्तियों में से थे । मालवीय जी के कारण ही आपको महात्मा गांधी के भी निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला ।

1930 में आप मालवीय जी के साथ गिरफ्तार हुए । 1930 से 1932 के आंदोलन में आचार्य नरेन्द्रदेव के साथ यू. पी. आंदोलन के संचालकों में थे तथा आप आंदोलन के डिक्टेटर की हैसियत से गिरफ्तार हुए । आप 1931 में गिरफ्तार हुए और 1933 में बीमारी के कारण रिहा किये गये । "भारत छोड़ो" आंदोलन में आपने श्री जयप्रकाश नारायण को अन्डर ग्राऊण्ड रहने में विशेष सहायता दी थी । उसके भेद खुलने पर आपको गिरफ्तार कर लिया गया और 1943 से 1945 तक जेल में रहे । 1946 में आपको यह सूचना मिलने पर कि दो प्रजा मण्डल कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई । आप धौलपुर वापस आये और सत्याग्रह किया और अन्त में राज्य की फ़ौज़ को भारतीय ध्वज फहराने के लिए विवश कर दिया गया ।

1948 में मत्स्य संघ में वित्त तथा व्यवसाय एवं व्यापार मंत्री बने । 1950-51 में आपने लोगों को स्वयंकार्य करने की प्रेरणा दी और 2000 व्यक्तियों को साथ लेकर राजाखेड़ा से धौलपुर तक 27 मील लम्बी सड़क का निर्माण निर्माण किया । स्वभाव से शांत चित्त होने के कारण आपने राजस्थान के प्रथम मंत्री मण्डल में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिलने पर भी अस्वीकार कर दिया ।

आपने अपने समय में आंखों के लगभग 25000 सफल ऑपरेशन किये थे । आप भारत के ख्याति प्राप्त नेता थे । देश की मुख्य समस्याओं को भली प्रकार समझने वाले तथा उनका समाधान करने वाले व्यक्ति थे । आप एक सुन्दर और धारावाही वक्ता थे । आपको हिन्दु धर्म ग्रन्थ और दर्शन साहित्य में विशेष रुचि, थी और आपने उनका गहन अध्ययन भी किया था आप कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से 1952 में प्रथम राजस्थान

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। आपका निधन 7 दिसम्बर, 1989 को हुआ।

जब माननीय सदन के नेता बोल रहे थे तब उसको देखते हुए डा. साहब से सम्पर्क बचपन से रहा जब हम कुछ सीखने को, जिन्दगी में कुछ काम करने के लिए तैयार हुए ऐसा व्यक्तित्व शायद मुश्किल से देखने को मिले। ठिगना कद, गठा हुआ शरीर, बिलकुल स्वच्छ वस्त्र, चेहरे पर मुस्कान, भरा हुआ चेहरा और कभी उनकी तरफ देख लें तो ऐसा करेगा कि उनके सामने देखते ही जायें। मुस्कराता हुआ भी रोबीला चेहरा। जिस बात को कहते थे, इतना दबंगपन से कहते थे कि अगले को बात को मानना पड़ता था और उसकी एक वजह थी कि जो कहते थे वही वे खुद करते भी थे। उनका जीवन इस तरह का था। माननीय जोशीजी ने भी जिस समय कहा धौलपुर के राजाखेड़ा की, उस समय सड़क का कार्य हो रहा था। मैं भी वहां गया था और हमारे भरतपुर के कई साथी वहां गये पर थे, उस श्रमदान में भाग लेने के लिए। हम एक दिन रहे हमने भी उस पर मिट्टी डाली थी, मिट्टी का काम हो रहा था। कल्पना नहीं कर सकते कि 27 मील की सड़क की मिट्टी उन्होंने खुद डाली और डलवाई और एक-एक फौज जो लग रही थी निर्माण कार्य में, इसमें श्रमदान के कार्य में। यह आज पहला मौका नहीं है कि मुझे डा. साहब याद आये हैं। मैं जब भी क्षेत्र में जाता हूं या कभी मुझको सुनने को मिलता है—तिवाड़ी जी यह हमारा देखिये सामने से यह नाली जा रही है, यह ठीक नहीं हो रही है या हमारा गांव मेन सड़क से एक किलोमीटर दूर है या आधा किलोमीटर दूर है, हमारी यह सड़क नहीं बन रही है। कौनसा क्षण होगा कि मुझे डा. साहब याद नहीं आते हैं। वह बात याद आते ही याद आ जाती है कि अब यह जमाना आ गया है कि अपना छोटा सा काम हम नहीं कर सकते हैं। सारी चीज सरकार पर। अगर घर के आगे नाली जा रही है तो सरकार करेगी। अगर मेन रोड़ से एक फलांग गांव दूर है तो सरकार रास्ता बनायेगी। जब-जब इतनी घटनाएं आती है तो उसी समय, हर समय मुझे डा. साहब हिट होते है। एक वह विभूति थी जिन्होंने श्रमदान के जरिये से न जाने कितने-कितने काम किये। लोगों में इससे भावना भरती थी। एक लगन लगा दी थी। इस तरह का व्यक्तित्व शायद अभी नहीं मिले। कितने अध्ययनशील थे। टाइम टेबिल में, उनके जो नित्य कर्म थे उसके बड़े पाबन्द थे। व्यवहार में बड़े स्पष्ट थे, बड़े स्पष्टवादी थे। सलाह-मशविरा किसी को देते थे, स्पष्ट देते थे। राजनीति उनको छू नहीं गई थी। उनके लिए यह नहीं था कि बाहर कुछ और भीतर कुछ—बिलकुल साफ उनका दिल और दिमाग था। बड़े विद्वान आदमी, सेवा भावी, इस तरह का महान् व्यक्ति, महान् व्यक्ति कहूंगा कि जिनसे हमने प्रेरणा ली, मैंने प्रेरणा ली और न जाने कितने लोगों ने प्रेरणा ली है। इस तरह के व्यक्ति का जो निधन है उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकेंगे। परमात्मा उनकी आत्मा को बहुत-बहुत शांति दें, परिवार को इसको सहन करने की शक्ति दे और वे आगे भी आ करके, जन्म ले करके हमको मार्ग दर्शन करें, यह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। इन सबको मैं चाहूंगा सबके साथ में दो

(श्री अध्यक्ष)

मिनिट का मौन रख करके हम सबको सामूहिक रूप से सांत्वना दें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

सदन की अवमानना

विशिष्ट दर्शक दीर्घा से नारे

श्री अध्यक्ष : एक सूचना देनी है विशिष्ट दर्शक दीर्घा में कुछ शोरगुल हुआ था। उसका मामला आज ही निपटाया जाना है तो दो बजे उसकी, बी. ए. सी. की मीटिंग है जो जैसी इसके बारे में राय हो, या तो बी. ए. सी. इसको तय कर ले, कर सकती है या हाउस ही करेगा वैसे कायदे से तो, नियम से तो हाउस करेगा तो वह बी. ए. सी. के बाद में अपन....

श्री दिग्विजय सिंह : माफी मांग ली छोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : उसको सलटाना तो पड़ेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : नियमानुसार कर लें, साहब।

श्री अध्यक्ष : क्या करना है ? बी.ए.सी. में कर लें या क्या ? (व्यवधान)....जैसा माननीय नेता चाहें। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या राय है इसके बारे में ? क्या करना है ?

श्री हरिदेव जोशी : आपकी इन्क्वायरी क्या कहती है, मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष : फिर असेम्बल हो जाय जैसा कहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, नहीं। यह सारा अधिकार अध्यक्ष महोदय को है। जो भी वह निर्णय करें, सब मान्य होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट आ गई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कर देना साहब।

श्री अध्यक्ष : क्या जीवाराम सिंह, क्या लिखा है....(व्यवधान)

श्री केदार नाथ शर्मा : अध्यक्ष महोदय को सारे अधिकार है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कर देना फैसला।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपको अधिकार दे दिया। आप बैठकर कर लेना।

श्री अध्यक्ष : चलिये तो वहां चेम्बर में इसको निपटा देंगे। मैं चेम्बर में निपटा दूंगा।

सदन की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही अपराह्न 1.45 बजे कल दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची

S. No.	Date when Cobalt 60 Unit gone out or order	Date of Repairs	Duration	Reason
1.	3-7-80	10-7-80	8 days	Source repaird
2.	23-7-80	12-8-80	21 days	Shutter not working
3.	20-8-81	14-11-81	87 days	Machine out of order because of flood.
4.	31-8-82	3-9-82	4 days	light area not working
5.	22-4-83	4-5-84	1 year & 13 days	Field size not working
6.	21-6-84	19-9-84	91 days	Shutter not working
7.	2-2-85	15-4-85	73 days	Air leakage
8.	17-11-88	2-1-89	47 days	–Source change –Doctors' strike
9.	14-3-89	Efforts have been made intensively to get it repaired from the manufacturer as recommended by the Head of the Dept. of Radio-Therapy Dept. However, it has been declared non-repairable, by the Maintenance Engineers of Suppliers.		

(61)

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची

(परिशिष्ट–अ)

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में गत 3 वर्षों में पक्की सड़कों के निर्माण की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई
1-	डामर सम्पर्क सडक पचपदरा शहर	0.50 कि. मी.
2-	डामर सम्पर्क सड़क सांभरा	3 "
3-	डामर सम्पर्क सड़क सराना	2 "
4-	डामर सम्पर्क सड़क पारलू रेल्वे स्टेशन	0.50 "
	डामर सड़कों की लम्बाई	6 कि. मी.
5-	मेटल सड़क पाटोदी से परेऊ	4 कि. मी.
6-	मेटल सड़क थोब-माडपुरा	6 "
7-	मेटल सड़क माडपुरा-आगोलाई	3 "
8-	मेटल सम्पर्क सड़क साजीयाली	8 "
9-	मेटल सड़क बागूण्डी से मलवा	8 "
10-	मेटल सड़क खेड से बागूण्डी	7 "
11-	मेटल सड़क मूंगडा से उमरलाई	9 "
	मेटल सड़क की लम्बाई	45 कि. मी.
	कुल निर्मित सड़कों की लम्बाई	51 कि. मी.

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में गत 3 वर्षों में सड़क मरम्मत की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई
1.	बालोतरा-सिवाना	10 कि. मी.
2.	उत्तर लाई बायूत बागुण्डी पचपदरा साल्ट	32 ,,
3.	बालोतरा-सिणधरी	9 ,,
4.	पचपदरा से पचपदरा साल्ट	1 ,,
5.	बालोतरा-मेवानगर	7 ,,
6.	पचपदरा शहर से पचपदरा रेल्वे स्टेशन	2 ,,
7.	जोधपुर-पचपदरा	21 ,,
		82 कि. मी. 3 वर्षों में

परिशिष्ट 'स'

1. जोधपुर पचपदरा
2. पचपदरा पाटोदी
2. खेड-बागुण्डी

(63)

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

प्रश्न संख्या 3 से सम्बन्धित तालिका

(मै. टन)

वर्ष		लेखों में लिया गया उदयपुर पर उत्पादित रनिंग स्टाक जो लगातार उत्पादन व बिक्री से बढ़ता घटता रहता है।	1985-86 में ग्रेड निश्चित न होने की वजह से लेखों के बाहर रखा गया स्टाक जिसे बेचान योग्य नहीं माना गया।	योग
		1	2	
1986–87 आरम्भ		77,035	26,860	1,03,895
उत्पादन				
1986–87	71,982			
1987–88	98,377			
1988–89	97,041	2,67,400	—	2,67,400
	योग :	3,44,435	26,860	3,71,295
विक्रय				
1986–87		75,660	4,449	80,109
1987–88		1,18,053	14,746	1,32,799
1988–89		87,611	3,500	91,111
	योग :	2,81,324	22,695	3,04,019
शेष स्टाक 31.3.89 को		63,111	4,165	67,276

1. जिस 26,860 मै. टन स्टाक को 1985-86 में तुरन्त बेचने योग्य नहीं माना गया था और जिसे अलग ढ़ेर में रखा गया था उसमें 22,695 मै. टन 31-3-89 तक बिक गया और शेष 4,165 मै. टन भी लगभग पूर्णतः बेचा जा चुका है।

2. कालम 1 में दर्शाया गया स्टाक रनिंग स्टाक है। यह उत्पादन व बिक्री के साथ घटता/बढ़ता रहता है। अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अमुक वर्ष का स्टाक बेचा जा चुका है।

3. 1986-87 के लेखों में जिसमें 26,860 मै. टन शामिल किया गया था, का प्रारम्भिक स्टाक उत्पादन-लागत के हिसाब से रुपये 168.38 लाख रु. आंका गया है।

4. वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक तीन वर्षों में 3,04,019 मै. टन रॉक-फास्फेट सीधा या उन्नत करके बेचा गया जिसका विक्रय मूल्य रु. 1927.75 लाख था।

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

लूनी नदी (बालोतरा) पर पुल

(7) श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बालोतरा-जसोल के बीच लूनी नदी पर पुल निर्माण हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ? यदि हां, तो कब से और अब तक कितना कार्य पूरा हो चुका है ? शेष कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? अब तक इस पर कुल कितना व्यय हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुल हेतु सम्पर्क सड़कों के लिए सुरक्षित भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और मकान बना लिए है ? यदि हां, तो कितने और सरकार इसे रोकने में असमर्थ क्यों रही ?

(3) अब कब तक सम्पर्क सड़कों के निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा ? और अनाधिकृत कब्जे हटाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। बालोतरा-जसोल के बीच लूनी नदी पर पुल निर्माण सन् 1985 से प्रारम्भ हुआ है। अब तक जसोल की तरफ से 247 मीटर ग्रेवल सड़क एवं 595 मीटर मिट्टी का कार्य हुआ है शेष कार्य के लिए राज्य सरकार को 301.28 लाख की संशोधित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव किया गया है। अब तक इस कार्य पर कुल 10.14 लाख का खर्च हुआ है।

(2) जी हां। सूची संलग्न है। उक्त पुल हेतु सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा मकान बनाये गये हैं तथा अब तक 6 मकान बना लिये हैं।

(ए) वित्तीय साधनों के अभाव में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है।

(बी) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चालू है और भूमि अवाप्त एक्ट के अन्तर्गत नोटिस दिये का चुके हैं और गजट नोटिफिकेशन सैक्शन 4 में प्रकाशित किया जा चुका है।

(3) भूमि अवाप्ति एवं संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

सूची

1. श्री पीर खान पुत्र मोहम्मद खान मकान का कुछ हिस्सा।
2. श्री घेवर चन्द घानवाला मकान।
3. श्रीमती पेम्पा देवी पत्नि कालू जी मकान।
4. श्री धनराज मकान।
5. श्री पोकर राम प्रभूजी मकान।
6. श्री जवाना चांदा जी मकान।

नवलगढ़ तहसील में अकाल राहत कार्य

9. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में सम्वत् 2046 को खरीफ की फसल में कौन-कौन से जिलों में कुल कितने-कितने ग्राम अकालग्रस्त थे ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें । क्या अब तक इन्हें राज्य सरकार द्वारा अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक अकालग्रस्त घोषित करके लोगों को राहत प्रदान की जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं में सभी ग्राम संवत् 2046 की खरीफ की फसल के दौरान अकालग्रस्त गांवों की श्रेणी में थे, किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस तहसील को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करके राहत के काम शुरू नहीं कराये गये हैं ? अब कब तक उक्त तहसील में राहत कार्य प्रारम्भ करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में संवत् 2046 की खरीफ की फसल में जिला कलक्टरों से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार 27 जिलों में से 25 जिलों के 13907 ग्रामों की फसलों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा बताया है। जिलेवार संख्या सूची संलग्न है। जिलों से खसरा गिरदावरी सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि 30-11-89 थी। समस्त जिलों से प्राप्त सूचना को संकलित किया जाकर अभावग्रस्त घोषणा सम्बन्धी कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू के सम्वत् 2046 की खरीफ की फसल सम्बन्धित अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार कुल 71 गांवों में से 70 गांवों की फसलों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा बताया है। अभावग्रस्त घोषणा सम्बन्धी कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

EXTENT OF SCARCITY

Year :–1989–90

S. N.	NAME OF DISTRICT	TEHSILS TOTAL	TEHSILS AFFECTED	VILLAGES TOTAL	VILLAGES AFFECTED
1.	Ajmer	6	6	1015	609
2.	Alwar	10	1	1951	52
3.	Banswara	5	5	1465	458
4.	Barmer	7	7	1204	718
5.	Bharatpur	9	–	1472	—
6.	Bhilwara	11	4	1654	268
7.	Bikaner	4	4	696	502
8.	Bundi	4	4	854	600
9.	Chittorgarh	12	–	2399	—
10.	Churu	7	7	976	764
11.	Dholpur	4	2	584	249
12.	Dungerpur	4	4	856	412
13.	Ganganagar	16	4	4934	246
14.	Jaipur	17	10	3176	1161
15.	Jaisalmer	2	2	578	559
16.	Jalore	5	4	677	378
17.	Jhalawar	6	6	1607	1380
18.	Jhunjhunu	5	5	833	221
19.	Jodhpur	6	6	842	601
20.	Kota	12	8	2148	762
21.	Nagaur	8	2	1078	46
22.	Pali	7	7	942	326
23.	S. Madhopur	10	9	1745	1119
24.	Sikar	6	4	899	444
25.	Sirohi	5	2	468	86
26.	Tonk	6	6	1089	932
24.	Udaipur	17	5	3232	414
	TOTAL :	212	124	39673	13907

Comaputer cell. Relief/lotus/scar/ext 2046

राज्य खनिज विकास निगम में मेन्टीनेन्स इंजीनियर का नवीन पद

10. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या मुख्य (खनिज) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम में मेन्टीनेन्स इंजीनियर का पद सृजन करने का प्रस्ताव है।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में निगम में तीन मैकेनिकल इंजीनियर उपलब्ध है और उनसे मेन्टीनेन्स का कार्य नहीं कराया जा रहा है।

(3) जब निगम में तीन मेकेनिकल इंजीनियर उपलब्ध हैं तो नया पद सृजन करने का क्या औचित्य है।

उत्तर

(1) जी हां। निगम की सानू लाईम स्टोन परियोजना, जैसलमेर पर लगभग 18.21 करोड़ रुपये की मशीनों की प्रस्तावित खरीद, इन मशीनों को लगाने तथा वर्कशाप की स्थापना की दृष्टि से सीनियर मेन्टीनेन्स इंजीनियर का पद जैसलमेर के लिए सृजित करना विचाराधीन है।

(2) निगम में तीन अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उपाधि तो है, परन्तु उनकी नियुक्ति अन्य कार्यों के लिए की गई है।

(3) प्रश्न के इस खण्ड का उत्तर प्रश्न के खण्ड एक व दो के उत्तर में समाहित है।

(69)

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची

क्र. सं.	नाम लीज होल्डर	नाम ग्राम लीज	सरफेसरेन्ट बकाया	वि.वि,
1	2	3	4	5
1.	श्री झूमरमल स्वरूपलाल	ससेड़ी	38.00	
2.	,, राम भान गूजर	जाखेर	18.00	
3.	,, रामस्वरूप राकेशकुमार	भंवरपुरा	88.00	
4.	,, देवव्रत पुत्र श्री रंगीलाल मीना	गुरदेह	15.00	
5.	,, शिवशंकर/हुकमचन्द शर्मा	,,	225.00	
6.	,, रामभरोसी/सुवालाल	,,	10.00	
7.	,, शिशपाल/महावीरसिंह	,,	3.50	
8.	,, लख्मीराम/रंगीलाल शर्मा	,,	3.25	
9.	,, हरीबाबू/रंगीलाल शर्मा	,,	8.00	
11.	,, गणेश/हरिभजन मीना	गढी का गांव	6.00	
11.	,, निर्मलकुमार/हरिचरण	बुगडार	6.00	
12.	,, शिवचरण/जमुनालाल	लांगरा	2.25	
13.	,, हरिचरण/रतन अग्रवाल	,,	3.00	
14.	,, भगवतीप्रसाद/भिक्कू	जाखोदा	7.50	
15.	,, रामभरोसी ठेकेदार	नीदर	14.00	
16.	,, हरिचरण/ईश्वरलाल	,,	14.80	
17.	,, रमेशचन्द गुप्ता नि. हिण्डौन	रोंधई	3.00	
18.	,, देवीलाल/अमरचन्द माली	चन्देली	3.50	
19.	,, महाराजसिंह/दुल्लीराम	मनाखुर	84.50	
20.	,, मांगीलाल/जगन्नाथ	भेरेट	66.00	
21.	,, रेकसिंह/जनकसिंह	करौली	575.00	
22.	,, रूपनारायण पाण्डेय	,,	2325.00	

1	2	3	4	5
23.	श्रीमती सुशीला देवी प्रेम देवी कान्ता प्रसाद	करौल	20.00	
24.	श्री जगमोहन/भोंदूराम	खनपुरा	165.00	
25.	,, विरेन्द्र सिंह/बाबूसिंह	केशपुरा	5.00	
26.	,, बादाम/फैली गूजर	,,	15.00	
27.	,, रामनाथ/बैजनाथ महाजन	,,	158.00	
28.	,, रामसिंह गूर्जर	,,	15.00	
29.	,, रोशनलाल गूजर	,,	15.00	
30.	,, रोशनलाल/केशवदेव	जमूरा	43.00	
31.	,, भरतसिंह/हंसराम	खूंडा	1000.00	
32.	,, मांगीलाल/चन्दनमल	,,	1000.00	
33.	,, द्वारिका प्रसाद महाजन	संधपुरा	79.00	
34.	,, तुहीराम/भम्बले गूजर राधेश्याम सूरोठ	डांडा	126.40	
35.	,, रोशन शर्मा	टिमकोली	10.00	
36.	,, मोजीराम/सुन्दर	खुण्डरी	1.00	
37.	,, रामदयाल/मूली गूजर	बिरहटा	9.00	
38.	,, शाहबुद्दीन ठेकेदार	भावली	40.00	
39.	,, कसोटीखेड़ा श्रमिक संघ बाडी	,,	7.50	
40.	,, जगदीश प्रसाद	बल्लूपुरा	4.00	
41.	,, रूपचन्द/बंगाली जैन	कोण्डर	9.60	
42.	,, बल्लूमसिंह/रायसिंह	कोसर	5.00	
43.	श्रीमती मायादेवी	कोण्डर	8.60	
44.	श्री सूबेसिंह/सुखचन्द	कोसर	8.60	
45.	,, भगवत महाजन ठेकेदार	कोटा	187.50	
46.	,, गुलाबचन्द ठेकेदार	कोटा	1.05	
47.	,, नारायण/मिश्रीलाल	टटवाई	105.00	

1	2	3	4	5
48.	श्री देवीसिंह/भागवानसिंह	इटवाई	23.50	
49.	,, मटआ/मलुआराम	खोडिया	3.00	
50.	,, आनन्दा/कुन्जा	मण्डाखेड़ा	2.50	
51.	,, स्वरूपलाल	लेदोरकलां	4.00	
52.	,, केदार/कलुआराम	लेदोर खुर्द	3.00	
53.	,, रामजीलाल/द्वारकाप्रसाद	,,	3.00	
54.	,, सुरेशचन्द/छगनलाल	,,	4.00	
55.	,, रामगोपाल/प्रसादी	,,	4.00	
56.	,, जनकलाल/शिब्बूराम	रतियापरा	137.50	
		योग—	6747.00	

Sd/–
जिला कलक्टर
सवाईमाधोपुर

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या. 11 की सूची

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, करौली (राज.)

लीज होल्डर्स पर बकाया राशि की सूची दिनांक 21-7-89 को
(डेडरेन्ट/रायल्टी आदि)

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	स्वीकृत क्षेत्र	बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री नथुआलाल माली	सैण्ड स्टोन	रा. सी. खूबनगर	2,025.50
2.	,, अतेलबसिह	,,	प्लाट नं. रितियापुरा	452.00
3.	,, आनन्दालाल	,,	रा. सी. गुवरेडा	21,941.75
4.	,, अशोकसिह	,,	प्लाट नं. 1 भांकरी	5,261.00
5.	,, अशोककुमार	चेजापत्थर	100 × 100 मी. नांगलप.	1,650.00
6.	श्रीमती ग्रमिता गोयल	चर्ट	150 × 100 मी. मोहनपुर	4,538.00
7.	श्री अनिलकुमार	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 3 कसारा	4,250.00
8.	श्री बल्लूसिह	सैण्डस्टोन	रा. सी. कोसरा	773.00
9.	श्रीमती वत्तोसाई	चेजापत्थर	100 × 60 मी. धन्सूरी	567.00
10.	श्री भरतसिह	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 1 देवरी पिपरानी	954.00
11.	,,	,,	,, 5 ,,	2310.00
12.	,,	,,	,, 9 ,,	1479.25
13.	,,	,,	,, 14 ,,	2835.50
14.	,,	,,	,, 21 ,,	1121.25
15.	,,	,,	,, 24 ,,	2962.75
16,	,,	,,	,, 30 ,,	1076.20
17.	,,	,,	,, 34 ,,	953.00
18.	श्री भंवरसिह	,,	रा. सी. बरेठी	3795.00

(73)

1	2	3	4	5
19.	श्री भंवरलाल शर्मा	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 8 पारासरी	19822.50
20.	,, बृजमोहन माली	,,	,, 13 बहरदा	3636.81
21.	,, बृजेश शर्मा	चेजापत्थर	120 × 50 मी. खरेटा	3960.00
22.	,, बाबूलाल अग्रवाल	सैण्डस्टोन	ग्रुप नं. 5 मासलपुर	57570.55
23.	श्रीमती छोटी बाई	लाईमस्टोन	60 × 60 मी. कोंडर	432.75
24.	,,	,,	120 × 60 कोंडर	871.50
25.	श्री चन्द्रकान्त शर्मा	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 1 बहरदा	2203.23
26.	श्री छोटेलाल माली	,,	,, 4 महू	5057.75
27.	,,	,,	,, 3 महू	6000.00
28.	श्री दीनदयाल	,,	,, 2 कसारा	7750.00
29.	,, गज्जीसिंह	,,	,, 1 पारासरी	3718.00
30.	,, गोविन्दप्रसाद	लाईमस्टोन	60 × 60 कोंडर	286.00
31.	,, गजेन्द्रभारद्वाज	चेजापत्थर	9824 व. मी. करौली	736.80
32.	,, हरीचरणलाल	सैण्डस्टोन	रा.सी. साहनपुर	5189.25
33.	,, हरीचरणलाल	,,	प्लाट नं. 1 गुरधा	3885.10
34.	,, हजारीलाल गर्ग	,,	,, 3 खुन्डा	20876 80
35.	,, हजारीलाल	,,	,, 15 पारासरी	2000.00
36.	,, हजारीलाल	,,	,, 9 लोटदा	1746.00
37.	,, जगमोहन शर्मा	,,	रा. सी. खनपुरा	2940.50
38.	,, जनार्दनसिंह	,,	प्लाट नं 2 करौली	19900.40
39.	,, जगनीशप्रसाद गौड़	,,	,, 5 महू	5400.00
40.	,, करणसिंह	,,	,, 8 लेदोरखुर्द	9796.89
41.	,, कल्याणप्रसाद मीना	,,	रा. सी. बहराई	6872.00
42.	,, किस्तूरचन्द सिंहल	,,	ग्रुप नं. 6 मासलपुर	95041.96
43.	,, कैलादेवी चूना उद्योग	लाईमस्टोन	120 × 60 कोंडर	1001.60
44.	,, कल्याणलाल	चेजापत्थर	100 × 60 गाधोली	900.00
45.	,, श्रीमती कमला देवी	चेजापत्थर	100 × 100 नांगलपहाड़ी	4500.00

1	2	3	4	5
46.	श्री किरोड़ीलाल अग्रवाल	सैण्डस्टोन	रा. सी. ऊंचागांव	18000.74
47.	,, लालपत मीना	,,	प्लाट नं 6 पारासरी	4650.50
48.	,, लक्ष्मण भारद्वाज	चेजापत्थर	120 × 50 मी. फैलीकापुरा	900.00
49.	,, मथुरालाल शर्मा	लाईमस्टोन	60 × 60 चैनपुर	245.50
50.	,, मांगीलाल	सैण्डस्टोन	ग्रुप नं. 5 मासलपुर	7646.25
51.	,, मेघराम मीना	,,	प्लाट नं. 13 पारासरी	2450.00
52.	,, प्रहलाद गुप्ता	,,	,, 3 पारासरी	3641.00
53.	,, पूरनचन्द	चेजापत्थर	100 × 100नांगलपहाड़ी	1500.00
54.	,, राधेश्याम	मिलस्टोन	प्लाट नं. 1 ताली	576.75
55.	,, रामफूल मीना	सैण्डस्टोन	रा. सी. भावली	2512.75
56.	,, रज्जकपूर शर्मा	,,	प्लाट नं. 4 पारासरी	1901.75
57.	,, रामदयाल गूर्जर	,,	रा. सी. किरेठा	6274.50
58.	,, रामचरण शर्मा	,,	रा. सी. मचानी	12947.75
59.	,, रामसिंह मीना	,,	प्लाट नं. 2 लोटदा	11326.50
60.	,, राजपालसिंह	,,	रा. सी. टटवाई	15735.00
61.	,, रामगोपाल शर्मा	,,	प्लाट नं 4 लेदोरखुर्द	22449.05
62.	,, रोशनलाल	,,	,, 33 लोटदा	4956.75
63.	,, रामनिवासी	,,	,, 10 ताली	32000.00
64.	,, रामरतन मीना	,,	200 × 50 पहाड़ी	4250.00
65.	,, राधेश्याम	चर्ट	150 × 50 मी. मोहनपुर	2475.00
66.	,, रमेश मीना	सैण्डस्टोन	प्लाट नं.18 पारासरी	3802.75
67.	,, सुरेन्द्रकुमार	मिलस्टोन	,, 2 ताली	1165.75
68.	,, सूबेसिंह	सैण्डस्टोन	,, 13 लोटदा	1778.75
69.	,,	,,	,, 17 ,,	2286.25
70.	,, सुरेशचन्द	,,	,, 3 लेदोरखुर्द	5626.25
71.	,, सज्जनसिंह	,,	,, 1 कोटदाछाबर	1069.75
72.	,,	,,	,, 2 ,,	1128.00

1	2	3	4	5
73.	श्री सज्जनसिंह	सैण्डस्टोन	प्लाटनं. 3 ,,	945.00
74.	,,	,,	,, 6 ,,	1275.75
75.	,,	,,	,, 8 ,,	811.00
76.	श्री श्रीकृष्ण मीना	,,	प्लाट नं. 2 मनाखुर	6586.75
77.	,, सोहनलाल शर्मा	,,	रा. सी. टमकोली	5707.13
78.	,, शंकर जाटव	बजरी	गम्भीर नदी	1628.50
79.	,, श्योसिंह	चर्ट	मोहनपुर	6187.50
80.	श्रीमती विमलादेवी	चर्ट	,,	4125.00
81.	श्री बृजकिशोर गोयल	,,	,,	4538.00
82.	,, भुवनेन्द्र कुमार	लाइमस्टोन	60 × 60 कोंडर	1706.80
83.	,, ओमप्रकाश शर्मा	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 9 मकनपुर	13250.00
84.	,, अमृतलाल	,,	प्लाट नं. 2 हल्का नं. 13	5250.00
85.	,, अब्दुलसलाम	चेजापत्थर	80 × 50 मी. बाढ़	300.00
86.	,, भौरूलाल शर्मा	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 1 बहादुरपुर	20752.75
87.	,, बजरंगलालशर्मा	,,	" 8 मामचारी	1666.25
88.	,, भरोसी गूर्जर	,,	" 1 बिजौदाकी	4575.75
89.	,, भूरसिंह	चेजापत्थर	बिच्छूवली	562.50
90.	,, भौरीलाल जैन	सैण्डस्टोन	ग्रुप नं. 26 चौबेकी	137165.60
91.	,, चैनसुखलाल	चेजापत्थर	मार्च	675.00
92.	श्रीमती चन्दनिया देवी	सैण्डस्टोन	कंचनपुर रा. सी.	4082.25
93.	श्री दिनेशकुमार पाण्डे	,,	1.66 वर्गमीटर करौली	9705.00
94.	,, दामोदरलाल	लाइमस्टोन	90 × 60 मी. कालीडूंगरी	1096.00
95.	,, दामोदर प्रसाद	चेजापत्थर	90 × 60 बिच्छूवाली	405.00
96.	,, दर्शनसिंह	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 1 मकनपुर	32500.00
97.	,, देवीलाल	लाइमस्टोन	जीरोता	1375.00
98.	,, गिर्राजप्रसाद	सैण्डस्टोन	रा. सी. लांगरा	1625.75
99.	,, गिर्राजप्रसाद	,,	500 × 400 फुट लोहर्रा	1638.50

1	2	3	4
100. श्री गोरधनलाल	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 1 लोहर्रा	1568.00
101. ,, गिर्राजप्रसाद	लाइमस्टोन	100 × 100 जीरोता	7750.00
102. ,, गफ्फार खां	चेजापत्थर	गोविन्दपुरा	540.00
103. ,, हंसराम	सैण्डस्टोन	प्लाट नं.45 अलबतकी	32312.00
104. ,,	,,	,, 54 ,,	37427.25
105. श्री हरीचरणगोयल	,,	,, 11 लोहर्रा	2394.00
106. ,, हबीबुर्ररहमान	चेजापत्थर	गोविन्दपुरा	630.00
107. ,, जगमोहन मीना	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 3 माडींभाट	2342.00
108. ,,	,,	,, 4 ,,	2277.00
109. ,, जोहरीलाल	चेजापत्थर	सलेमपुर	1340.75
110. ,, जगन्नाथ जांगिड़	लाइमस्टोन	जीरोता	1548.00
111. ,, जगदीशप्रसाद	सैण्डस्टोन	प्लाट नं.1 करसाई	12750.00
112. ,, जगदीशप्रसाद	चेजापत्थर	अस्थल	750.00
113. ,, कल्लू खां	लाइमस्टोन	खिरखिडी	1328.13
114. ,, कोंरीलाल	,,	धूलवास	3210.42
115. ,, किरोड़ीलाल	,,	जाखेर	3157.74
116. ,, मिठ्ठूलाल	,,	जीरोता	383 60
117. ,, महेशचन्द शर्मा	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 6 माडींभाट	5996.75
118. ,, महेश शर्मा	,,	,, 7 ,,	5569.75
119. ,, मांगीलाल शर्मा	,,	रा. सी. भैरठ	1100.25
120. ,, मोतीलाल	लाइमस्टोन	जीरोता	2602.50
121. ,, निहालसिंह	चेजापत्थर	जटवाडीवालोती	4329.06
122. ,, निर्मलकुमार	सैण्डस्टोन	बुगडार	23978.75
123. ,, नारायणलाल खटीक	लाइमस्टोन	कातांहेडी	613.25
124. ,, नन्दकिशोर	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 8 प्लाट नं 4 का	1967.00
125. ,, नथुआ मीना	चेजापत्थर	बिच्छूवाली पहाड़ी	675.00

1	2	3	4	5
126.	श्री नत्थीलाल	चेजापत्थर	सलेमपुर	900.00
127.	,, नेमीचन्द व्यास	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 40 बहादुरपुर	1620.00
128.	,,	,,	,, 41 ,,	963.75
129.	श्री ओमप्रकाश कुमेरप्रसाद	,,	,, 8 लोहर्रा	4650.75
130.	,, प्रीतमचन्द	,,	,, 1 प्लाट नं. 4 का	2585.75
131.	,, प्रकाशचन्द	,,	,, 1 माडींभाट	2173.50
132.	,,	,,	,, 2 ,,	1170.25
133.	,, रामगोपाल माली	,,	,, 33 लोहर्रा	2178.00
134.	,,	,,	,, लोहर्रा	2125.95
135.	,, रामप्रसाद	लाइमस्टोन	मण्डोली	2778.75
136.	,, रामेश्वरप्रसाद राकेश कु.	सैण्डस्टोन	भंवरपुरा	7526.17
137.	,, रामस्वरूप शर्मा	,,	नींदर बी	1540.00
138.	,, रमेशचन्द	,,	प्लाट नं 8 माडींभाट	2320.00
139.	,, राजेन्द्रकुमार भारद्वाज	,,	,, 50 बहादुरपुर	2181.50
140.	,,	,,	,, 51 ,,	2144.50
141.	,, रामनारायण	लाइमस्टोन	पाचोली	2888.00
142.	,, रामसिंह मीना	चेजापत्थर	बालोती	385.00
143	,, रामसिंह मीना	,,	,,	270.00
144.	श्री रंगीलाल	सैण्डस्टोन	ग्रुप नं. 2 ए	302264.66
145.	श्री सुगनलाल	,,	प्लाट नं. 2 अलेवा	3907.25
146.	श्री शिवजीलाल	लाइमस्टोन	नीलाडूंगर	1134.00
147.	श्री शिवचरणलाल	,,	छीपघटा	5745.80
148.	श्री सीताराम	,,	खोहरावाला लोहर्रा	20.20
149.	श्री सुरेशचन्द मित्तल	लाइमस्टोन	छीपघटा	14437.00
150.	श्री सूरजमल	सैण्डस्टोन	मामचारी	11369.50
151.	श्री शिवचरणलाल	,,	लांगरा	7399.00

1	2	3	4	5
152.	श्री शमशाद अहमद	सैण्डस्टोन	प्लाट नं. 5 रामबेली	182.50
153.	श्री शिवचरणसिंह	"	" 1 महू	2464.50
154.	श्री शिवचरणलाल	"	" 3 गढीका गांव	7800.00
155.	श्री शिवचरणलाल	चेजापत्थर	तमोलीपुरा	375.00
156.	श्री सुरेशचन्द शर्मा	लाइमस्टोन	मोगेपुरा	2750.00
157.	श्री शिवचरणलाल	सैण्डस्टोन	प्लाट नं.2 प्लाटनं. 4 का	4802.00
158.	श्री उमेशकुमार	"	" 8 ब्लाक नं 13	24962.00
159.	श्री विष्णुचन्द	"	श्यामपुर	3715.00
160.	श्री सुनीलदत्त शर्मा	चेजापत्थर	बिच्छूवाली	205.00
161.	श्री विशालसिंह मीना	सैंडस्टोन	प्लाट नं 4 मकनुपर	22750.00
162.	श्री अजयसिंह	"	" 10 मकनुपर	19000.00
163.	श्री मिश्रीलाल	हैण्डमिलस्टोन	मामोली प्लाट नं. 1	768.00
164.	श्री अशोककुमार	सिलिकासैण्ड	पाटौर	485.55
165.	श्री द्वारकाप्रसाद	"	टोडाभीम	18853.14
166.	श्री द्वारकाप्रसाद	क्वार्टज	ओंडर	1768.95
167.	श्रीमती गीतादेवी	सिलिकासैण्ड	अटलपुरा	4366.50
168.	श्री हिन्दुस्तानमिनरल्स	सोपस्टोन	मोराभण्डारी	88311.00
169.	श्री हरीचरणलाल	सिलिका	गोपालगढ़	20.80
170.	श्री हिन्द खनिज	सिलिकासैंड	बदरेठा	4917.73
171.	श्री कमललाल	सिलिकासैण्ड	गैरई	2590.00
172.	श्री कृष्णमोहन गोयल	सोपस्टोन	कुतुबपुर	14562.50
173.	श्री लक्ष्मी मिनरल्स	चायनाक्ले	तुरसंगपुरा	109.16
174.	श्री निर्मलकुमार पाटनी	सोपस्टोन	कमालपुरा	1736.48
175.	श्री रमेशचन्द	सिलिकासैण्ड	खेड़ी	11330.98
176.	श्री रमेशचन्द	रेडआक्साइड	रोधई	2762.50
177.	श्री रूपचन्द जैन	फायरक्ले	कारवाडी	3831.20

1	2	3	4	5
178.	श्री रामचरणलाल	सिलिकासैण्ड	अमरवाड	2999.92
179.	श्री रोहतास इंडस्ट्रीज	सिलिका	शंकरपुर	6744.37
180.	श्री राधामोहन	सोपस्टोन	कोन्डरगोहन्डी	746.85
181.	श्रीमती रतनदेवी	सिलिकासैण्ड	आलनपुर	1947.56
182.	श्री सतानन्द गर्ग	"	खोहरी	2880.00
183.	श्री शाह कस्तूरमल	सोपस्टोन	गढीमोरा	30950.25
184.	श्री शाह कस्तूरमल	"	बांसमण्डारी	5085.60
185.	श्री सुदर्शनलाल	सिलिकासैण्ड	रीछोटी	1500.00
186.	श्री सुभाषचन्द	"	घाटवाली	4256.44
187.	श्री संजीव परमार	फैल्सपार	भौमपुरा	2748.00
188.	श्री सुरेश मित्तल	सिलिका	मनोहरपुरा	500.85
189.	श्री विशाल लोचन	"	बाजना	49895.30
190.	श्री विमलचन्द सिंघल	ऐमेथिस्ट	करणपुरपाटोली	3000.00

खनि अभियन्ता,
करौली

राजस्थान सरकार

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय खनि अभियन्ता, करौली

पट्टेधारियों पर भूमिकर की बकाया राशि की सूची दिनांक 21-7-89 को

क्र.सं.	नाम पट्टेधारी	खनिज	स्वीकृत क्षेत्र	बकाया राशि	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुरेन्द्रकुमार	मिलस्टोन	प्लाट नं. 1 ताली	2331.50	
2.	,, बाबूलाल	चेजापत्थर	माचीपहाड़	11656.00	स्थगन
3.	,, राधेश्याम	मिलस्टोन	ताली	4037.25	
4.	,, करणसिंह	सैण्डस्टोन	प्लाट नं.8 लेदोर खुर्द	43360.00	स्थगन
5.	,, कल्याणप्रसाद	,,	बहराई	50660.00	,,
6.	,, बाबूलाल	,,	ग्रुप नं. 5	77766.00	
7.	,, अन्तूसिंह	,,	प्लाट नं. 1 लोटदा	12816.00	स्थगन
8.	,, केदारनाथ	,,	,, 14 लोटदा	17485.00	स्थगन
9.	,, सूबेसिंह	,,	,, 17व13 लोटदा	20325.00	,,
10.	,, कुन्जलाल मीना	,,	,, 18 लोटदा	700.00	
11.	,, सुरेशचन्द गर्ग	,,	,, 3 लेदोरखुर्द	20962.00	,,
12.	,, प्रहलाद	,,	,, 3 पारासरी	14782.00	,,
13.	,, गज्जीसिंह	,,	,, 1 पारासरी	17273.00	,,
14.	,, रामदयाल	,,	बिरेठी	15020.00	,,
15.	,, रामचरण शर्मा	,,	मंचानी	15829.00	
16.	,, भोरूसिंह	,,	कोटाछाबर	74642.00	स्थगन
17.	,, लक्ष्मीचन्द	,,	मदईखुर्द	49697.00	,,
18.	,, मांगीलाल वैश्य	,,	देवरीपिपरानी	15000.00	,,
19.	,, किस्तूर चन्द	,,	ग्रुप नं. 6		
20.	,, रामसिंह मीना	,,	प्लाट नं. 2 लोटदा	33758 00	
21.	,, जगमोहन शर्मा	,,	खनपुरा	44111.00	

1	2	3	4	5	6
22.	श्री आनन्दालाल	सैण्डस्टोन	गुबरेडा	31859.00	स्थगन
23.	,, हरिचरणलाल	,,	साहनपुर	9463.00	
24.	,, भूपसिंह	,,	प्लाट नं. 5 गुरधा	132940.00	स्थगन
25.	,, द्वारकाप्रसाद	,,	रघकापुरा	40238.00	,,
26.	,, रोशनलाल	,,	जूरा	20486.00	,,
27.	,, देवव्रत मीना	,,	प्लाट नं. 7 गुरधा		
28.	,, नारायणसिंह	,,	छाबर	51234.00	
29.	,, राजपाल	,,	टटवाई	112096.00	स्थगन
30.	,, श्रीकृष्ण मीना	,,	मनाखुर	49027.00	,,
31.	,, सोहनलाल	,,	टमकोली	73715.00	,,
32.	,, हरीचरणलाल	,,	प्लाट नं.1 गुरधा	95266.00	,,
33.	,, रामगोपाल	,,	,, 4 लेदोर	14258.00	,,
34.	,, लालपत मीना	,,	,, 6 पारासरी	27964.00	
35.	,, छोटेलाल मीना	,,	,, 5 पारासरी	23260.00	स्थगन
36.	,, मूलाराम	,,	,, 10, 11, 12 पारासरी	61053.06	स्थगन
37.	,, भंवरलाल	,,	,, 8 पारासरी	96716.00	स्थगन
38.	,, बृजमोहन माली	,,	,, 13 बहरदा	7300.00	,,
39.	,, स्वरूपसिंह	,,	लेदोरकलां	15219.00	स्थगन
40.	,, मगनलाल	,,	प्लाट नं. 43 लोटदा	35572.90	स्थगन
41.	गोयलस्टोन कं.	,,	,, 7 केशपुरा	11792.00	,,
42.	श्री रोशनलाल	,,	,, 33 लोटदा	14853.00	
43.	,, अमरसिंह	,,	,, 9 पारासर	20852.00	स्थगन
44.	,, सुरेश व्यास	,,	,, 15 बहरदा	9064.00	,,
45.	,, चन्द्रकांत	,,	,, 1 बहरदा	9076.00	
46.	,, रामनिवासी	मिलस्टोन	,, 10 ताली	85082.00	स्थगन
47.	,, मेघराम मीना	सैण्डस्टोन	,, 13 पारासरी	26668.00	

1	2	3	4	5	6
48.	श्री अशोकसिंह	सैंडस्टोन	प्लाट नं. 1 भांकरी	10020.00	
49.	,, जोहरीराम	,,	,, 15 लोटदा	30625.00	स्थगन
50.	,, हजारीलाल	,,	,, 15 पारासरी	4000.00	
51.	,, किरोड़ीलाल	,,	राजोर	72622.00	
52.	,, मुरारीलाल	,,	प्लाट नं.3 हल्का नं13	2845.00	
53.	,, हुकमचन्द	,,	,, 39 बहादुरपुर	32101.00	स्थगन
54.	,, रमेशचन्द गोयल	,,	,, 22 बहादुरपुर	25714.00	स्थगन
55.	,, रामगोपाल माली	,,	,, 33 लोहर्रा	19347.00	,,
56.	,, रमेशचन्द	,,	,, 43 बहादुरपुर	43284.00	,,
57.	,, निहालसिंह	खण्डा	भरतून	45967.00	,,
58.	,, राजेन्द्र भारद्वाज	सैण्डस्टोन	बहादुरपुर प्लाट नं.50	57023.00	,,
59.	,, रामेश्वर राकेशकुमार	,,	भंवरपरा	64079.00	,,
60.	,, भूमरलाल	,,	बहादुरपुर प्लाटनं.2	136275.00	,,
61.	,, बद्री मीना	,,	बहादुरपुर 15	26444.00	,,
62.	,, भौरूलाल शर्मा	,,	प्लाट नं.1बहादुरपुर	114627.00	,,
63.	,, नेमीचन्द शर्मा	,,	प्लाट नं.40-41 ,,	37311.00	,,
64.	,, ओमप्रकाश	,,	लोहर्रा	23251.00	,,
65.	,, गोरधनलाल माली	,,	लोहर्रा	9408.00	,,
66.	,, दिनेश कुमार	,,	1.66वर्गमील	33900.00	,,
67.	,, हंसराम गूर्जर	,,	अलवतकीग्वारी	36252.00	स्थगन
68.	,, बजरंगलाल	,,	प्लाट नं.8 मामचारी	13251.00	,,
69.	,, जगमोहन मीना	,,	,, 3-4 माडीभाट	43880.00	,,
70.	,, भरोसी गूर्जर	,,	,, 1 बिजोदा	8375.00	,,
71.	" नन्दकिशोर	"	,, 8 करौली	4000.00	,,
72.	" महेशचन्द	"	,, 6-7 माडीभाट	77102.00	स्थगन

1	2	3	4	5	6
73.	श्री सुगनलाल कुम्हेर	सैंडस्टोन	अतेवा	49231.00	स्थगन
74.	" महेशचन्दओम	"	खोहरी	136136.00	,,
75.	" सीताराम	"	लोहर्रा	25241.00	,,
76.	" प्रकाशचन्द जैन	"	माडीभाट	20540.00	,,
77.	" विष्णुचन्द	"	आमरेकी	12608.00	,,
78.	" राधेश्याम	"	प्लाट नं 2 बहादुरपुद	68130.00	,,
79.	" शमशाद	"	रायवेली	31226.00	,,
80.	" मांगीलाल	"	भैरठ	17045.00	,,
81.	" गणेशराम	"	गढीकागांव	55855.00	,,
82.	" विशम्भरदयाल	"	बहादुरपुर	22625.00	,,
83.	" द्वारकाप्रसाद	सिलिका	ओंण्ड	31984.00	
84.	" रमेशचन्द गुप्ता	सैंडआक्साइड	रोधईखेड़ी	16856.00	
85.	" दुर्गाप्रसाद अग्रवाल	सिलिका सैण्ड	बाजनामिजोरा	32666.00	स्थगन
86.	" गोपाललाल	"	रामापुरा	17596.00	
87,	" सतनन्ददुर्ग	"	खोरर्रा	1000.00	
88.	हिन्दुस्तान मिनरल	सोपस्टोन	मोर्रामण्डारी	102519.00	
89.	श्री निर्मलकुमार पाटनी	"	कमालपुरा	7992.00	
90,	" शाहकस्तूरमल	"	बांसभण्डारी	126622.00	स्थगन
91.	क्वालिटी मिनरलर्स	"	मिजोरा	7198.00	,,
92.	श्री ओमप्रकाशअग्रवाल	"	गैरई	4537.00	
93.	श्रीमती गीतादेवी	"	रामापुरा	33037.00	
94.	" इन्द्रा अग्रवाल	"	सलेमपुरओरिच	35233.00	स्थगन
95.	श्री हरीचरणलाल	"	गोपालगढ़	3960.00	
96.	हिन्द खनिज	"	बदरेटा	13151.00	
97.	श्री विशाल लोचन	"	बांजना	38480.00	

1	2	3	4	5	6
98.	श्री हरिशंकर	,,	लोहर्रा	2337.00	
99.	" रूपचन्द	फायरक्ले	कारवाटी	2600.00	
100.	" रामचरणलाल	सिलिकासैंड	अमरवाड	2200.00	
101.	" रोहतास मिनरल	"	घाटपारली	55488.00	
102.	" सुदर्शनलाल	"	रिचोटी	9418.00	
103.	लक्ष्मीमिनरल	"	तुरसंगपुरा	5828.00	
104.	शंकरसिलिका ट्रेडर्स	"	नांद	25599.00	
105.	श्री राधामोहन	चायनाक्ले	कोंडर गोहण्डी	5001.00	
106.	" अजीतसिंह	सिलिकासैंड	डोरावली	23119.00	
107.	" प्रहलादसिंह	सैंडस्टोन	वाटदा	7900.00	
108.	श्रीमती रतनदेवी	सिलिकासैंड	कुरगांव	2427.00	
109.	श्री छगनलाल	सैंडस्टोन	रतियापुरा	66748.00	स्थगन
110.	" शिवचरणसिंह	"	प्लाट नं. 1 मह	22327.00	
111.	" रामजीलाल गोयल	"	लेदोरखुर्द	17478.00	स्थगन
112.	" हजारीलाल शर्मा	"	प्लाट नं. 9 लोटदा	5795.00	
113.	" संजीव परमार	सिलिकासैंड	भौमपुरा	1848.00	
114.	" हजारीलाल गर्ग	"	खुन्डा प्लाट नं 3	16593.00	
115.	" मातीलाल माली	"	प्लाट नं. 12 ह. नं. 13	8550.00	
116.	" सुरेशचन्द मित्तल	लाइमस्टोन	नीलाडूंगर	26654.00	
117.	सत्य खनि उद्योग	सिलिकासैंड	पाटोलीकापुरा	6000.00	
118.	श्री उमेशकुमार शर्मा	सैंडस्टोन	प्लाट नं. 8 ह. नं. 13	24493.00	
119.	" जगदीशप्रसाद गुप्ता	"	सरसाई	77671.00	स्थगन
120.	श्री हरीबाबू शर्मा	,,	गुरधा प्लाट नं. 2	105386.00	
121.	श्री मोतीलाल मीना	"	प्लाट नं. 7	3536.00	
122.	श्री कस्तुरचन्द सिंहल	"	ह. नं. 13 ग्रुप नं. 6	561755.00	स्थगन

1	2	3	4	5	6
123.	श्री रविन्द्र भारद्वाज	,,	बहादुरपुरा	99702.60	स्थगन
124.	श्री शिवचरणलाल गुप्ता	,,	वाटदा 2	73000.00	,,
125.	,, बद्रीप्रसाद मंगल	,,	लोटदा 2	2598.00	,,
126.	,, रूपनारायण पाण्डे	,,	करौली	162399.00	,,
127.	,, कोरीलाल	लाइमस्टोन	घूरवासी	4750.00	,,
128.	,, मीठालाल बोहर	सोपस्टोन	गढी	67066.00	स्थगन
129.	,, सज्जनसिंह	सैण्डस्टोन	बहादुरपुर4	217489.00	,,
130.	,, रंगीलाल मीना	,,	ग्रुप नं. 2	812480.00	,,
131.	,, भौरीलाल जैन	,,	ग्रुप नं. 26	252306.00	,,
132.	,, दर्शनसिंह	,,	वाटदा 2	130000.00	स्थगन
133.	श्रीमती दुलारी देवी	सिलिका सैण्ड।	गोठरा	1040.00	,,
134.	श्री नथुआ सिंह	सैण्डस्टोन	बहादुरपुर 6	76738.00	स्थगन
135.	,, अतरसिंह	,,	खूबनगर	11393.00	,,
136.	,, रामभरोसी शर्मा	,,	गुरधा 4	280237.00	स्थगन
137.	,, जनार्दनसिंह गहलोत	,,	श्योरा 2	102481.00	स्थगन
138.	,, निर्मल कुमार जिन्दल	,,	बुगडार	147777.00	स्थगन
139.	,, विजयसिंह	सैण्डस्टोन	बिनेगा	65129.00	,,
140.	,, जगदीश प्रसाद	,,	महू 5	13500.00	,,
141.	लक्ष्मी सीमेंट	लाइमस्टोन	कैलादेवी	40445.00	,,
142.	श्री एस. के. बाजोरिया	सैण्ड स्टोन	गुरधा भांकरी	105,543.00	,,
143.	श्री नारायण सिंह	,,	मकनपरबाटदा	12000.00	
144.	,, शिवचरणलाल	,,	प्लाट नं. 4 का प्लाट नं. 2	4814.00	
145.	जय बजरंग स्टोन	,,	प्लाटनं.3कसारा	17000.00	

1	2	3	4	5	6
146.	श्री मुरारीलाल शर्मा	,,	प्लाट नं. 3 ह. नं. 13	2823.00	
147.	,, दीनदयाल	,,	प्लाट नं. 2 कसारा	7750.00	
148.	,, छोटेलाल	,,	प्लाट नं. 3, 4 महू	44240.00	
149.	,, रमेश मीना	,,	प्लाट नं. 18 पारासरी	11300.00	
150.	,, रमेशचन्द गुप्ता	,,	प्लाट नं. 8 माडींभाट	4640.00	
151.	,, किरोड़ीलाल	,,	जाखेर	12228.00	
152.	,, विशाल सिंह	,,	प्लाट नं. 4 मकनपुरबाटदा	45500.00	
153.	,, अमृतलाल	,,	प्लाट नं. 2 ह. नं. 13	15750.00	
154.	,, वल्लूसिंह	,,	कोसरा	35646.00	
155.	,, भरतसिंह	,,	देवरीपिपरानी	147702.00	स्थगन
156.	श्रीमती चन्दना देवी	,,	कंचनपुर	16331.00	

ह०/-
खनि अभियन्ता,
करौली

शुद्धि-पत्र

28 दिसम्बर, 1989

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	39	फुटनोट	× × ×	+ + +
2.	62	11	राजस्थाव	राजस्थान
3.	73	फुटनोट	आज्ञानुसार	आदेशानुसार
4.	124	2	लूनी	लूणी